लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-18, गुरुवार, 13 मार्च, 1969/22 फाल्गुन, 1890 (शक)

No 18 – Thursday, March 13, 1969/Phalguna 22, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
451	चौथी योजना में केन्द्रीय सरकार के फार्म	Central Farms during Fourth Plan	1–5
452	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के लिये न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन	Report of the Minimum wage Advisory Committee for Andaman and Nicobar Islands ...	5–9
453	उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन उद्योग	Sericulture in Uttar Pradesh ...	9–11
454	प्रेस प्रकाशनी	Press Release	11–16
455	प्रेस परिषद की अनुमति से समाचार पत्रों को विज्ञापन	Advertisements to Newspapers with the approval of Press Council	16–19
अ. सू. प्र./S.N.Q.			
5	गालिब पर कवि सम्मेलन	Poëtic Symposium on Ghalib	19–25

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र.संख्या/S.Q.Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
456	आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against AIR Station Calcutta ...	25–26
457	भारत में प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Stations in India — —	26
458	केरल में छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्मों का प्रदर्शन	Gureilla Warfare Film show in Kerala ..	26

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
459 आकाशवाणी के "ट्रांसक्रिपशन तथा प्रोग्राम एक्सचेंज" कर्मचारियों का दिल्ली से बम्बई तबादला	Transfer of Transcription and Programme Exchange staff of AIR from Delhi to Bombay	27
460 किसानों के लिये प्रचार एवं सूचना अभियान	Publicity cum-Information Campaign for farmers	27–28
461 भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officials of Food Corporation of India	28
462 छोटे ट्रैक्टरों की कमी	Shortage of small Tractors	28–29
463 गुजरात में वनों पर आधारित उद्योग	Forest based industries in Gujarat	29
464 चीनी की कमी	Sugar scarcity	29
465 महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन	Manufacture of Fertilizers in the Cooperative Sector in Maharashtra	30
466 नेपाल को गेहूँ का निर्यात	Export of Wheat to Nepal	30-31
467 कपास के संकर-4 बीज	Hybrid 4 of Cotton Seeds	31–32
468 टाटानगर फाउन्ड्रीज वर्क्स जमशेदपुर का बन्द होना	Closure of Tatanagar Foundry Works, Jamshedpur	32
469 दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य का मूल्यांकन	Assessment of working of Delhi Milk Scheme	32–33
470 अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ	All India Insurance Employees Association	33
471 चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान न करना	Non-Payment of Sugarcane Price by Sugar Mills	34
472 उड़ीसा में मत्स्य उद्योग विकास कार्यक्रम	Fisheries Development Programme in Orissa	34
473 19 सितम्बर की सामान्य हड़ताल के अवसर पर जिन संघों की मान्यता रद्द कर दी गई थी उन को मान्यता प्रदान करना	Recognition of unions derecognised in the 19th September General Strike	

ता.प्र. संख्या/ S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
474 रासायनिक खादों तथा कीटनाशक औषधियों से उत्पादित खाद्यान्नों के बुरे प्रभाव	Ill effects of Food produced with Chemical Manures and Pesticides	35–36
475 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सूखा राहत	Drought Relief to Central Government employees ... –	36
476 कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धन राशि	Employees Provident Fund Arrears	36–37
477 गैर-सरकारी बीज उद्योग द्वारा बीजों की बिक्री	Marketing of Seeds by Private seed Industry	37
478 आस्ट्रेलिया से चावल का आयात	Import of rice from Australia – ..	38
479 जैसलमेर के दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों में सप्लाई किये गये माइलों के नमूनों का विश्लेषण	Analysis of samples of Milo supplied in famine areas in Jaisalmer ... –	38
480 केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद भंग करना	Disbandment of Central Gosamwardhan Council	38–39
अ.ता. प्र. संख्या/U.S Q. Nos.		
2850 अमरीका से उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूं	Free Gift Wheat from USA –	39
2851 गुजरात को गेहूं, चावल तथा चीनी का आवंटन	Allocation of Wheat Rice and Sugar for Gujarat ..	39–40
2852 मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities in Madhya Pradesh ... –	40–41
2853 चीनी का उत्पादन	Sugar Prodouction ..	42
2854 कोयला खानों पर केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Central Wage Board on Coal Mines	42–43
2855 वाणिज्य संबंधी प्रसारणों से राजस्व की प्राप्ति	Revenue from Commercial Broadcasts	43–44

2856 फार्म रेडियो प्रसारण	Farm Radio Broadcasting	44
2857 किसानों के लिये ट्रांजिस्टर	Transistors for Farmers	45
2858 ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की समस्या	Unemployment problem of educated youth in Rural Areas	45-46
2859 मध्य प्रदेश में ट्यूब–वैल	Tube-wells in Madhya Pradesh	46
2860 सिन्दरी उर्वरक का वितरण	Distribution of Sindri Fertilizer	46-47
2861 महाराष्ट्र में लोह अयस्क खान मजदूरों के लिये मकान बनाना	Construction of Houses for Iron Ore Mine workers in Maharashtra	47
2862 मध्य प्रदेश में सूचना केन्द्र	Information Centres in Madhya Pradesh ..	47
2863 मध्य प्रदेश से व्यापारिक प्रसारण	Commercial Broadcast from Madhya Pradesh	48
2864 देश में पम्पिग सेट लगाना	Installation of pumping sets in the country ...	48
2865 आकाशवाणी में चौकीदार	Chowkidars in AIR ...	48-49
2866 रूस तथा अमरीका से आयातित खेती के औजार	Agricultural Implements imported from USSR and USA	49
2867 मध्य प्रदेश में नलकूप के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for setting up Tube wells in Madhya Pradesh	49-50
2868 उत्तर प्रदेश के जिला बोर्डों के लेखों की लेखा परीक्षा	Audit of Accounts of UP District Boards ...	0
2869 शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी के विरुद्ध आरोप	Charges against Education cum-publicity officer ...	0-51
2870 गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में कुछ टेलीफोन कनेक्शन काटे जाना	Cutting of certain Telephone connections in Ghaziabad (U.P.)	51
2871 सरकारी पौधाघरों में भारतीय किस्मों का गुलाब उगाना	Growth of Indian varieties of roses in Government Nurseries ..	51-52

2872 तम्बाकू उत्पादक राज्यों को सहायता	Assistance to Tobacco growing states... ...	52-53
2873 समाचार पत्रों को साथ ही साथ अंग्रेजी तथा हिन्दी की विज्ञप्तियां देना	Simultaneous release of English and Hindi Press Communiques	53
2874 आकाशवाणी का 'दक्षिण' कार्यक्रम	'Dakshin' Programme of AIR	53-54
2875 पत्र सूचना कार्यालय में हिन्दी अधिकारी	Hindi Officers in Press information Bureau ...	54-55
2876 आकाशवाणी के संवाद-दाता	AIR Correspondents	55
2877 आकाशवाणी में ठेका प्रणाली समाप्त करना	Abolition of contract system in AIR	55-56
2878 फिल्म सेंसर बोर्ड	Board of Film Censors	56
2879 गृह–कार्य मंत्री के भाषण का पट्टिकांकन (टेप रिकार्डिंग)	Recording of Home Minister's Speech ...	56-57
2880 शरणार्थियों को नई कुतुब रोड, दिल्ली पर दुकानों का आवंटन	Shops Allotted to Refugees at New Qutab Road, Delhi ...	57
2881 कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये अवकाश-गृहों का निर्माण	Construction of Holiday Homes for Colliery Employees	57-58
2882 श्रम निरीक्षकों के कर्मचारियों की उनके मालिकों की ओर बकाया राशि को वसूल करने का अधिकार	Empowering Labour Inspectors to Realise Dues of workers from Employees	58
2883 भूमि का उर्वरता कम होना	Decline in Production capacity of Land ...	58-59
2884 पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Settlement of Refugees from East Pakistan ...	59-60

2885	नियम पुस्तकों आदि का अनुवाद	Translation of Manuals etc.	60–61
2886	छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता	Disparity between big and small farmers ...	61
2887	भारत में कृषि विश्व विद्यालयों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण	Training to Farmers by Agricultural Universities in India	61–62
2888	मद्रास और उत्तर प्रदेश को 'यूरिया' उर्वरक का संभरण	Supply of Urea to Madras and U. P.	62–63
2889	आनन्द में टेलीफोन कनेक्शनों के संबंध में शिकायतें	Complaints regarding Telephone Connections in Anand	63
2890	उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार	Educated unemployed in U. P.	63–64
2891	नेशनल शीड्स कारपोरेशन लिमिटेड	National Seeds Corporation Ltd.	64–65
2892	लक्कादीव द्वीपसमूह का मत्स्यपालन विभाग	Fisheries Department of laccadive Island	65
2893	लक्कादीव द्वीपसमूह के मत्स्यपालन विभाग द्वारा मत्स्यपालन के संबंध में प्रशिक्षण	Training in Fisheries by Fisheries Department of Laccadive Islands	65–66
2894	पश्चिम बंगाल में कृषकों को बीजों का वितरण	Distribution of seeds to farmers in West Bengal ...	66
2895	पश्चिमी बंगाल के कृषि विस्तार अधिकारियों को स्थायी करना	Confirmation of extension officers in West Bengal	66–67
2896	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी किये जाना	Issue of Milk tokens by Delhi Milk Scheme	67–69

2897 हाकी उद्योग को शहतूत की लकड़ी की सप्लाई	Supply of Shehtoot wood to Hockey Industry	69
2898 चुकंदर के बीजों का उत्पादन	Production of Beet Root Seeds	69
2899 इंजीनियरी मजूरी बोर्ड	Report of Engineering Wage Board	69-70
2900 माडर्न बेकरीज लिमिटेड	Modern Bakeries, Ltd.	70
2901 माडर्न बेकरीज	Modern Bakeries	70-71
2902 उर्वरकों का उपहार के रूप में मिलना तथा उनका वितरण	Gift of Fertilizers and their distribution ..	71-72
2903 सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज योजनाएं	Community Development and Panchayati Raj Scheme	72
2904 उर्वरकों का प्रयोग	Use of Fertilizers	72-74
2905 गांव नालाई, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में डाक खानें का खोला जाना	Opening of Post Office at Village Nalai; in Garhwal, U. P.	74
2906 स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, इन्दौर	Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd; Indore	74-75
2907 मध्य प्रदेश को गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Madhya Pradesh	75-76
2908 ग्रामीण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा	Protection of the Interests of Rural Labour	76
2909 डाक तार विभाग में कार्य के घंटे	Working Hours in P and T Deptt.	76-77
2910 उत्तर प्रदेश में कारखाना अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Factory Act in U. P.	77
2911 कर्मचारी राज्य बीमा योजना में सेवा प्रणाली का लागू किया जाना	Introduction of service system in Employees state Insurance scheme	77-78
2912 उर्वरकों के मूल्यों में कमी	Reduction in Prices of fertilizers	78

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
2913 1968–69 में राज्यों को छोटी सिंचाई के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for minor irrigation to States during 1968-69 ...	78-79
2914 शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये कार्मिक संघ सम्बन्धी अधिकार	Trade Union rights for employees of Educational Institutions ...	80
2916 दिल्ली दुग्ध योजना में सुधार	Improvement in Delhi Milk Scheme ...	80
2917 राजस्थान में भेड़ ऊन उद्योग का विकास	Development of Sheep wool industry in Rajasthan ...	80-81
2918 खाद्य उत्पादन के आंकड़े एकत्रित करना	Collection of Food production figures	81
2919 कीट नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी	International seminar on Pest control –	81-82
2920 किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज की सप्लाई	Supply of high yielding varieity seed to farmers –	82
2921 लम्बे रेशे वाले कपास की खेती	cultivation of long staple cotton –	82-83
2922 पंढरपुर के लिए तथा पंढरपुर से डाक वाहन की अनियमित व्यवस्था	Irregular mail carriage to and from Pandharpur ...	83
2923 अन्तर्राज्यीय संचार व्यवस्था का खराब होना	Breakdowns of Inter-State Communications	84-85
2924 उड़ीसा में कृषि सहकारी ऋण समितियां	Agricultural Credit societies in Orissa –	85
2925 किसानों को सरकारी ऋण	Cooperative credit to agriculturists	85
2926 श्रमिकों के लिये समान संहिता	Common code for labourers	86
2927 उर्वरकों के वितरण के लिये लाइसेंस	Licences for distribution of fertilizers... ...	86

अता.प्र.संख्या. /U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2928 नये रेडियो स्टेशन	New Radio Stations —	86-87
2929 भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद	Wheat procurement by Food Corporation of India	88
2930 चीनी मिलें	Sugar Mills	88-89
2931 चीनी उद्योग	Sugar Industry	89-90
2932 सहकारी समितियां	Cooperative Societies	90-91
2933 वनस्पतियों को हाइड्रोफोनिक तरीके से उगाना	Growing of vegetables through Hydrophonic methods	91-92
2934 कैरा परियोजना तथा दिल्ली दुग्ध योजना को मिलाना	Merger of Kaira Project and Delhi Milk Scheme	92-93
2935 पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea fishing in West Bengal	93-94
2936 मजदूरों की वास्तविक आय का सूचकांक	Index of Real Income of workers	94
2937 पश्चिम बंगाल में कृषि संस्था	Agricultural Institution in West Bengal ...	94
2938 श्रम संघ की स्थापना	Formation of a Federation of Labour... —	94-95
2939 भुवनेश्वर में टेलक्स सेवा	Telex service at Bhubaneswar —	95
2940 प्रार प्रबन्धक	Transmission Executives	95-96
2941 आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रबन्धकों (प्रोग्राम एक्सक्यूटिव्ज) का तबादला	Transfer of AIR Programme Executives ...	96
2942 तदर्थ आधार पर कार्यक्रम प्रबन्धक (प्रोग्राम एक्सक्यूटिव)	Programme Executives on an ad hoc basis ...	96-97
2943 इम्फाल में टेलीफोन सलाहकार समिति	Telephone Advisory Committee at Imphal —	97
2944 मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा तथा नागालैंड के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति	Telephone Advisory Committee for Manipur, Tripura, NEFA and Nagaland ...	97-98

2945	आसाम, नेफा आदि में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Assam NEFA etc. ..	98
2946	मनीपुर के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for Manipur –	99
2947	मनीपुर में कार्मिक संघ	Trade Unions in Manipur	99-100
2948	अशोकपुरी सहकारी कृषि फार्म इटावा	Ashokapuri Cooperative Agricultural Farm, Etawah ..	100–101
2949	दिल्ली की अंग्रेजी टेली-फोन निर्देशिका का नया संस्करण	New Edition of English Telephone Directory of Delhi	101
2950	टेलीफोन की बकाया राशि	Telephone Arrears	102
2951	गांवों में डाकघर	Post Offices in Villages ...	102
2952	मध्य प्रदेश में खांडवा और खरगोन के बीच टेली-फोन सम्पर्क	Telephone link between Khandva and Khargon in Madhya Pradesh	102–103
2953	मध्य प्रदेश में बरवाह और करही के बीच टेलीफोन सम्पर्क	Telephone link between Barwah and Karhi in Madhya Pradesh	103
2954	दिल्ली प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर	Difference in the Pay scales of the Employees in Delhi Administration	103
2955	प्रो० अरनोल्ड टोयनबी द्वारा लिखा गया लेख	Article written by Prof. Arnold Toynbee	103–104
2956	सूचना और प्रसारण विभाग में संयुक्त सचिव की नियुक्ति	Appointment of Joint Secretary in the Department of Information and Broadcasting ...	104
2957	फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिया गया ऋण	Loan given by the Film Finance Corporation to Film Producers ...	105
2958	ऐशियाई श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	Asian Labour Ministers Conference	105-106

2959	प्रसार प्रबन्धक	Transmission Executives	106
2960	पटसन की खेती वाली भूमि	Area under Jute Cultivation	106-107
2961	भारत के लिये नेपाल का चावल	Nepalese Rice for India	107
2962	चावल का आयात	Import of Rice — ...	107-108
2963	गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार	Employment of local population in Private Sector	108-109
2964	उत्तर रेलवे के सभी जंक्शनों में सीधी टेलीफोन व्यवस्था का दुरुपयोग	Misuse of STD system in all Junction of Northern Railway — ...	109
2965	पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर खाद्य क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश को अलग करना	Exculision of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir from Food Zone of Punjab .	109 110
2966	चीनी के उत्पादन का लक्ष्य	Target of Sugar Production	110-111
2967	राजस्थान में नलकूप लगाना	Sinking of Tube-wells in Rajasthan	111
2968	सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म द्वारा एतपादित घटिया दर्जे के बीज	Inferior quality of seeds produced by Suratgarh Mechanised Farm	111
2969	मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों के बीच में टेलीफोन तथा तार के खम्भे	Telephone and Telegraph Posts in Middle of Roads in Mangalore Municipal Area ...	111-112
2970	मैसूर सरकार द्वारा गैर–सरकारी स्त्रोतों से सिंचाई पर कर लगाना	Imposition of Tax on Irrigation from Private Sources by Mysore Government	112-113
2971	भारतीय संस्कृति की अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी, नई दिल्ली	International Academy of Indian Culture, New Delhi	113

अता.प्र.संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2972 कृषकों को ट्रांजिस्टरों की बिक्री पर राज सहायता	Subsidy on sale of Transistors to Farmers ...	113–114
2973 दिल्ली में इदगाह स्थित बूचड़खाने का स्थानान्तरण	Shifting of Idgah Slaughter House, Delhi ...	114
2974 कृषि उपज बढ़ाने में सहायक पदार्थों से राजसहायता वापस लेना	Withdrawal of Subsidies from Agricultural Imputs	114–115
2975 राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास	Development of Desert areas in Rajasthan, Haryana and Gujarat	115
2976 उड़ीसा में लौह अयस्क खान श्रमिकों के लिये मकानों का बनाया जाना	Construction of Houses for Iron Ore Workers in Orissa	115–116
2977 बृज भाषा कार्यक्रम संयोजक	Producer for Brij Bhasha Programme	116–117
2978 मजूरी तथा उत्पादन में अनुपात	Ratio of Wages to Producctivity ...	117
2979 हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण	Review of the cases of Employees who participated in the strike ...	117
2980 पश्चिमी पाकिस्तान से आई शरणार्थी विधवाओं का पुनर्वास	Resettlement of Refugee widows from West Pakistan	117–118
2981 विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के लिये अतिरिक्त सुविधायें	Additional Facilities through various projects for irrigation purpose	118
2982 इरिंगल (केरल) में टेलीफोन	Telephore connections in Iringal (Kerala) ...	118-119
2983 कलकत्ता में पंजाब तथा हरियाणा के दुधारू पशुओं का वध किया जाना	Slaughtering of Punjab and Haryana Milch Cattle in Calcutta ...	119

2984	रेडियो स्टेशनों में कर्मचारियों की श्रेणियां	Cate'ories of Employees in Radio Stations ...	119-120
2985	कृषि तथा औद्योगिक उपकरण संस्था	Farm and Industrial Equipment Institute ...	120
2986	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	120-121
2987	दरभंगा जिला (बिहार) में माधेपुर में दुग्धशाला संयंत्र	Dairy Farming Plant at Madhopur in Darbhanga District (Bihar) ... –	121
2988	नक्सलवादियों के बारे में समाचार	News about Naxalbaries	122
2989	खाद्य उत्पादन में वृद्धि की दर	Rate of growth of food production	122
2990	केन्द्रीय तार घरों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of overtime allowance to Central Telegraph Officers Employees – ..	122-123
2991	डाक और तारों के बांटने में विलम्ब	Late Delivery of Mail and Telegrams	123
2992	संगीत और नाटक विभाग का 'श्राद्ध' नाटक	Shradh Drama of Song and Drama Division ..	123-124
2993	हस्तिनापुर (मेरठ जिला) में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का अलाट किया जाना	Allotment of Land to the Ex-Servicemen in Hastinapur (Meerut Dist) ... –	124
2994	गुलबर्ग के लिये प्रसारण के घंटे	Relay Timings for Gulbarga	124-125
2995	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	125
2996	श्रम सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन के मामले	Cases of Violation of Labour Laws	125
2997	उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में चावल मिलें	Rice mills in certa in U. P. Cities	126

2998 तमिलनाडु में छोटी सिचाई योजनायें	Minor Irrigation in Tamil Nadu	126–128
2999 गत सितम्बर की हड़ताल से प्रभावित हुए केरल सर्कल के डाक तथा तार कर्मचारी	P & T Employees in Kerala Circle affected by last September Strike — ...	128–129
3000 सहकारी क्षेत्र में किसानों का महासंघ	Federation of Farmers in Cooperative Sector — —	129
3001 रेडियो तथा टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से शिक्षा	Education through Radio and T. V. and Film Media — ...	129
3002 कृषि इंजीनियरों की आवश्यकतायें	Requirements of Agricultural Engineers ...	129–131
3003 सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections for Social Workers ...	131
3004 निर्वाचन सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण	Election News Broadcast ... —	131
3005 तमिल प्रसारणों में तमिल शब्दों का गलत प्रयोग	Improper use of Tamil words in Tamil Broadcasts ... —	131–132
3006 मूंगफली के मूल्यों में कमी	Fall in Prices of Groundnut — ...	132
3007 अबोहर में केन्द्रीय कृषि बीज फार्म	Central Agricultural Seeds Farm in Abohar ..	132–133
3008 दिल्ली सर्कल में वायरलैस आपरेटर	Wireless Operators in Delhi Circle	133–134
3009 कृषि विश्वविद्यालयों के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to State Governments for Agricultural Universities	134–135
3010 प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के सामने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का धरना	Squating by East Pakistan Refugees before Prime Minister's Residence	135–136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3011 पहाड़ी धीरज गृह-निर्माण समिति दिल्ली	Pahari Dhiraj House Building Society, Delhi	136
3012 केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद्	Central Gosamwardhan Council	137
3013 उर्वरक उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of the Recommendations of the Wage Board for Fertilizer Industry	137
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	137-139
साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेता श्री जे० बी० डिक्रूज की मृत्यु	Death of Mr. D'Cruz of the CPI (Marxist) ...	137
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	139-141
सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही में और छूट देने के बारे में वक्तव्य	Statement re further relaxation of action against Government employees	141-142
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	141
सामान्य आय-व्ययक, 1969–70 सामान्य चर्चा (जारी)	General Budget, 1969-70 General Discussion (Contd.)	142
श्री म० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	142
श्र राम चरण	Shri Ram Charan ...	145
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	147
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey ...	152
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	153
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	154
श्री आर० एस० अरुमुगम	Shri R. S. Arumugam	157
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur ..	158
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Laxshmi Kanthamma ...	159
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	160

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
श्री एम० वी० राणा	Shri M. B. Rana	...	...	163
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan	...	...	164
श्री कमल नयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	—	..	166
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	...	...	167
श्री गं० च० दीक्षित	Shri G. C. Dixit	..	...	169
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	...		170
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Singh	—		171
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanatham	...		172
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J Malhotra	...	...	174
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhuri	--		175
श्री सोमचन्द सोंलकी	Shri S. M. Solanki	--		176
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	...		177
श्री ब० ना० कुरील	Shri B. N. Kurcel	...		177
श्री स० दा० पाटिल	Shri S. D. Patil	..	...	178

लोक-सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 13 मार्च, 1969/ 22 फाल्गुन, 1890 (शक)
Thursday, March 13, 1969/ *Phalguna* 22, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चौथी योजना में केन्द्रीय सरकार के फार्म

* 451. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक केन्द्रीय फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब तथा हरियाणा में वर्तमान फार्मों के अतिरिक्त दो और फार्म शीघ्र स्थापित किए जाने की संभावना है। इन में से एक फार्म मैसूर के जिला रायचूर मे और दूसरा केरल के कैन्नानौर जिले में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में और फार्म स्थापित किए जायें, इस सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : इन बड़े फार्मों की स्थापना के लिये अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप सैकड़ों छोटे किसान बेरोजगार हो जाते

हैं। उन किसानों को वैकल्पिक रोज़गार और भूमि उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सर्वप्रथम हम राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं। यदि वे अपने राज्य में राजकीय फार्म के इच्छुक होते हैं तो हम मामले की जांच-पड़ताल करते हैं। दूसरे, जहां तक संभव होता है, जिस भूमि पर खेती नहीं होती है उसे इन राजकीय फार्मों के लिये ले लिया जाता है ताकि बेरोज़गारी की समस्या न रहे। यदि इस योजना के परिणामस्वरूप कोई बेरोज़गारी पैदा हुई तो मैं सम्बन्धित राज्य सरकार को सुझाव भेज दूंगा कि वैकल्पिक रोज़गार और भूमि दी जानी चाहिये।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : मैसूर राज्य के रायचूर जिले में एक फार्म स्थापित करने के लिये काफी भूमि अर्जित की गई है जो कि अब भी बंजर है। किसानों को उनकी साधारण खेती से वंचित कर दिया गया है और सरकार भी उस भूमि का प्रयोग नहीं कर रही है। केवल इस लिये कि रूस सरकार से 25 लाख रुपया मिल रहा है, क्या छोटे किसानों को उनकी जोतों से वंचित करना उचित है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सरकार का इरादा छोटे किसानों को उनकी जोतों से वंचित करने का नहीं है। इस प्रयोजन के लिये ली गई अधिकांश भूमि बंजर है। कुछ स्थानों पर किसानों को भूमि अस्थायी पट्टे पर ली गई थी। यदि उसके परिणामस्वरूप कोई बेरोज़गारी हुई तो उसकी ओर ध्यान दिया जायेगा। मैसूर के सम्बन्ध में भूअर्जन कार्य पिछले वर्ष ही आरम्भ किया गया था। भूमि पर क़ब्ज़ा मिलते ही खेती आरम्भ हो जायेगी।

श्री ए० न० नाथनूर : हमारे पिछले अनुभव के अनुसार क्या ये केन्द्रीय फार्म आत्म निर्भर हैं ? क्या इन केन्द्रीय फार्मों को, अर्थव्यवस्था तथा सुचारु प्रबन्ध की दृष्टि से राज्य सरकारों को सौंपना हितकर होगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस समय इन फार्मों को राज्य सरकारों को सौंपने का इरादा नहीं है। मूलभूत परिवर्तन यह हुआ कि अब तक इन फार्मों का प्रबन्ध कृषि के केन्द्रीय विभाग द्वारा किया जाता था। हमने निर्णय किया है कि वाणिज्यिक दृष्टिकोण आवश्यक है। हम एक निगम बना रहे हैं जो बजट पारित करने के पश्चात शायद मई के महीने से काम करना आरम्भ करेगा। इन फार्मों का उद्देश्य राज्य सरकारों की बीज की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

श्री प० गोपालन : केरल में अरालम के स्थान पर रूसी सहायता से एक राजकीय फार्म स्थापित करने के लिये अन्तिम निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया गया था, किन्तु काम अब भी आरम्भ नहीं हुआ है। ऐसी अफवाह है कि कुछ हितैशी लोग इस फार्म को किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस फार्म को चालू करने में क्या वास्तविक कठिनाइयां हैं। क्या मंत्री महोदय यह दृढ़ आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि इस कार्य का स्थान किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जायेगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : फार्म का स्थान बदलने का कोई इरादा नहीं है। केरल सरकार और हमारे बीच यह तय पाया था कि भूमि 250 रु० प्रति एकड़ की दर से अर्जित की जायेगी और यदि इस पर कोई अतिरिक्त व्यय हुआ तो उसे राज्य सरकार वहन करेगी। किन्तु किसी न किसी कारणवश केरल सरकार उस स्थिति पर नहीं टिक रही है और इसी कारण विलम्ब हो रहा है न कि केन्द्र की गलती के कारण।

Shri K. N. Tiwary : May I know the prevailing price of land in Kerala and the total expenditure to be borne by the Central Government on these two farms ? May I know whether the State Government will hold any shares in this enterprise and whether there will be any foreign collobroation ? Is it also a fact that the Suratgarh farm is running at a loss ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ये फार्म केन्द्रीय फार्म होंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इनमें से प्रत्येक फार्म के लिये 30 लाख रु० के मूल्य की मशीनों के रूप में रूसी सहायता उपलब्ध होगी। रूसी सरकार ने पांच फार्मों को सहायता देने का वचन दिया है और केरल फार्म उनमें से एक है। जहां तक सूरतगढ़ के फार्म का सम्बन्ध है, उसने गत वर्ष 49 लाख रु० का लाभ अर्जित किया और उससे पिछले वर्ष 18 लाख से 19 लाख रु० का।

Shri Onkar Lal Berwa : Are Government aware that the Health Minister of Rajasthan, after taking possession of the land donated to Harijans built a farm thereon ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्रद्धाकर सूपाकार : उड़ीसा फार्म, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, उसके व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि बहुत से कृषक अपने फार्मों से वंचित कर दिये जाते हैं और उन्हें इन फार्मों पर कोई रोजगार नहीं मिलता। इन लोगों से भूमि बहुत पहले अर्जित की गई थी और वे यह समझते थे कि उन्हें भूमि वर्षानुवर्ष पट्टे पर मिलेगी। अब उनको कोई और रोजगार देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। उड़ीसा फार्म के उन किसानों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या पग उठाये हैं। क्या विस्थापित व्यक्तियों को उस भूमि में से कुछ भाग पट्टे पर दिया गया है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक छोटे किसानों का सम्बन्ध है, हम रोजगार के लिये उनको प्राथमिकता देंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपाकार : किन्तु ऐसा किया नहीं जाता है।

Shri Shiv Charan Lal : I want to know from the hon. Minister whether the seeds prepared in the Government Farms will be provided to the farmers at cheap rates.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : बीजों को तैयार करना एक बड़ा तकनीकी कार्य है। यदि फार्म बड़ा हो, तो उच्च कोटि के तकनीकी कर्मचारी, प्रजनक, आनुवंशिकी आदि की व्यवस्था कर सकता है ताकि बीज राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जा सके। यह बात इस प्रश्न से बाहर की है कि किस मूल्य पर यह बीज उपलब्ध कराया जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह महिदा : केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के ये फार्म अच्छे बीजों तथा उत्तर कृषि सिद्धान्तों पर भी प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु इन फार्मों का कार्य न्यूनाधिक बड़े ही व्यवहारकुशल ढग से किया जाता है। छोटे छोटे किसानों को यहां नहीं बुलाया जाता और न ही उनको इसमें साथ लिया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस मामले में यथोचित कार्यवाही करेंगे कि छोटे किसानों को इन फार्मों पर बुलाया जाये या फिर इन फार्मो को चलाने वाले अधिकारीगण गांव-गांव घूम कर इन साधनों के बारे में जानकारी दें ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह तो कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

Shri Meetha Lal Meena : The hon. Minister has stated that the Suratgarh Farms is expected to earn profits shortly. There are yet many areas in Rajasthan where grape gradening be under-taken. Would the Government look into it ? Either Government may set up its own big farms for garpe cultivation or give suitable incentives to the growers.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस की आवश्यकता नहीं है ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यद्यपि ये फार्म किसानों को कृषि उत्पादन के आधुनिकतम तरीकों के बारे में शिक्षित करने के तथा कृषि व्यवस्था में सुधार करने के उत्तम उद्देश्य से आरम्भ किये गये थे, परन्तु प्राय: ये फार्म ऐसे फार्मों के रूप में परिणित कर दिये गये हैं जिनके तरीकों तथा तकनीकों को कोई भी मध्य-श्रेणी का किसान अपने सीमित साधनों के कारण अपना नहीं सकता जिसका परिणाम यह होता है कि इन फार्मों को आरम्भ करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इस संदर्भ में, क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखा जायेगा ताकि इन फार्मों में जो भी कृषि-तकनीक अपनाया जाये वह किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने योग्य हो जिससे कि वे लोग अत्याधिक लागत द्वारा नहीं प्रत्युत अपने सीमित साधनों से ही इन फार्मों का पूरा लाभ उठा सकें ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि ये फार्म बीजों का उत्पादन करने के लिये हैं ताकि राज्य सरकारों की आवश्यकता पूरी की जा सके। परन्तु यदि कोई प्रणाली किसानों के लिये लाभप्रद हो सकती है तो निस्सन्देह हम उसके विरुद्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुणानन्द ठाकुर !

श्री स० कुण्डू : वे केवल बीज उत्पादन करने वाले फार्म ही नहीं हैं। वहां अन्य चीजों का भी उत्पादन होता है। उन्होंने तो कृषक-युक्त फार्मों के बारे में प्रश्न पूछा है। ग़रीब किसान बड़े-बड़े ट्रैक्टरों, बड़ी बड़ी मशीनों आदि का उपयोग नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नहीं पुकारा है।

श्री स० कुन्डू : कृपया यह बात स्पष्ट कराईये।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटासुब्बया उत्तर से संतुष्ट हैं।

Shri Gunanand Thakur : The Government has been setting up big farms which benefit only the big farmers, that is the big land lords, Zamindars of the villages. I want to know whether the Government propose to take effective steps to set up small co-operatives of farmers with holdings of four five or 10 acres of land in order to assist these farms and thus benefit these people ?

Secondly, since ours is an agriculture-based country, setting up of farms may serve as an incentive for boosting up production. May I know whether the Government propose to set up these farms on a large scale in agricultural areas, particularly the development blocks of North Bihar; and if so, the action taken in this behalf ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि क्या सरकार बिहार में कोई सरकारी फार्म बनाना चाहती है, तो यह बात विचाराधीन है। इस बारे में अन्य कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक सरकारी फार्मों का सम्बन्ध है, सो वे इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते। माननीय सदस्य इस बारे में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shrimati Sushila Rastogi : There are no two opinions about the fact that we require good seeds for our agricultural production and that is why these farms are being set up. But whenever lands are acquired for these farms, it results in more unemployment and displacement of the people. Would the Government see that these lands are acquired only when the farms are to be started, and not that the people are tendered homeless by acquiring their lands several years before.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के लिए न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

* 452. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 671 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन ने अन्दमान तथा निकोबार सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) समिति की रिपोर्ट अभी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : प्रशासन से इस मामले में और देरी किए बिना निर्णय लेने की प्रार्थना कर दी गई है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : न्यूनतम मजूरी समिति ने अपना प्रतिवेदन मास दिसम्बर, 1967 में पेश किया था । दिनांक 25 अप्रैल, 1968 को एक उत्तर में हमें बताया गया कि वह प्रतिवेदन प्रशासन के विचाराधीन है । 25 जुलाई, 1968 को भी उन्होंने यही उत्तर दिया था । पुन: 17 नवम्बर, 1968 को भी यही उत्तर दिया गया था । अब भी वे वही उत्तर दे रहें हैं । क्या मैं जान सकती हूं कि विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : समिति ने अपना प्रतिवेदन 4 दिसम्बर, 1967 को पेश किया था तथा जिन प्रश्नों के बारे में माननीया सदस्या ने कहा है वे उचित हैं । इसके कारण ये हैं कि समिति ने लगभग 17 श्रेणियों के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं परन्तु बहुत सी श्रेणियां छूट गई हैं । पहला कारण तो यह है । दूसरे समिति ने ठेका मजूरी के बारे में कुछ नहीं कहा है । तीसरे, कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जिन्हें अस्थायी पदों से स्थायी बनाना है । इन सभी बातों पर विचार करने में समय लग रहा है और ये बातें इतनी सरल नहीं हैं कि दो-एक महीने में हो जायें.....(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह दो एक मास की बात नहीं है । एक वर्ष से अधिक हो गया है ।

क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकती हूं कि क्या यह विलम्ब इस कारण हुआ है कि अबिकजी एण्ड कम्पनी ने प्रशासन पर न्यूनतम मजूरी समिति की सिफारिशों को लागू न करने का जोर दिया है ?

श्री भागवत झा आजाद : प्रशासन पर ऐसे दबाव की हमें कोई जानकारी नहीं है । बल्कि दबाव तो हमारी ओर से है कि इन सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाये ।

श्री के० आर० गणेश : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से पता चलता है कि ऐसी अनेक श्रेणियां हैं जिनके बारे में विचार करने के लिये मन्त्रालय को समय चाहिये । मुख्य स्थिति यह है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी कर्मचारी, जो कि इस विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, को पहले से वे सब लाभ मिल रहे हैं जो कि वेतन आयोग ने दिये हैं । यहां मुख्य प्रश्न अकुशल कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी देने का है । इस प्रश्न पर विचार करने में मन्त्रालय को पहले ही दो वर्ष से अधिक लग चुके हैं । प्रथम तो, क्या मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन पा सकता हूं वह इस रिपोर्ट को लागू करने के बारे में एकदम ध्यान देंगे ? दूसरे, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 25,000 कर्मचारी जो कि वहां की कुल जनसंख्या का चौथाई भाग है, के बारे में मुख्य बात यह है कि उनमें से 80 प्रतिशत कर्मचारी अन्दमान तथा निकोबार के सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं । वहां ऐसे कर्मचारी भी हैं जो पिछले 5 से 15 वर्षों सेवा में हैं परन्तु फिर भी अनियमित श्रेणी के अधीन रखे हुए हैं । क्या

मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जो कर्मचारी एक वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं तथा जो स्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी विभागों में है उन्हें स्थायी श्रेणी में रख लिया जायेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वंय कहा है, अधिकतम श्रेणियों के लोगों को वे सभी लाभ प्राप्त हैं जिनकी कि सिफारिश की गई है। अब प्रश्न अनियमित मजदूरों का आता है। यह सच है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कुछ अनियमित मजदूरों को स्थायी श्रेणी के अधीन कर लिया जाये। हमारे विचारार्थ यह सब से महत्वपूर्ण प्रश्न है।

जहां तक उन सिफारिशों को लागू करने की बात है सो हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं गत फरवरी के मध्य में ही हमने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन को कहा है है कि वे इस समिति की सिफारिशों के बारे में तुरन्त कार्यवाही करें।

Shri George Fernandes : Nothing can be more shameful than the fact that the Government have been sleeping over the report in regard to the workers of Andeman & Nicobar Islands, and the hon. Minister has risen in the House to support it. He should be ashamed of it. I want to know from the Hon. Minister……(interruption)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल जानकारी प्राप्त करने के लिए है किसी एक दूसरे की भर्त्सना करने के लिये नहीं।

Shri George Fernandes : Firstly, may I know the time required to implement this report ? He said that there are many categories of labourers, and including the hon. Minister we all know what the population of Andeman & Nic bar is. After all how many are covered by these recommendation ? Would the hon. Minister given an assurance in the House that he would implement those recommendations with retorspective effect ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I can not commit anything. Under the rules, on assurances can be given during question hour. The hon. Member should read that rule. We are trying to take action as early possible. As regards the number of the workers we all know about that and the recommendations are not based on the number but they speak about what should be given to which category of workers. We have to look into the matter in that light.

Shri George Fernades : I simply wanted to know as to how many workers will be benefited as a result of your implementing this report fully since you have said that it was not such a matter as could be decided upon within two or three months.

Shri Bhagwat Jha Azad : I can tell only about the categories of the workers covered by these recommendations. If you want to know their number. I can reply only if you put another question……(interruption)

Shri George Fernandes : What is that reply that I should put another question to know the number of the affected workers ?

अध्यक्ष महोदय : इनके पास आंकड़े नहीं हैं। वह सूचना चाहते हैं।

Shri Sheo Narain : May I know the time by which socialistic pattern of society, to which we and the Government are committed, will be established in this country ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Hon. Shri Sheo Narain has rightly said that this Government aims at bringing about democratic socialism in this country. As a matter of fact, most of the categories have already been enjoying what is contained in these recommendations, but as I have said, we have not received any recommendation in regard to a few more categories, and we, on our own, are thinking as to how best we can do on the basis of these very recommendations ; and the same is taking time.

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह बड़े खेद की बात है कि जो बातें भारत के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सम्बन्धित है उन्हें अनिश्चित काल तक लटकाये रखा जाता है जिससे कि लोगों में आन्दोलन की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप ससूह के लोगों तथा शेष भारत के लोगों के मध्य संचार, अर्थ, भावनाओं सम्बन्धी परस्पर बड़ा अन्तर है, क्या मैं जान सकता हूं कि दिसम्बर, 1967 में पेश की गई इस विशिष्ट रिपोर्ट में ऐसी क्या विशेष पेचीदगियां हैं जो कि आज भी भारत सरकार को अनिश्चय की स्थिति में डाल रही है कोई हल नहीं निकलने दे रही है ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have aleady said in reply to an earlier question, the report has given recommendation in regard to only a part of categories and there are still more categories of workers for which recommendations are not there. Now we are considering as to what should be done for the left out part of categories. This is one complexion of it.

Secondly, as stated by Shri Ganesh that there casual labourers who have put in many years' of service and yet they are only casual labourers ; so we have to go into the questions whether they could be kept permanently. These are the reasons for our difficulties.

श्री काशीनाथ पाण्डेय : इस तथ्य की दृष्टि से कि कुल मजदूरों का चौथाई भाग सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तथा सीधे ही सरकार के अधीनस्थ है, क्या यह वांछनीय नहीं कि जिनको सीधे सरकार की ओर से वेतन मिलता है, कम से कम उनकी तो न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी जाये ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have said, the maximum of such labourers are already getting the minimum wages as recommended in the report. Besides that we have think over the difficulties which I have stated just now.

श्री क० लक्कप्पा : अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह एक सुन्दर स्थान है । इन द्वीपों में रहने वाले लोगों को लाभ कर नौकरियां मिलती हैं । एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि मैसर्ज आहूजा एण्ड कम्पनी नामक एक कम्पनी है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में ठेके पर तथा यहां तक कि बड़े बड़े व्यापार में नारी सख्या में मजदूरों का नियुक्त कर रही है तथा उस क्षेत्र के सभी मजदूरों पर अपना नियन्त्रण कर रही है तथा यह कम्पनी अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस को सहायता दे रही है । उन मजदूरों को यहां तक डरा रखा है कि वे रोजगार कार्यालयों में भी अपना नाम पंजीकृत नहीं कराते ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मुख्य प्रश्न पूछिये ।

श्री क० लकप्पा : मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी कि क्या यह कम्पनी उस द्वीप के श्रमिकों को भयभीत कर रही है और क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वित करने में बाधा उपस्थित कर रही है । सरकार उस कम्पनी तथा उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रही है जो कि वहां के श्रमिकों को आतंकित कर रहे हैं तथा जिनकी सांठ-गांठ वहां के कांग्रेस संगठन से है ?

श्री भगवत झा आजाद : इस समिति ने ठेका-श्रम के बारे में कोई सिफारिश नहीं दी है और इसी कारण हमने अधिक समय लिया है । यदि प्रतिवेदन में ठेका-श्रम के बारे में कोई सिफारिश दी होती तथा यह आरोप सत्य होता तो हम इस सिफारिश को तुरन्त कार्यान्वित कर देते । किन्तु प्रतिवेदन में कुछ नहीं कहा गया । फिर भी सरकार ठेका-श्रम को सिफारिशों के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न कर रही है तथा विलम्ब का कारण भी यही है । अत: माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए सभी प्रश्न मूल प्रश्न से बाहर हैं और उनका आरोप भी मिथ्या है ।

Shri S. M. Joshi : The hon. Minister has mentioned just now that it was the casual labour that was employed there. The question was as to whether these labourers should be confirmed or not. I would like to say that acc rding to the law a temporary labourer should be confirmed after 6 months or say after a period of one or two years and for that reason I want to know the handicaps which are not permitting them to make the tempor ary labourers permanent for such a long time. Secondly, it is a voluminous report and as such it require much time to study it. That being the position whether the Government propose to implement it in parts ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have mentioned in reply to the main question, apart from the point of confirming the temporary labourers, these are four or five other reasons for delay in this matter. An important point was that the committee have not made recommendations about certain categories of employees. Government are trying to bring them also within the four view of recommendations and to do the needful in that matter also. The report does not contain any isolated point with regard to confirmation of the labourers. And that is the reasons for delay.

उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन उद्योग

453. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में उत्तर प्रदेश ये रेशम उत्पादन उद्योग के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त योजना पर कुल कितने धन के खर्च का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Shrimati Savitri Shyam : At several places in Uttar Pradesh the sericulture programme is being undertaken. I want to know whether the Government will consider the the inclusion of the sericulture and cotton Industries in the list of priorities and whether they will give development rebate to these industries and also the assistance of modern technology and whether they will try to include these industries for the purpose of exports promotion ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : जहां तक व्यापार नीति का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि वह यह प्रश्न वैदेशिक व्यापार मंत्रालय से पूछें। मेरा सम्बन्ध तो केवल रेशम उद्योग के विकास से है।

Shrimati Savitri Shyam: I want to know what steps are proposed to be taken by the Government to develop the serilulture Industry ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : प्रश्न में विशिष्टरूप से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चौथी योजना में 63 लाख रुपये के व्यय का सुझाव दिया है। पहली योजना में यह कार्य केवल एक जिले, देहरादून, तक सीमित रखा गया था। अब इसमें राज्य के 7 जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है। एक कार्यकारी दल ने चौथी योजना के अन्तर्गत विकास की समस्यायों की जांच के उपरान्त लगभग 55 लाख रुपये के खर्चे का सुझाव दिया है। रेशम उत्पादन का प्रशिक्षण, शहतूत की काश्त में विकास, रेशम के कीड़ों को पालने, अनुसंधान और प्रयोगात्मक अध्ययन, रेशम कोकून का सहकारी विपणन, विभागीय संगठनों को सशक्त करने, रेशम के उस उद्योग का विकास जिसमें शहतूत का उपयोग नहीं किया जाता जैसे ऐग्रीकल्चर तथा टसर उद्योग, आदि पर इस राशि को खर्च किया जाएगा।

Shri Maharaj Singh Bharti : In the developed countries of the World, like Italy and Japan, the production of silk has continuously been decreasing due to the increased wages of labour. But in an under developed country, as ours, where wages of labour are much less and where the silkworm can be reared easily, can benifit herself with the promotion of silk export as the silk is much in demand in the foreign market. I want to know that in the citeumstances why the Government ot Uttar Pradesh are ignoring the interests of our cuntry by not utilizing the funds in full given to them for the last ten years? What are the steps proposed to be taken by the Centeral Government to stop this attitude of the state Government and to see that during the Fourth Plan period the scriculture is fully developed in all these seven districts ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मुख्य रूप से यह कार्य राज्य सरकार करेगी। सरकार भी आवश्यक कार्यवाही कर रही है। यह भावना ठीक नहीं है कि हमारा देश इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां तक रेशम उत्पादन के विकास की बात है इसमें हमारा देश विश्व में चौथे स्थान पर आता है। माननीय सदस्य की यह धारणा भी असत्य है कि व्यवस्था के उपरांत भी व्यय नहीं किया गया। पहली योजना अवधि के लिए 6,61,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा 5,75,000 रुपया वस्तुत, व्यय किया गया था। दूसरी योजना अवधि के लिए 20,50,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी और 15,30,000 रुपया व्यय किया गया था। तीसरी योजना अवधि के लिए 35 लाख रुपये की व्यवस्था थी और व्यय 30,20,000 रुपये था जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कार्यकारी दल ने उत्तर प्रदेश के लिए 51 लाख

रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया है तथा उसने सम्पूर्ण देश के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया है ।

Preess Release

+

*454. **Shri Molahu prasad :**
Shri Ram Charan :

Wiil the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Press releases given to the Press Information Bureau during 1967 and 1968 for issue;

(b) the number out of them which were in Hindi and English separately;

(c) the time which all the Press releases are likely to be prepared originally in Hindi; and

(d) the progress so far made in this connection ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) (क) से (घ) : कुछ अवसरों को छोड़कर, प्रेस संवाद विभिन्न मंत्रालयों विभागों आदि से प्राप्त या एकत्र की गई सामग्री । सूचना, जो अधिकांशतया अंग्रेजी में होती है, के आधार पर पत्र सूचना कार्यालय में ही तैयार किये जाते हैं । प्राप्त/एकत्र की गई सामग्री के आंकड़े भाषावार नहीं रखे जाते, परन्तु हिन्दी में प्राप्त या एकत्र किये जाने वाले प्रेस संवादों की संख्या बहुत थोड़ी है । तथापि, ऐसे अवसर आते हैं जब मूल सामग्री / सूचना अंग्रेजी में प्राप्त होती है और इस कारण प्रेस संवाद की पहली प्रति अंग्रेजी में तैयार करनी पड़ती है जो बाद में हिन्दी रिलीजों के लिये हिन्दी में अनुदित की जाती है । इसके साथ ही पत्र सूचना कार्यालय की हिन्दी यूनिट में स्टाफ पर्याप्त न होने के कारण हिन्दी के प्रेस संवाद जारी करने में प्रायः कुछ देर हो जाती है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ताकि हिन्दी के प्रेस संवाद जारी करने में देरी न हो ।

Shri Molahu Prashad : What are the steps proposed to be taken by the Government to bring out the Press releases in Hindi. I want to have the detailed information in regard to the action being taken by the Government in this matter.

The Minister of State in the Ministry of Informations Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): Attempts are being made to increase the staff at various places so that the informations received originally in English may be translated into Hindi and may be sent to the Press for Hindi releases expeditiously.

Shri Molahu Prashad : Hew much time will be required for making full arragements in this connection ?

Shri I. K. Gujral : It will take time.

Shri Molahu Prashad : The hon. Minister should clearly specify the period within which this task would be accomplished. It may be a period of one, two or five years or it might be a period of time when this Government would cease to exist.

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने में असमर्थ हैं ।

Shri Manubhai Patel : So far as the notes to be sent abroad are concerned they have to be published in English justifiably. I want to know whether Government have accepted any policy which deals with the material/information meant for internal purposes to be publised in Hindi; and if so, when it would be implemented so that the Press releases in Hindi can be treated as "authentic" so far as the internal matters are concerned ?

श्री इ० कु० गुजराल : पत्र-सूचना-कार्यालय अपने प्रसारण सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए ही करता है । सूचनाएं उस भाषा में ही देनी होती हैं जिसमें कि पत्र प्रकाशित होते हैं । इसलिए प्रश्न हिन्दी में सूचनाएं देने का नहीं है । उदाहरणार्थ यदि कोई पत्र तेलगु में प्रकाशित होता है तो हमारा प्रयत्न यही होता है कि सूचनाएं उसी भाषा में ही दी जाएं । सूचनाएं कोई हमें देता है ऐसी बात नहीं । हमारे सूचना अधिकारी को मंत्रालयों में जाकर आधार सामग्री एकत्र कर टिप्पणी तैयार करनी होती है और उसके आधार पर हम सूचनाएं अंग्रेजी हिन्दी एवं अन्य सम्बिन्धित भाषाओं में भेजते हैं ।

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Minister has just stated that the Press releases are not prepared in all the languages but are generally in English. The fact that Hindi and English are to continue as our official languages for the time being is known to every one. I do not, therefore, understand as to what is the difficulty in issuing press releases in Hindi even at this late stage. It is easy for the Minister to saythat it is difficult to find out competent persons to prepare press releases in Hindi. I think there are about 17-18 crores of people in India who are Hindi speaking and even then you cannot get persons competent to issue releases in Hindi. It so seems that the hon Minister holds a different policy and due to that he is not doing this job. So I want to know as to what is the difficulty in changing the policy and making arrangements for the issue of press releases in Hindi immediately in the Hindi regions. The hon. Minister may please let us know the time by which he shall be able to make arrangements for it ?

Shri I. K. Gujral : The hon. Member has misunderstood two things. First, we issue Press releases in every Indian language and such merely Eeglish and Hindi are not involved in the issue. The question is whether we send it first in Hindi on in English. All the material originally obtained in English is released. The after its Hindi translation are sent to the Presses and this process sometimes take many days. We are trying together the material originally in Hindi and have already initiated steps in this direction but as yet we are not in a position to do it as a whole. Anyhow our policy shall remain that English newspapers should get the releases in English and other Indian language papers should get it in the language of their publication.

Shrimati Lakshmikanthamme : There has already been a considerable delay in the matter. I would like to have an assurance from the Government as to the time by which it shall be possible to complete the arrangements for the issue of all the releases in Hindi ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि, "यथा सम्भव शीघ्र ।"

श्री एस० कन्डप्पन : खेद का विषय है कि हिन्दी के प्रचारक अपने अधैर्य के कारण उन कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देते जिनका कि संविधान द्वारा स्वीकृत अन्य राष्ट्रीय

भाषाओं को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सभी भाषाओं में सूचनाएं प्रसारित करना है परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आज जैसी स्थिति है उसमें उनके पास सभी भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था है तथा क्या वे तेलगू तामिल में प्रसारण दे सकते है जैसा कि वे हिन्दी में देते हैं। यदि वे आज ऐसा नहीं कर सकते तो क्या निकट भविष्य में उनका ऐसा करने का प्रस्ताव है ? ऐसा करने के लिए वे क्या प्रबन्ध कर रहे हैं . दूसरी बात यह है कि जब तक सूचनाओं को एक साथ भारत की समस्त भाषाओं में प्रसारित करने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अन्य-भाषी वर्गों एवं दूसरे सम्वाददाताओं के लिए जो हिन्दी के विज्ञ नहीं है, की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सभी सूचनाएं प्राथमिक एवं मूल रूप में अंग्रेजी में ही प्रसारित की जाएं।

श्री इ० कु० गुजराल : देश में हमारे 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका प्रथम कृत्य उन क्षेत्रों के समाचारों का संग्रह एवं उनका उक्त क्षेत्र में उसके पत्रों में प्रसारण तथा वितरण ही है। मुख्यतः हम भारत की सभी भाषाओं में कार्य कर रहे हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : मेरे दूसरे प्रश्न 'उस समय तक' का क्या उत्तर है ?

श्री इ० कु० गुजराल : ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निधि पहले ही दी जा चुकी है और इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray : It is apperent from the statement of the hon. Minister that whole emphasis is on the issue of Press releases in English. In reply to the question of Shri Kandeppan, he said that 20 regional offices have been opened. May I know where these offices are situated.

श्री इ० कु० गुजराल : इन केन्द्रों द्वारा हमने सभी राज्यों की राजधानियों को सम्बन्धित किया है और कुछ स्थान भी हैं जोकि समाचार पत्रों के मुख्य केन्द्र भी हैं। जालन्धर में भी एक केन्द्र है। परन्तु पूरा विवरण देने के लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सत्य नहीं है पत्र-सूचना-कार्यालय के विभिन्न राज्यों में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय पत्रों को अंग्रेजी प्रति ही प्रेषित करते हैं और वे उनको राज्य विशेष की राष्ट्रीय भाषाओं में उसका संप्रेषण नहीं करते। यदि यह सत्य है तो क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त व्यवस्था का आज 1969 में भी बने रहने का क्या कारण है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरी सूचना के अनुसार अधिकतर अनुवाद किए जाते हैं।

डा० रानेन सेन : मैं आपेक्षित सूचना चाहता हूँ। मुझे "अधिकतर" "मुख्यतः" आदि सूचनाएं आपेक्षित नहीं हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : "अधिकतर" से अभिप्राय है कि अनुवाद विशिष्ट भाषाओं में भी किये जाते हैं। जिस तथ्य की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हर क्षेत्र में अंग्रेजी पत्रों के साथ साथ भाषाई पत्र भी हैं। हमने अपने केन्द्रों को अधिकार दिया है कि

वे अंग्रेजी पत्रों को अंग्रेजी प्रति दें और भाषाओं में प्रकाशित पत्रों को उक्त भाषा की प्रति दें। इसलिए हमारे करने अथवा न करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम पहले ही कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन : आपकी सूचना ठीक नहीं। कृपया आप अपने कलकत्ता कार्यालय से पूछताछ करें।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं कि उनका कार्यक्रम अथवा उनकी सरकार की नीति यही है कि पत्रों को प्रसारण उसी भाषा में भेजे जायें जिसमें कि वे प्रकाशित होते हैं। क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनके अभिप्राय के अनुसार व्यवहार में कार्य भी हो रहा है अथवा नहीं ? यहां तक मुझे ज्ञात है भाषाओं के पत्रों को भी अंग्रेजी की प्रति ही दी जा रही है। क्या वह इस बारे में जांच करेंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : यदि किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो मैं उस पर ध्यान दूंगा।

श्री क० नारायण राव : क्या मैं जान सकता हूँ कि पत्रों की ओर से कोई शिकायत अथवा कठिनाई व्यक्त की गई है और यदि ऐसा नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान पद्धति को केवल भाषाई-वर्गों की भावनात्मक संतुष्टि के लिए बदला जा रहा है।

श्री इ० कु० गुजराल। हम परिचलित पद्धति को बदल नहीं रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पत्रों को सूचनाएं उसी भाषा में भेजी जाएं जिसमें कि वे प्रकाशित होते हैं। यह मंत्रालय न तो किसी भाषा के पक्ष में है और न ही किसी भाषा के विपक्ष में। हमारा मुख्य उद्देश्य समाचारों एवं सूचनाओं का प्रसारण करना ही है।

श्री इ० कु० गुजराल : अतएव, हमें उस भाषा के अनुसार अपने को अनुकूल बनाना है जिसे कि पाठक समझते हैं। उस भाषा में समाचार देने का कोई लाभ नहीं है जिसे पाठक नहीं समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रेस द्वारा किए गये शिकायत के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री इ० कु० गुजराल यह मेरे ध्यान में नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that whatever news come to them are mostly in English. I want to know whether the Ministry is going to make any such provision by which the news may be received in Hindi and no need may arise to translate them The Hon. Minister has stated that employees with Hindi knowledge are less so the difficulty arises. I want to know the number of employees who work in Hindi and who work in English ? If the number of employees, who work in Hindi, is less then how much and when will this be covered up ?

Shri I K. Gujral : One of the reasons of coming news in English is that our employees are like those of other offices. Whatever news come, it is in English. So here it is not

this question that whether we want to bring Hindi or not. The question is in which language we receive information. As far as the number of working emp oyees is concerned, at present there are 58 men in grade 1 and in Grade 2 namely Assistant Information Officer there are 57 officers. Out of these ten employees have proficiency in Hindi. We have written to Home Ministry to increase the strength.

श्री लोबो प्रभु : मेरे विचार में हम मूल भाषा के प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मंत्री महोदय ने बताया है कि बाद में सभी भाषाओं में इनके अनुवाद उपलब्ध रहते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या मूल भाषा उस भाषा में नहीं होनी चाहिए जो बहुत लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और क्या मूल भाषा में हर प्रकार के भाव सहजता और ईमानदारी के साथ प्रकट करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय सूचित करेंगे कि हिन्दी पत्र–पत्रिकाओं का अन्य दैनिक पत्र और पत्रिकाओं आदि के साथ क्या अनुपात है ? क्या उन्होंने इसकी जांच की है कि अब हिन्दी में हर प्रकार के भाव विशेषकर तकनीकी शब्द और बहुत ही उन्नत विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विद्यमान हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : अगर हिन्दी या उस कार्य के लिए कोई भी अन्य भारतीय भाषा में पर्याप्त शब्द सामर्थ्य नहीं है तो सरकार इस बात से वचन बद्ध है कि भारत की सब भाषाओं को विकसित किया जायेगा। क्योंकि भाषाएं तभी विकसित होती हैं जब हम उन भाषाओं में अपना विचार व्यक्त करना आरम्भ कर दें। अतएव अगर कोई भाषा किसी विशेष स्तर तक पर्याप्त विकसित नहीं है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इसको विकसित करें ताकि यह सांस्कृतिक विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। मेरा किसी भाषा से झगड़ा नहीं है। जहां तक अंग्रेजी का सम्बन्ध है, हम अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

श्री लोबो प्रभु : हिन्दी समाचार पत्रों का प्रतिशत अन्य समाचार पत्रों की तुलना में कितना है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे उत्तर देने के लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री स० कुन्दू : प्रश्न उस भाषा से नहीं हैं जिसमें समाचारों का प्रचार किया जाता है। क्या मंत्रालय का उस समाचार पर नियंत्रण रहता है जिसका कि प्रचार किया जाता है ? मेरे विचार में प्रेस सूचना कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों के कार्यवाहकों का निरर्थक विवरण, प्रेस सम्मेलन जो कि मंत्री कराते हैं और परिवार नियोजन पर सलाह देती है जो कि टेलीफोन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वे यह पता लगा सकें कि किस प्रकार के समाचारों का प्रचार किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रेस सूचना कार्यालय संसद सदस्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में समाचार भी देगा।

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य दो बातों को मिला रहे हैं। प्रेस सूचना कार्यालय की भूमिका माध्यम की भूमिका नहीं है। यह मुख्यतया सरकार के कार्यों के बारे में समाचार और सूचना एकत्रित करती है और फिर आगे प्रेस को इसको प्रयोग में लाने के लिए,

अगर वे चाहें, दे देती है। इसके अतिरिक्त, प्रेस सूचना कार्यालय सामग्री की पृष्ठभूमि भी देती है ताकि पाठक उस सामग्री का भलि-भांति प्रयोग कर सकें। आकाशवाणी की भूमिका प्रेस सूचना कार्यालय से भिन्न है।

श्री स० कुन्डू : यह क्यों मंत्रियों द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलनों के समाचार आदि को देती है ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह इसी उद्देश्य के लिए हैं।

Advertisements to Newspapers with the approval of Press Council

\+
*455. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government advertisements would be given only to those newspapers in whose case the Press Council has given their approval for the same; and

(b) the number and names of such newspapers in whose case the Press Council has not given approval for giving advertisements ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ranjit Singh : It is a well known principale of administration that Press and its affiliated newspaper, which are called Fourth Estate, help in the administration. They should be regarded Third Estate and not Fourth Estate because ours lord is not temporal India is the only exception to this principle in all democratic countries which instead of giving freedom to Press to awaken the masses has controlled it and want to disseminate the principles of their parties through it. The first weapon in the form of control is to give public advertisements to those selected newspaper which support them. I want to know whether the Government fix such impartial policy so that the Public advertisements may be given equally to all newspapers and there may not be any discrimination ? In addition whether the Government will take decision in this regard that those advertisements which are given to English newspaper should also be given to newspapers in other languages ?

Shri I. K. Gujral : The Hon. member has dealt mostly on general points and fewer questions have been asked.

श्री रंगा : प्रश्न यह है कि क्या वे कोई भेदभाव नहीं दिखायेंगे।

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने कहा है कि सरकार पूर्णतया निष्पक्ष है।

Shri Ranjit Singh : If the Government refute my this charge then I want to know from the Hon. Minister whether he is prepared to lay down the figures before the House to show the number of newspapers which have absolutely not been given Public advertisements and the number of newspapers which are affiliated to political parties but get Public advertisements and how much. It is my request to him that whatever clarification as well as figures he gives in this respect will be correct by and large.

Shri Jagannath Rao Joshi : It is a well known principle but more accepted principle of democracy that criticism should be based on the interest of the country and it should be impartial Papers of such type should be encouraged. Where there is such thing, the democracy runs smoothly. I do not want to point out the names. Is it not a fact that those papers whose circulation is vast and are critical to Government do not get Public advertisement whereas those papers who flatter the Government and are less in circulation get Public advertisement? I want to know that if it is true then what are the criteria for giving advertisements to papers ?

श्री इ० कु० गुजराल : विभिन्न समाचार पत्रों को विज्ञापन देने का मापदण्ड मुख्यरुप से प्रसार, इसका प्रभाव पठनीयता आदि हैं। अगर यह छोटा अखबार है तो उसको अधिक सहायता मिलनी चाहिए। हम उन समाचार पत्रों को प्रोत्साहन नहीं देते जो साम्प्रदायिकता का प्रचार करने के लिए बदनाम हैं अथवा अश्लील अखबार हैं।

Shri Suraj Bhan : Shri Ranjit Singh had asked a supplementary question and in reply to this the Hon. Minister stated that what the Hon. Member had explained represent the policy of the Government. The Hon. member had asked whether it was not true that the Government give advertisements to some papers for taking undue advertisement for its party ? In reply to this the hon. Minister has stated in advertently that this is the policy of the Government. If it is the policy of the Government then it is a good thing and they can continue giving advertisement but if it is not the policy then I want that the Hon. Ministers should explain it.

You have set up a Press Council, I want to know that as far as the giving of advertisement is concerned, why not their recommendations are not implemented ?

I also want to know that how much material you have given to newspaper for the last three years, the names of the papers and the amount thereof ? Will you colleet the information and lay on the table of the House ?

Shri I. K. Gujral : Probably the Hon. Member has not followed me properly. I replied in affirmative only on one point of Shri Ranjit Singh. And the point was that we were absolutely impartial in this matter.

Regarding the names of papers and the amount thereof, it is stated thai these are given on the basis of their circulation. If the Hon. member wants to ask about some particular paper then I can inform him. One thing should be kept in mind. There are hundreds of papers in this country through which these advertisements are published. So there is no question of any particular paper. As far as my party is concerned, you know that this party has no particular paper of its own. As far as the press Council is concerned there is no such provision in the Press Council Act and such it is not asked. The second thing is that a Committee of members of Parliament was constituted in which it was stated that Press Council should not be brought in this matter and Press Council should not be made a consultative body of the Government.

Shri Brij Bhushan Lal: The advertisements are given to papers on the recommendations of Press Council Act then whether it does become obligatory on the part of the Government that when the Press Council approve to give advertisement then their recommendations should not be rejected ? If it is rejected then the reasons thereof ?

I also want to know that whether the criteria of advertisements are same to big and small newspapers ? If so, then I want to ask whether you will adopt another criteria to give advertisements to small newspapers so that they may get advertisements in large numbers ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने अभी कहा है कि प्रेस परिषद को हमें सलाह देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अतएव प्रेस परिषद हमें सलाह नहीं देता है। मैं केवल इस सभा को ध्यान प्रेस परिषद के कार्य के सम्बन्ध में संसद सदस्यों के प्रतिवेदन के कंडिका 68 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें विशेष रूप से यह कहा गया है कि प्रेस परिषद को सलाह देने के लिए नहीं कहा जाये। जहां तक छोटे समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, उनको हम सहायता दे रहे हैं। हम उन्हें बड़े समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक सहायता दे रहे हैं। उदाहरण के लिए 66 प्रतिशत वर्गीकृत विज्ञापन बड़े समाचार पत्रों की तुलना में छोटे समाचारपत्रों को दिए गए।

Shri Ram Gopal Shalwale: May I know whether the Government have prepared any statement of this nature that inspite of the acceptance of Press Council such newspapers have not been given advertisements who do not support the policies of Congress on political basis ?

Secondly, I want to know whether Al. Zamiat published from Delhi get Government advertisements whereas this paper propagate the policies of Pakistani policies openly and create communal feelings among the minority ?

I also want to know the proportion of advertisements given to newspaper of English and Hindi ?

Shri I. K. Gujral : Regarding the Council is concerned, I have replied to this. As far as the giving advertisments in papers of Hindi and other languages is concerned, our main policy is to give advertisements on the basis of the area and the work for which the paper is published. I have stated that we try to give more advertisements to small newspapers in comparison to big newspapers so that small papers may flourish If the question pertains to the our policy to some particular paper then I think that it would be not proper to talk about some particular paper.

Shri Ram Gopal Shalwale : I asked about Al- Zamiat that whether it was communal or not.

Shri I. K. Gujral : If the Hon. member has grievance against some particular paper that it has relation with other country then I would request him to place this matter before the press Council.

श्री अनन्तराव पाटिल :—सरकारी विज्ञापनों को समाचार पत्रों में देना बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है। यह छोटे और मध्यम आकार वाले समाचारपत्रों के लिए जीवन व मृत्यु का सम्बन्ध है। अतएव मेरा सभा से अनुरोध है कि वे मुझे ध्यान से सुनें यद्यपि समय समाप्त हो चुका है। सरकारी विज्ञापनों का विवरण इस समय बहुत दोषपूर्ण हैं। यह बड़े

छोटे और मध्यम आकार के समाचारपत्रों में भेद रखता है ; यह अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचारपत्रों में भेद रखता है । छोटे समाचार पत्र सम्बन्धी जांच समिति ने सरकार को सिफारिश की थी कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को चाहे वे छोटे हों या मध्यम आकार के, अधिक विज्ञापन दिए जाएं । डी ए० वी० पी० ने इस सिफारिशों पर अमल किया और छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन देना आरम्भ किया था । मैं किसी राजनैतिक दल से संबंधित समाचारपत्रों के गुण दोष में नहीं जाना चाहता, मैं तथा और भी कई छोटे और मध्यम आकार के समाचार-पत्रों के प्रति चिन्तित हैं । भारतीय भाषा समाचार-पत्रों की सभा ने सरकार से अनुरोध किया था कि डी० ए० वी० पी० को छोटे समाचारपत्रों में संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देने चाहिए क्योंकि वे भी समाचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । परन्तु बड़े समाचारपत्र और इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स एसोसिएशन इसका विरोध कर रहे हैं । उस स्थिति में छोटे तथा मध्यम आकार के समाचारपत्रों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न नहीं कर रहे हैं अपितु वक्तव्य दे रहे हैं । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Poetic Symposium on Ghalib

S.N.Q +5. Shri Madhu Limaye :
Shri George Fernandes :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a poem, recited in the poetic symposium organised to celebrate Ghalib Centenary, was broadcast after some pruning and distortion on the 17th February 1969;

(b) if so, the reasons for this improper editing of the poem;

(c) whether some writers of Delhi have issued a statement in portest thereof; and

(d) if so. the reaction of Government thereof ?

Minister of Information, Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) and (b) : A radio report on the Kavi Sammelan held in connection with Ghalib Centenary Celebrations on 16th February was broadcast from Delhi Station of AIR on 17th February, 1969. Extracts from poems recited at the Sammelan were included in the radio report. Since it was a radio report and not a relay, only extracts from poems were included. There was no improper editing or distinction of any poem.

(c) An unsigned copy of a statement said to have been issued by a group of Hindi writers and poets has been forwarded to Government by Shri George Fernandes.

(d) The allegations against AIR made in the statement cannot be accepted by Government.

Shri Madhu Limaye : The name of the hon. Minister contains "Satya" as well as "Narayan", but there is no "Satya" (truth) in his reply.

Shri Shivajirao S. Deshmukh : His name contains "Singh" also.

Shri Madhu Limaye : I am raising the point why his All India Radio tampers with the poetry ? So, "Singh" does note come in picture here.

I find three mistakes or mis-statements in the statement given by the hon. Minister on this subject. Firstly he has said that all the poems which were recited have been curtailed. It is his very wrong statement. Secondly, he has said, "what could be curtailed from those poems which were recited by their authors only for two or three minutes ?" But the fact is that most of the poets recited two poems each and the A. I. R. included one poem of each poet without any curtailment, This is also their mistake. Thirdly he has wrongly stated that Shri Kailash Vajpayee's poem was of 10 minutes duration. It was only one and a half page long and if you ask for it I can read it out and you can note how much time it takes to be read out in full. Shrimati Tarkeshwari Sinha is not in the House at present otherwise I would asked her to recite it here. I cite only a part of that poem which was deleted otherwise I could prove that its recitation in full could note take more than five minutes. The title of Shri Kailash Vajpayee's poem is "Ek Khat Ghalib Ke Nam" (a letter addressed to Ghalib). Two excerpts have been deleted from it. I want to read out only one of those parts. This part speaks about the people, particularly the Ministers who play mischiefs but still overe 'the people to whom they have made many promises but forgotten all immediately after becoming a Minister.

The second one is from Shri Shrikant Verma's poem "Samadhi Lekh". This deleted portion also suggests about the false promises and illusiory talks of the Minister.

Since both of these poems put satirical remarks on these people, their relevant portion were edited away. There was a time when Ghalib also wrote very good poetry and the Britishers tortured him. Would Shri Satya Narayan Sinha also permit such sorts of censure in the poetry even in this of our Democracy."

श्री रणधीर सिंह : यह कविता नहीं बल्कि उसकी नकल है ।

Shri Satya Narayan Sinha : The house must have understood for the extracts cited by the hon. Member how far the poetry has been censured. I leave it to the House to decide about it.

Shri Madhu Limaye : The house has well understood it that those portions were delibrately deleted since they reflected upon the people in power.

Shri Satya Narayan Sinha : Such a method of radio broadcast has been prevalent since the very birth of All India Radio.

Shri S. M. Joshi : What is that method ?

Shri Rabi Ray : That was a wrong method.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister should explain about his three mistakes. He said that Shri Kailash Vajpayee's poem was of 10 minutes' duration whereas actually it was that of four or five minutes only.

Shri Satya Narayan Sinha : Was the hon. Member present there ?

Till today, the procedure has been that the All India Radio receives requestes for covering functions like music conferences. Kavi Sammlans, Mushairas, speeches etc People know that all the proceeding of such functiona are not broadcast in such radio reports and only some excerpts are broadcast. There is a difference between a radio report and a relay As a Press Report is authorised to use his dicretion in covering the extracts from the speeches of the people, similarly a radio reporter is also empowered to do so. The actual programme lasted for 45 minutes whereas the radio report was broadcast for 50 minutes only. In such circumstances, the radio reporter is well empowered to use his dicretion in editing the items; and the same was done. For future we have asked the Director of All India Radio that if he receives certain requests for covering such functions, he may make it clear to the organisers of those functions that it would not be essential that the poems etc. recited in those functions would all be broadcast and also in full, since there is no time for the same. If the organisers do not agree, those programmes should not be reported to and should be left out, but the common people .....

Shri Madhu Limaye : I have not got reply even for my single question, and you would point out that I am interrupting him in between. I have invited his attention towards his three mistakes. Straight replies should be given to each of them.

Shri Satya Narayan Sinha : I have stated that the poems which lasted for two or three minutes were not edited ... .

Shri Madhu Limaye : You withdraw your words that Shri Kailash Vajpayee's poem was of 10 minutes' duration.

Shri Satya Narayan Sinha : Kailash Vajpayee's poem was of 8 minutes' duration. Neither you nor I happened to be present there. So how can we say in what manner it was recited ?

Shri Madhu Limaye : Then you get it re-broadcast and here it, you have got its record. You look up to the watch.

Shri Satya Narayan Sinha : I am stating this on the basis of the report that we have..... ..

Shri Madhu Limaye : Why are you giving a wrong statement. You are a man who loves poetry very much. Then, why was it tempered with ?... .. (interruption) What can I do if he does not give a reply ? Get me an answer.

Shri Satya Narayan Sinha : It is 10 minutes in our report and I am stating it on that account. We have answered it in the Raiya Sabha also the other day. We have not said anything wrong. Poems lasting for two or three minutes were not curtailed.

Shri Madhu Limaye : Those poets recited two poems and you included one of each poet. Then how was this edited ?

Shri Satya Narayan Sinha : That must have been a small poem and thus it was included. You understand it that it is the discretion of the reporter just like that of a press reporter. We have not given any instruction to him nor did he consult us in this regard. It is just like a press reporter reporting Shri Madhu Limaye's speech and eliminating the portions which the reporter did not like. So, it is the discretion of the reporter only, if he did not publish that.

Shri Madhu Limaye : First of all, there is a great difference between a speech and a poem. According to my feeling, no speech should be broadcast although the ministers' speeches are broadcast very often.

My second supplementary question is that the hon. Minister is a lover of poetry and recites poems and also extracts from Tulsi's Ramayana also-none knows what has happened to him these days. So, would he give an assurance to this House that with a view to encouraging the poets and versa writers he would never permit any editing of such poems-not the Minister' speeches; they are always very boring-during his tenure ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have already stated that we have instructed the Director of All India Radio that in such functions he should tell the organisers .....

Shri Madhu Limaye : I had not asked that. I had asked for an assurance that such editing will not be done and the freedom of the poets and literateurs will not attacked in this way.

Shri Satya Narayan Sinha : You see. there is a lot of difference between a relay and an edited broadcast where the reporter is empowered to delete the portions which he does not like-But in case of a relay, full poem is recorded and it is broadcast.

Shri George Fernandes : The hon. Minister wants to tell us the difference between a relay and a broadcast. But we fail to understand how only those lines were deleted which offered a little bit criticism on you or your machinery ? Shri Madhu Limaye has recited only two lines. I want to recit Kailash Vajpayee's the others lines also which suggest that the atmosphere which existed in India during 1857. The same is prevalent have now also. Mr. Speaker, you will realise that only those lines have been deleted from the broadcast which pained the Minister, and that is why there is no strength in his arguments.

Now I want to know that as the hon Minister has stated that the poems of Shri Kailash Vajpayee and Shri Shrikant Verma were very long and so they were edited, whether it is not a fact that several of this poems which you broadcast from AIR in full were longer than these two poems ?

(2) Is it not binding upon you under the Copy right Act to take the permission of the poet if you broadcast more than six lines of his poems ?

Shri Satya Narain Sinha : About the copyright we have consulted the Law Miuistry glso... (interruptions) and that Act is not applicable here. It exempts the press reports and radio broadcasts. As I have stated when one goes to the make to recite one's poem, it is evident that his approval for the recitation is there. Therefore in future we would make it clear that we may perhaps not broadcast the poem in full It is only upto the poet to choose whether to recite or not to recite. But can never give an assurance that the poem will be broadcast in full. Earlier also, these have been four symposia is that very month and there were addressed by the president and Vice President. Here also the same sort of editing was done but no objection was raised. It may be there that the deleted portions of those poems there in some remarks on us but do you think that the reporters consult us before deleting or editing any portion ?

Shri George Fernandes : It is under your policy to delete what is against Government.

Shri Satya Narayan Sinha : It is not a policy you can listen to the radio programmes. There occurs severe criticism of the Government and we have freely allowed it.

Shri George Fernandes : I have been given in complete reply. I had asked whether it was not a fact that he had broadcast Such poems which were given more time than these two poems ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have read out the relevant portions which were deleted from those poems.

Shri George Fernandes : My question is different.... ..

Shri Satya Narayan Sinha : Each poem's duration has been recorded and it is five minutes, seven minutes, seven minutes, eight minutes etc, Poems for 2-3 minutes durations were not edited. What could be taken out of a poem lasting for two minutes only ?

श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्योंकि कला, संगीत तथा काव्य पर चर्चा करने के लिये हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, तो क्यों न हम उन कविताओं को सुन लें तथा मन्त्री महोदय उन्हें पढ़ कर सुनायें ?

अध्यक्ष महोदय : अगली बार । श्री नाथ पाई !

श्री नाथ पाई : प्रश्न यह नहीं है कि किसको कितना समय मिला तथा उसकी कितनी पंक्तियां प्रसारित हुई । प्रश्न तो यह है कि क्या नौकरशाहों को ऐसी चीजों में कांट–छांट करने का अधिकार देना चाहिए जो कि निश्चित रूप से सौन्दर्य–शास्त्रीय है । यह निस्सन्देह बड़ी खतरनाक बात है कि इस बात का फैसला नौकरशाह करते हैं कि एक कवि क्या लिखे और क्या न लिखे । हमने वे कवितायें सुनी थीं । ये कवितायें हमें उन लोगों ने भी दीं थीं जो इस बात से दुखित तथा अपमानित हुए थे । आपको यह जानकर दुःख होगा कि किस प्रकार आकाशवाणी देश के बड़े बड़े सृजनकारों का सम्मान करती है । हमारे और मंत्रियों के भाषणों को तो लोग भूल जायेंगे, उन्हें नरक में डालेंगे, परन्तु कवि तथा कलाकार जो भी रचना करते हैं उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी । यदि किसी कवि की कविता दोबारा पढ़ी जाती है तो आकाशवाणी उसे 4 आने देती हैं । मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा अपमान भी कहीं होता है । मैं अशोक चन्दा समिति का सदस्य था और मैं इस बात को जानता हूं । मेरे विचार से कवियों का ऐसा आदर कहीं नहीं होता । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह इस आधार भूत समस्या का सुधार करेंगे कि कविताओं में काट-छांट नहीं की जायेगी ? आकाशवाणी चाहे तो कविता को अस्वीकार कर दे परन्तु इसमें कांट-छांट करके उसमें निहित भावना को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : जैसा कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, यहां प्रश्न काट-छांट का नहीं है । मेरे विचार से माननीय सदस्य यह बात समझेंगे कि सम्पादन और कांट-छांट में अन्तर है । अब तक यह प्रक्रिया रही है कि ऐसी कविताओं तथा ऐसे भाषणों का सम्पादन किया जाता है । और यही बात आज तक होती आई है ।

श्री नाथ पाई : क्या कविताओं में कांट–छांट करने की अनुमति है ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : नहीं ।

श्री नाथ पाई : क्या आप इस प्रकार के निर्देश देंगे ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : हां ।

श्री नाथ पाई : तो फिर यह क्या था ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : निर्धारित समय के अनुसार तथा उपलब्ध समयानुसार कविता में से कुछ अंश निकालने पड़े । इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था ।

श्री बेद व्रत बरुआ : मेरे विचार से आकाशवाणी शासक दल के उद्देश्यों की पूर्ति करने की दोषी नहीं है । यदि हम इसके कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करें तो हमें इसकी स्वतंत्रता का पता लग जायेगा । इस बात को देखते हुए कि किसी स्तर पर आकाशवाणी को स्वेच्छा से भी कार्य करना चाहिये मैं जानना चाहूँगा कि क्या आकाशवाणी को स्वेच्छा से कार्य करने के लिये काफी अवसर दिये गये हैं, क्या ऐसे नियम बनाये गये हैं कि किसी कविता अथवा गद्यांश से विवादस्पद अंश काट दिये जायें ताकि उन रचनाओं से किसी समुदाय अथवा राजनैतिक दल की भावनाओं को चोट न पहुंचे चाहे वह दल कांग्रेस हो अथवा विपक्ष हो ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : जहां तक मुझे मालूम है आकाशवाणी में तो कोई काट-छांट नहीं होती । मैं यह पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह कांट-छांट नहीं थी, केवल सम्पादन था, तथा जो व्यक्ति वहां जाता है उसे यह स्वेच्छाधिकार है ....(व्यवधान)

श्री हेम बरुआ : क्या एक नौकरशाह किसी कविता का सम्पादन कर सकता है ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : दशाब्दियों से आज तक ऐसा होता आया है । या तो हम रिले करें या फिर ऐसी कविताओं का प्रसारण ही न हो । यदि आप यह चाहते हैं तो हम यह भी स्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ?

श्री हेम बरुआ : एक बार मुझे कविता पढ़ने के लिये कहा गया था "अशावाद-एक अपूर्ण कविता ।" इस पर एक आपत्ति थी.... ...

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । श्री बनर्जी !

श्री हेम बरुआ : आकाशवाणी की ओर से यह आपत्ति थी कि कविता अपूर्ण है । परन्तु अशावाद भी तो एक अपूर्ण चीज है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी !

Shri Shiv Charan Lal : Mr. Speaker, I am myself a poet and the same sort of unjustice has been to me also. I too go to all India Radio.

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार मुझे नहीं चला सकते । यहां न जाने कितने कवि हैं । यह कोई कवि-परिषद नहीं है । श्री बनर्जी !

Shri S. M. Banerjee : Had Mirza Azadullah Khan Ghalib been alive now and had heard this answer, he would have said

"Ham ko un se wafa ki hai umeed,

Jo nahin jante wafa kya hai."

("We expect faithfulness from those who do not know what faithfulness is")

Therefore, I want to know from the hon. Minister that suiel the Government want to perpetuate the memory of Ghalib on the occasion of Ghalib Centenary, and also to do a lot of other things to perpetuate the memory of Ghalib in the minds of the people, what programmes have been prepared by the all India Radio for the progress of Persian and under Urdu languages in which Ghalib wrote.

Shri Satya Narayan Singh : As regards Ghalib centenary celebration, on other poet has been so lucky that such type of function and symposia would have been organised in him memory. Once, in a Kavi Sammelan I had clearly stated that in case of a relay the whole poem would be broadcast, but it should be understood that either the broadcast should be stopped or it will have to be edited, censored as per the meanings in connection with a radio broadcast. It is the sweet will of the poet to.....

Shri S. M. Banerjee : I have asked about progress of urdu language. Do not get angry.

Shri Satya Narayan Singh : You can not have two choice. We are firm of the proce duer of radio broad cast and relay.

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने समय के आवंटन के बारे में नहीं पूछा था । मैं तो केवल उर्दू भाषा के बारे में पूछा रहा था तथा यह जानना चाहता था कि उर्दू भाषा की उन्नति के लिये क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं । उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायतें

*456. **डा० रानेन सेन** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के प्राधिकारियों द्वारा कलाकारों की भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्यम स्तर के उन कलाकारों को, जो कलकत्ता केन्द्र के प्राधिकारियों की निगाहों में अच्छे हैं, कलकत्ता केन्द्र में प्राथमिकता दी जाती है, और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) से (ग) : जी, हां । कुछ स्टाफ आर्टिस्टों की भर्ती के बारे में शिकायतें हुई हैं और अखबारों में टिप्पणियां छपी हैं । कैज्युअल आर्टिस्टों को बुक करने के बारे में भी शिकायतें हुई हैं । स्टाफ आर्टिस्टों की भर्ती नियमों के अनुसार गठित चयन समितियां करती हैं जिनमें बाहरी असेसर होते हैं । अतः सामान्यतः इस प्रकार की शिकायतों के लिए कोई आधार नहीं होना

चाहिए, परन्तु क्योंकि शिकायतें की गई हैं, अतः मामले की विस्तार से छान बीन की जा रही है और जहां आवश्यक हुआ उपचारी कार्रवाई की जाएगी ।

Broadcasting Stations in India

*457 **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the number and location of Broadcasting Stations in India at present ;

(b) the number and location of new broadcasting stations proposed to be opened during 1969 ;

(c) whether there are any parts of the country where these broadcasts cannot be heard ;

(d) if so, the names of such parts ; and

(e) the time by which arrangements for broadcasts in such areas will be made ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) (a) : A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT- 322 69]**

(b) A new broadcasting station was inaugurated at Dibrugarh on Friday 15, 1969. No. other new broadcasting station is expected to be opened during 1969, but a number of new transmitters will be commissioned into service during 1969 at some existing stations.

(c) and (d): A. I. R. broadcasts can be heard all over the country. There are however some parts which receive only second grade service and do not fall within the primary service area of medium wave stations.

(e) With the completion of the schemes proposed in the 4th Five Year Plan, 76% of the area and 89% of the population is expected to be covered by the first grade broadcast service. Further expansion will be undertaken in subsequent plans.

केरल में छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्मों का प्रदर्शन

*458. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के थियेटरों में केवल मार्क्सवादी साम्यवादी कार्यकर्ताओं को वियतकांग में छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्में और वियतनाम की जनता की "एपिक लिबरेशन स्ट्रगल" नामक फिल्में दिखाई गई थीं,

(ख) क्या इन फिल्मों का 'सेंसर' किया गया था, और

(ग) ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन करने के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) : जी, हां ।

(ख) जी. नहीं ।

(ग) अप्रमाणित फिल्मों के प्रदर्शन की सरकार द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई ।

आकाशवाणी के "ट्रांसक्रिपशन तथा प्रोग्राम एक्सचेंज" कर्मचारियों का दिल्ली से बम्बई तबादला

*459. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के ट्रासक्रिपशन तथा प्रोग्राम एक्सचेंज सेवा के 200 अधिकारियों तथा कर्मचारियों का दिल्ली से बम्बई को तबादला किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)

(क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

किसानों के लिये प्रचार एवं सूचना अभियान

*460. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागार्जुन सागर आयकट क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों और कृषि विभागों के बीच सीधी बातचीत को बढ़ावा देने के लिये "प्रचार एवं सूचना आन्दोलन" नाम से एक अभियान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान का संक्षित ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या यह अभियान भारत के समी ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) इस पर कितना धन व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे (क) : हां, जी ।

(ख) राज्य सरकार के विकास विभागों के समन्वय के साथ भारत सरकार के क्षेत्र प्रचार निदेशालय और आन्ध्र प्रदेश सरकार के जनसम्बन्ध शाखा ने मिलकर आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन–सागर आयाकट क्षेत्र में एक दस दिवसीय तीव्र प्रचार–व–सूचना अभियान संगठित किया था । अभियान का उद्घाटन तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री के० के० शाह ने नागार्जुन सागर में किया था और वह 17 जनवरी से 26 जनवरी, 1969 तक रहा । नहरों के सीधे और बाये दोनों किनारों पर स्थित 70 ग्रामों में यह कार्य किया गया ।

(ग) जी हां । इसे अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तृत किया जा सकता है यदि राज्य सरकारें ऐसा चाहेगी और आवश्यक सहायता तथा समन्वय प्रदान करेगीं ।

(घ) फिल्म डिविजन ने "वेयर वर्क इज़ वर्शिप" शीर्षक वाली एक डौकुमेन्टरी फिल्म के छः अतिरिक्त प्रिन्ट विशेषत : इस अभियान के लिये बनाये और अभियान के दौरान प्रयोग के लिये क्षेत्र प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी को दे दिये गये। प्रिन्टों पर आये 1,857.75 रूपये के व्यय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सामान्य बजट में मिला लिया गया। और अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया। राज्य सरकार ने "नागार्जुन सागर कृषि पद्धतियां" (तेलुगु में) शीर्षक वाली एक विवरणिका का प्रकाशन किया जिसे क्षेत्र प्रचार निदेशालय के अधिकारियों के अभियान के दौरान बांटा। विवरणिका के मुद्रण का व्यय राज्य सरकार ने वहन किया।

Complaints Against officials of Food Corporation of India

*461. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Onkar Singh : **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints from Rajasthan. Gujarat and other States against some officials of the Food Corporation of India during 1968 ;

(b) if so, the names of those officers as also the details of complaints made against them ;

(c) whether Government have forwarded some of these complaints to C. B. I. for investigation ; and

(d) if so, the details thereof and the result of investigations held by the C. B. I. ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) : Yes, Sir.

(b) to (d): Complaints were received against some officers and the allegations contained in those complaints were mostly about corruption, favouritism, submission of false claims etc. Some of the complaints have been referred to the C. B. I. for investigation and the result of C. B. I. investigation has been received only in two cases. In one case the allegation has not been substantiated and in other the matter is under consideration in consultation with the Central Vigilance Commission. As the other complaints are still under investigation it will not be appropriate to give the names of the persons unless the allegations are substantiated.

Shortage of Small Tractors

*462. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of samll tractors suitable to the Indian needs in the country ;

(b) the estimate of yearly demand of tractors in the next five years ; and

(c) the proposal of Government to meet this demand ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) (a) : Yes, Sir.

(b) The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation has assessed the demand for small tractors upto 20 DBHP in the next five years as under:.

1969–70	18,000 numbers
1970–71	18,000 numbers
1971–72	20,000 numbers
1972–73	22,000 numbers
1973–74	25,000 numbers
Total	1,03,000 numbers

(c) It is proposed to meet the demand by setting up indigenous manufacturing units and also by imports to the extent possible.

गुजरात में वनों पर आधारित उद्योग

*463. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में गुजरात के वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है जिससे इन क्षेत्रों में वनों पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने की व्यवहारिकता का पता लगाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के परिणाम निकले हैं ; और

(ग) गुजरात में वनों पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिये किसी योजना अथवा अस्थायी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) : जी नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं होते ।

चीनी की कमी

*464. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में चीनी की अत्यन्त कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को दूर करने तथा नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) : अत्यधिक कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) चीनी की मासिक निर्मुक्ति की मात्रा 23–1–1969 से 1.66 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1.96 लाख मीटरी टन कर दी गई है । पहली मार्च, 1969 से त्यौहारों के लिए 25,000 मीटरी टन लेवी चीनी का एक तदर्थ कोटा भी दिया गया था ।

महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन

*465. श्री चेंगलराया नायडू : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के सहयोग से महाराष्ट्र में उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक दूसरा सहकारी उद्यम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उसकी क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या पहला कारखाना जो सहकारी संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया जाना है पूरा हो गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ङ) उस कारखाने की क्षमता कितनी होगी और उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) : जापान के तकनीकी सहयोग से एक ऐमोनियम क्लोराइड फर्टीलाइजर तथा सोडा राख संयंत्र स्थापित करने का एक अस्थायी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रारम्भिक अध्ययन लगभग 11 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश का सकेत देते हैं । प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता 60,000 मीटरी टन ऐमोनियम क्लोराइड फर्टीलाइजर प्रति वर्ष परिकल्पित की गई है । इसके अतिरिक्त इतनी ही मात्रा में सोडा राख भी तयार होगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस कारखाने के 1972 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है ।

(ङ) कारखाने की क्षमता नीचे दी गई है—

ऐमोनियम	–	318,500 मीटरी टन प्रति वर्ष
यूरिया	–	382,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
कम्पलेक्स फर्टीलाइजर्स	–	637,000 मीटरी टन प्रति वर्ष

इस कारखाने पर कुल 90 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है ।

नेपाल को गेहूँ का निर्यात

*466. श्री बाबू राव पटेल :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष नेपाल ने भारत से गेहूँ खरीदने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष नेपाल हमारा गेहूं खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर तराई क्षेत्र में बढ़िया बीजों से खेती करने के कारण भारी मात्रा में गेहूं की फसल हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत ने इस वर्ष नेपाल का फालतू गेहूं खरीदने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में गेहूं खरीदा जायेगा और उसका मूल्य कितना होगा; और

(ङ) भारत में खेती के लिये नेपाल से बढ़िया बीज प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : गत वर्ष नेपाल की महामहिम सरकार ने नेपाल में खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए 10,000 मीटरी टन गेहूं देने के लिए कहा था। इस सम्बन्ध में मार्च, 1968 में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था; लेकिन बाद में नेपाल की महामहिम सरकार ने मई, 1968 में हमें सूचित किया कि नेपाल में बहुत अच्छी फसल होने से खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है और गेहूं की आवश्यकता नहीं है। अतः यह आवंटन रद्द कर दिया गया।

(ग) इस मामले में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि नेपाल ने भारत से गेहूं के बीज खरीदे थे।

कपास के संकर—4 बीज

*467. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के कैरा जिले के सरसा गांव के एक कृषि अनुसंधानकर्त्ता ने कपास के संकर–4 बीज का आविष्कार किया है जिस से हम लम्बे रेशे की कपास का आयात बन्द कर सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नये आविष्कार को सुपरिचित कराने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) संकर–4 कपास का विकास सूरत में हुआ है जो कि अखिल भारतीय कपास समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अधीन मुख्य केन्द्र है। यह विकास विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है जोकि गुजरात राज्य के कैरा जिले के सिरसा

नामक स्थान के निवासी तथा गुजरात राज्य के कपास विशेषज्ञ श्री सी० टी० पटेल के पथ प्रदर्शन के अधीन कार्य कर रहे थे। अतः इसे अकेले एक वैज्ञानिक की खोज नहीं कहा जा सकता।

संकर-4 कपास अभी वाणिज्यिक खेती के लिये निर्मुक्त नहीं की गई है अतः अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि इस के विकसित होने से हम लम्बे रेशे की कपास का आयात समाप्त कर सकेंगे।

(ख) संकर 4 कपास का विकास दो जनकों अर्थात् गुजरात 67 तथा विदेशी किस्म हीरासुतम, नैक्टेरीलैस से हुआ है।

साधारण परिस्थितियों में संकर 4 में लगभग 3950 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर बिनोलों की उपज देने की क्षमता है। इस की वेलने की प्रतिशतता 32 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक है, और इसकी कताई की क्षमता 50 से 60 फुट तक की है।

(ग) इसके गुणों और उपज के अध्ययन के लिये 1968–69 की अवधि में गुजरात के विभिन्न संसाधनयुक्त जिलों में काश्तकारों के 150 एकड़ खेतों में इसे बोया गया। साथ ही साथ राज्य के 6 जिलों में कृषकों की 40 एकड़ और कृषि अनुसंधान केन्द्र की 10 एकड़ भूमि पर बीज उत्पादन के लिये भी कार्यक्रम शुरु किया गया है। इस क्षेत्र से उत्पन्न किया गया बीज 1969–70 में 2 से 10 हजार एकड़ क्षेत्र के लिये पर्याप्त हो सकेगा। भावी कार्यक्रम इस काम की वास्तविक प्रगति पर निर्भर करेगा।

Closure of Tatanagar Foundry Works, Jamshedpur

*468. **Shri Shiv Chandika Prasad :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tatanagar Foundry Works, Jamshedpur are lying closed for the last three years rendering about two thousand labourers jobless and that they are facing starvation;

(b) whether it is also a fact that a case was filed by the recognised Labour Union against the mill owners and that the Supreme Court had given a decision in favour of the labourers;

(c) if so, the steps proposed to be taken to ensure that the factory re-opens as soon as possible; and

(d) whether Government would make arrangements to run it on cooperative basis in case the mill owners do not agree to reopen the same ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) : The matter falls in the State sphere.

दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य का मूल्यांकन

*469. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नहीं जी।

डा० कुरियन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक दल ने दिल्ली दुग्ध योजना की कार्य पद्धति की जांच की और 5 सितम्बर, 1964 को अन्तिम रिपोर्ट दी।

हाल ही में, श्री के० रामामूर्ति, संयुक्त सचिव, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने दुग्ध वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त अनेक शिकायतों की जांच की और 30 सितम्बर, 1968 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) श्री रामामूर्ति की रिपोर्ट की एक प्रति पटल पर रख दी गई है। (अनुबन्ध I) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 323/69]**

(ग) एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध II) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 323/69]**

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ

*470. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने न्याय-निर्णयन के निर्देश-पदों में कुछ और मदों को शामिल करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने इसे नहीं माना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और न्याय-निर्णायक अपना पंचाट कब तक दे देगा ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन ने अपने मांग-पत्र में 28 मामले उठाये। समझौता असफल हो जाने के बाद सरकार ने वेतन-मानों में संशोधन, महंगाई भत्ते में संशोधन और श्रमिकों के कुछ वर्गों को विशेष वेतन मंजूर करने, अन्य भत्तों की अदायगी, चिकित्सा लाभों भविष्यनिधि, पेंशन और ग्रेच्युटी की वर्तमान योजनाओं में संशोधन करने सम्बन्धी कुछ मांगें न्याय-निर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दीं। कुछ मांगें न्याय-निर्णय के लिए नहीं भेजी गई, क्योंकि वे या तो न्याय-निर्णय के लिए भेजे गये किसी न किसी मामले में समाविष्ट थीं या जीवन बीमा निगम ने उन्हें मंजूर करना स्वीकार कर लिया था।

आशा है कि न्यायाधिकरण एक वर्ष के अन्दर पंचाट दे देगा।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान न करना

*471. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री को० सूर्य नारायण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों ने किसानों को गन्ने की वसूली के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार गन्ने का केवल न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है । चीनी कारखाने न्यूनतम मूल्य से प्रायः अधिक मूल्य दे रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि सांविधिक तौर पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था लेकिन चीनी उद्योग को सलाह दी गई थी कि गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं दिया जाना चाहिये । काफी संख्या में चीनी कारखाने गन्ने का यही भाव दे रहे हैं ।

उड़ीसा में मत्स्य उद्योग विकास कार्यक्रम

*472. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964-65, 1965-66 तथा 1966-67 में उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष मत्स्य उद्योग विकास कार्यक्रम योजना आरम्भ की गई थी;

(ख) इस जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) क्या प्रगति निरन्तर कायम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 324/69]

19 सितम्बर की सामान्य हड़ताल के अवसर पर जिन संघों की मान्यता रद्द कर दी गई थी उनको मान्यता प्रदान करना

*473. **श्री सीताराम केसरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में शामिल होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रति नरमी बरतने के सरकार के निर्णय को देखते हुए उन कार्मिक संघों को, जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया था तथा जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, पुनः मान्यता प्रदान की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या वैकल्पिक संघों को प्रदान की गई मान्यता वापस ले ली जायेगी ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रासायनिक खादों तथा कीटनाशक औषधियों से उत्पादित खाद्यान्नों के बुरे प्रभाव

*474. **श्री शशि भूषण :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक खादों तथा कीटनाशक औषधियों से उत्पादित खाद्यान्नों के मानवों पर बुरे प्रभावों के बारे में देश में कोई अध्ययन किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अध्ययनों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन से लोगों को परिचित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) रासायनिक खाद : रासायनिक खादों से उत्पादित खाद्यान्नों के मानवों अथवा जानवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का कोई भी परिणाम सामने नहीं है ।

कीटनाशक औषधियां : आधुनिक कीटनाशक औषधियों के मानव तथा जानवरों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में 1956 से अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है । इन अध्ययनों से कुप्रभावों की सही प्रकृति की जानकारी मिली है और यह भी ज्ञात हुआ है कि कृषि-उद्योग में उनको सुरक्षित रूप से कैसे प्रयोग में लाया जाये ।

(ग) आई० सी० ए० आर० ने कीटनाशक औषधियों के हानिकारक प्रभावों को जानने के लिए प्रो० एम० एस० थाक्कर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की नियुक्ति की। समिति के निष्कर्षों को रिपोर्ट के रूप में 1967 में प्रकाशित किया गया है जिनको अब जनता दाम देकर खरीद सकती है।

Drought Relief to Central Government emplyoees

*475. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of villages in Uttar Pradesh, which had been declared as drought areas in 1968;

(b) the amount of loan given by the Central Government as drought relief to each of those Central Government employees who originally belonged to those districts; and

(c) the total amount of loan given ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) : No area was formally declared as scarcity affected in Uttar Pradesh in 1968. However, drought conditions were prevalent in some parts of the districts of Allahabad, Banda, Varanasi, Mirzapur, Jaunpur, Ghazipur, Azamgarh and Partapgarh.

(b) : No loan or advance was sanctioned by way of drought relief during 1968 to the Central Government employees who originally belonged to the affected districts.

(c) : Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धन-राशि

*476. **श्री अदिचन :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, सितम्बर और दिसम्बर, 1968 की तिमाही के अन्त में कर्मचारियों की भविष्य निधि की कितनी धन-राशि दोषी संस्थानों के पास जमा हो गई है;

(ख) इतनी बड़ी धन-राशि जमा होने के क्या कारण हैं;

(ग) बकाया धन-राशि का शीघ्र भुगतान कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) दिसम्बर, 1968, के अन्त तक कर्मचारियों की भविष्य-निधि की कितनी धन-राशि अप्रयुक्त पड़ी थी और कितनी सरकारी उपक्रमों में नियोजित थी और कर्मचारी भविष्य-निधि की कुल कितनी राशि, जिसमें निकाली गई किन्तु कर्मचारियों को वितरित नहीं की गई राशि शामिल है, जमा थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सूचित किया है कि जून, सितम्बर और दिसम्बर, 1968

की तिमाहियों के अन्त में छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशियां क्रमशः 9.46 करोड़ रुपये, 11.27 करोड़ रुपये और 11.75 करोड़ रुपये (लगभग) थीं।

(ख) ये राशियां मुख्यतः कपड़ा और इंजीनियरी प्रतिष्ठानों द्वारा अदायगी न किये जाने के कारण हैं।

(ग) देय राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिये गये हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत नियोजकों पर अभियोजन चलाने के लिये भी राज्य सरकारों की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से कई एक दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन और/अथवा वसूली कार्यवाही के रूप में कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। कुछ दोषी नियोजकों के विरुद्ध विश्वास भंग के लिये फौजदारी मुकदमें भी न्यायालयों में चलाये गये हैं। जो प्रतिष्ठान समापन की स्थिति को पहुंच गये हैं, उनके दावे समापनों के समक्ष अनिर्णित पड़े हैं। अदायगी तय करने सम्बन्धी योजनाओं के अनुसार कुछ प्रतिष्ठानों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से, बकाया रकमों को चालू देय राशि के साथ अदा करने के समझौते किये हैं।

(घ) 31-12-1968 संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में 30-1-1968 को स्थिति इस प्रकार थी:—

(1) ब्याज और दंड स्वरुप निर्धारित हानि आदि सहित भविष्य निधि की एकत्रित राशि 575.96 करोड़ रुपये

(2) अन्तिम रूप से की गई चुकौती के कारण वापिस की गई राशि और पेशगियां इत्यादि 146.85 करोड़ रुपये

(3) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई या गारंटीकृत प्रतिभूतियों, बचत और अन्य प्रतिभूतियों, और स्टेट बैंक आफ इन्डिया में साविध निक्षेपों पर लगाई गई राशि 425.71 करोड रुपये।

गैर सरकारी बीज उद्योग द्वारा बीजों की बिक्री

*477. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि गैर-सरकारी बीज उद्योग को अधिक उपज देने वाले तथा अच्छे किस्म के बीज बेचने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गैर-सरकारी बीज उद्योग द्वारा संकर तथा अन्य अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के विक्रय करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

आस्ट्रेलिया से चावल का आयात

*478. श्री गणेश घोष :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया से चावल की खरीद करने के लिए बम्बई की एक गैर-सरकारी फर्म के माध्यम से ठेका करने के हेतु बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सीधे बातचीत करने की बजाय एक गैर-सरकारी फर्म के माध्यम से बातचीत करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : 6 दिसम्बर, 1968 को 10,000 मीटरी टन चावल की खरीद के लिये जारी की गई सीमित टैंडर इन्क्वारी के उत्तर में, बहुत सी पार्टियों ने अपनी पेशकश भेजी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक फर्म की ओर से बम्बई की एक भारतीय फर्म ने आस्ट्रेलियन चावल बेचने की पेशकश की थी। क्योंकि उनकी पेशकश प्रतिस्पर्धात्मक थी इसलिये उसे स्वीकार कर लिया गया था और 7 जनवरी, 1969 को एक ठेके पर हस्ताक्षर किये गये थे।

जैसलमेर के दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों में सप्लाई किये गये माइलों के नमूनों का विश्लेषण

*479. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले बीकानेर की विजय वल्लभ सहायता समिति ने राजस्थान में जैसलमेर के दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों को सरकारी ऐजेंसियों द्वारा सप्लाई किये गये माइलो के नमूने भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन नमूनों का विश्लेषण किया गया था और उस के क्या परिणाम रहे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। मागू का गांव, जिला जैसलमेर में एक व्यापारी की दुकान पर पड़ी बोरियों में से लिए गए माइलो के 5 नमूने प्राप्त हुये थे।

(ख) इन नमूनों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उन में रेत और गेहूं तथा चना जैसे अन्य खाद्यान्नों के रूप में विजातीय पदार्थों की पर्याप्त मात्रा थी।

Disbandment of Central Gosamwardhan Council

*480. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Evalution Committee in regard to the work of the Central Gosamwardhan Council had recommended for its abolition or for strengthening it;

(b) whether Government have decided to disband the Central Gosamwardhan Council, if so, when and the reasons therefor;

(c) the authority etc. to whom this work would be entrusted and the manner in which the new arrangement would be better than the old one; and

(d) the schemes formulated and implemented by the Council for the development of bovine wealth and whether this work would not come to a standstill after its abolition ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Evalution Committee on the Central Council of gosamwardhan has recommended that the Government should consider the desirability of making the Council a more compact and representative body. Besides, the role of the Council should be advisory and promotional.

(b) Government has decided that the Central Council of Gosamvardhan should be replaced by an Advisory Committee, the composition of which is under consideration.

(c) The responsibility of running the schemes looked after by the Central Council of Gosamvardhana should be entrusted to the Central or State Govts. The scheme-wise transfer of work either to the Govt. of India or the State Governments is under consideration.

(d) The schemes formulated and implemented by the council will be transferred either to the Central Government or the State Governments taking into consideration the technical programme of the scheme with particular reference to its suitability for being continued. The object as for as possible is to ensure that any work taken up by the Council should not come to a standstill. In order to avoid dislocation of work, the office of the C. C. G. will continue for some time.

अमरीका से उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूं

2850 **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को वर्ष 1967-68 में अमेरिका से उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूं की तथा अन्य खाद्य सामग्री की कितनी मात्रा दी गई; और

(ख) गुजरात सरकार द्वारा इस सामग्री को किस सीमा तक बांटा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात को गेहूँ, चावल तथा चीनी का आवंटन

2851. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से गेहूं, चावल तथा चीनी की अधिक मात्रा के आवंटन के लिये निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आवंटित किये जाने वाले गेहूं, चावल और चीनी की मात्रा कितनी है और यह कब की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्र के पास उपलब्धि तथा राज्यों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुये प्रत्येक मास गेहूं, चावल तथा चीनी का आवटन किया जाता है । जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1969 के महीनों में आवंटन इस प्रकार किया गया है:—

गेहूं (हज़ार मीटरी टन में)

मास	आवटित मात्रा
जनवरी, 1969	35.8
फरवरी, 1969	35.8
मार्च, 1969	40.4

चावल : जनवरी के लिये गुजरात को 3,000 मीटरी टन चावल आवटित किया गया था । फरवरी में 10,000 मीटरी टन चावल गुजरात सरकार को आवंटित किया गया था । यह मात्रा 3,000 मीटरी टन प्रति मास के हिसाब से उनके भावी मासिक कोटे के प्रति समजित की जानी है ।

चीनी : 23 जनवरी, 1969 से लेवी चीनी के मासिक कोटे को 10,073 मीटरी टन से बढ़ा कर 11,276 मीटरी टन कर दिया है । उनके मासिक कोटे को 500 मीटरी टन तक और बढ़ा कर 11,776 मीटरी टन कर दिया गया था । पहली मार्च, 1969 को गुजरात सरकार को त्योहारों के लिये 2,355 मीटरी टन लेवी चीनी तदर्थ रूप में भी आवंटित की गई थी ।

मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय

2852. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनका आरम्भ किस दिनांङ्क से हुआ, वे कहां स्थित हैं तथा उनमें दिये जाने वाले प्रशिक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उतीर्ण होने वाले विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या क्या है;

(ग) पिछले 10 वर्षों में इन विश्वविद्यालयों को वर्षवार नकदी तथा दूसरे रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(घ) क्या इस अतिरिक्त उपज वाले राज्य में और अधिक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ०) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश में केवल एक ही कृषि विश्व-विद्यालय है जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व-विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1-10-1964 को हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय जबलपुर में स्थित है किन्तु ग्वालियर, सिलेर, रेवा, इन्दौर, रायपुर, और महू में भी इसके संघटक कैम्पस हैं।

अन्य बातों के साथ साथ इस विश्व-विद्यालय के मुख्य कार्य निम्न हैं:—

(क) कृषि और अन्य सम्बन्धित विज्ञानों में शिक्षा का प्रावधान करना।

(ख) मुख्यत: कृषि और अन्य सम्बन्धित विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को विकसित करना।

(ग) क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों को अपनाना।

(घ) उपर्युक्त से सम्बन्धित और ऐसे कार्य जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।

(ख) गत तीन वर्षों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बी एस सी (कृषि)	एम एस सी (कृषि)	बी वी एस सी	एम वी एस सी
1964	253	105	146	15
1965	387	115	123	12
1966	259	70	71	13

(ग) स्थापना की तिथि से विश्व-विद्यालय को केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्न राशि प्रदान की गई है:—

(रुपयों में)

तृतीय योजना	1966-67	1967-68	1968-69 (अब तक)
5,98,586.58	18,60,698.95	21,57,322.56	15,21,494

(घ) विश्व-विद्यालय राज्य विधान सभाओं के अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किये जाते हैं। मध्य प्रदेश में और अधिक कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ०) प्रश्न ही नहीं होता।

चीनी का उत्पादन

2853. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भारतीय मिलों में कितनी चीनी का उत्पादन हुआ तथा वह कितने मूल्य की है ;

(ख) इसमें से कितने टन चीनी को राशन की दुकानों द्वारा नियन्त्रित मूल्य पर बेचा गया तथा अनुमानत: कुल कितना मूल्य प्राप्त हुआ और प्रति क्विंटल इसका औसत मूल्य क्या है ; और

(ग) खुले बाजार में बेचने के लिए कारखानों को कितने टन चीनी दी गई तथा चीनी के कारखानों को प्रति क्विंटल कितना औसत मूल्य प्राप्त हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पहली अक्तूबर को शुरू होने वाले और 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले चीनी मौसम के लिये चीनी के आंकड़े रखे जाते हैं । 1967–68 (अक्तूबर, 1967 से सितम्बर, 1968 तक) के मौसम में चीनी की कुल उत्पादित मात्रा 22.48 लाख मीटरी टन थी और उसका मूल्य (उत्पादन शुल्क रहित) अनुमानत: लगभग 459.1 करोड़ रुपये था ।

(ख) 12.53 लाख मीटरी टन चीनी राशन की दुकानों के द्वारा बेची गई थी और औसत निकासी मूल्य पर उसका कुल मूल्य अनुमानत: लगभग 156.75 रुपये (उत्पादन शुल्क रहित) था ।

(ग) खुले बाज़ार में बिक्री के लिये कारखानों को 8.97 लाख मीटरी टन चीनी दी गई थी और चीनी कारखानों को अक्तूबर, 1968 तक 325.40 रुपये उत्पादन शुल्क रहित) औसत मूल्य मिला था ।

कोयला खानों पर केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

2854. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में मरघरिटा के समीप 3 कोयला खानों में 3500 में से 640 कोयला खनिकों की छटनी कर दी गई है क्योंकि कोयला खनिकों ने प्रबन्धकों से सरकार द्वारा 5 अगस्त, 1967 से स्वीकार की गई कोयला-खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण और समुचित रूप से लागू करने के लिए मांग की थी ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में राज्यवार कोयला खानों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी तक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है और इस विलम्ब का क्या कारण है ;

(ग) कोयला खानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) उन कोयला खानों की एक पूर्ण तथा अद्यतन सूची, जिनमें इन सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया गया है, उपलब्ध नहीं है।

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कानून लागू नहीं होती और उनकी क्रियान्विति मुख्यतः अनुनय तथा परामर्श द्वारा करानी पड़ती हैं। अपनी ओर से सरकार ने यह निर्णय किया है कि रेलों, इस्पात कारखानों और विद्युत उपक्रमों इत्यादि जैसे कोयले के मुख्य सरकारी क्रेताओं को, जो कि उत्पादित कोयले का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, केवल उन्हीं कोयला खानों/प्रबन्धकों के कोयला सप्लाई करने के टेंडर स्वीकार करने चाहिएं जो अपने क्षेत्र के प्रादेशिक श्रमायुक्त का इस आशय का प्रमाण पत्र पेश करें कि उन्होंने कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारणों से राजस्व की प्राप्ति

2855. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी बम्बई, पूना, नागपुर तथा कलकत्ता से अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी तथा बंगाली भाषाओं में वाणिज्यिक, विज्ञापन प्रसारणों द्वारा 1967 से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) विज्ञापन देने वाले 10 प्रमुख व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा गत वर्ष प्रत्येक द्वारा कितना विज्ञापन कराया गया ;

(ग) प्रसारणों के उपयोग में लाई जाने वाली भाषाओं का क्षेत्रवार ब्योरा क्या है ; और

(घ) आकाशवाणी के और अधिक विकास के लिए इस राजस्व की कितनी राशि को उपयोग में लाया गया है और किस रूप में ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण से इस सेवा के शुरू होने से अर्थात 1 नवम्बर, 1967 से लेकर 31 जनवरी, 1969 तक कुल ₹1,51,685 रुपए की आय हुई।

(ख) सम्बन्धित विज्ञापकों के बारे में जानकारी गोपनीय है और यह बताई नहीं जा सकती।

(ग) बम्बई–पूना–नागपुर और कलकत्ता केन्द्रों से प्रसारित विज्ञापनों का भाषा वार ब्योरा इस प्रकार है :—

बम्बई–पूना–नागपुर	प्रतिशत	कलकत्ता	प्रतिशत
हिन्दी	90.4	बंगला	51.1
अंग्रेजी	6.1	हिन्दी	41.6
मराठी	3.0	अंग्रेजी	7.3
गुजराती	0.5		———
	———		100.0
	100.0		———
	———		

(ग) क्योंकि आकाशवाणी एक सरकारी महकमा है, अतः इसको प्राप्त होने वाली आय निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा करा दी जाती है। आकाशवाणी के और विकास के लिए जिस भी खर्चे की जरूरत हो, वह उपयुक्त बजट अनुदानों से प्राप्त कर पूरा किया जा सकता है, वाणिज्यिक सेवा से होने वाली आय में से सीधे ले कर नहीं।

फार्म रेडियो प्रसारण

2856. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में फार्म रेडियो प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 15 लाख डालर की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा नियत किए गए 15 लाख डालर "किसान प्रशिक्षण तथा कार्यात्मक साक्षरता" नामक परियोजना के लिए है जिसे खाद्य और कृषि, शिक्षा और सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय संयुक्त रूप से चल रहे हैं। इस राशि का कुछ भाग भारत में फार्म रेडियो प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग होना है।

(ख) भारत में फार्म रेडियो प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 46 सघन फार्म तथा गृह प्रसारण यूनिटें स्थापित करने की योजना है ताकि कृषक समाज को, विशेषकर अधिक उपज सम्बन्धी कार्यक्रम क्षेत्रों में, खेती की पैदावार अधिक से अधिक करने के लिए लगातार जानकारी दी जा सके। इस प्रकार की 20 यूनिटें आकाशवाणी के चुने हुए केन्द्रों पर पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं तथा 7 और यूनिटें 1969–70 के दौरान स्थापित की जाएंगी। किसानों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का विस्तार होने पर इन सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।

किसानों के लिए ट्रांजिस्टर

2857. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री अ० कु० सोंधी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किसानों को बेचने के लिए कम मूल्य वाले ट्रांजिस्टर बहुत बड़ी संख्या में खरीदने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितने ट्रांजिस्टर खरीदे जायेंगे और किस क्षेत्र में उनको वितरित किया जायेगा ; और

(ग) उड़ीसा, मैसूर और राजस्थान राज्यों में कितने-कितने ट्रांजिस्टर वितरित किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । कृषकों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने की योजना के अन्तर्गत कृषकों के विचार-विमर्श दलों को बांटने के लिये सस्ते ट्रांजिस्टर खरीदने का प्रस्ताव है ।

(ख) 30,000

अधिक उत्पादनशील किस्म के कार्यक्रम के 100 चुनिन्दा जिलों में ट्रांजिस्टरों को बांटने का प्रस्ताव है और उसके अन्तर्गत कृषकों के प्रशिक्षण व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम आयेंगे ।

(ग) उड़ीसा, मैसूर तथा राजस्थान को ट्रांजिस्टरों के क्रमश: 1000, 2000 तथा 1500 सैट बांटने का प्रस्ताव है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की समस्या

2858. श्री देवराव पाटिल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए किन परियोजनाओं को बनाने का प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन और संचार तथा सामाजिक सेवाओं के विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, शिक्षित तथा अनपढ़ बेरोजगार लोगों के

लिए, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है । कृषि के क्षेत्र में विकास की तेजगति द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में नये रोजगार अवसरों का सृजन तथा कृषि कार्य में पहिले से ही लगे लोगों को पूर्णकालीन रोजगार अवसर उपलब्ध होने की आशा है । खनन और उत्पादन कार्य के संगठित क्षेत्र के त्वरित विकास, सहायक तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्रामीण तथा घरेलू उद्योगों को लगातार मिलने वाली सहायता, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुँचाने का अधिक प्राविधान, मरम्मत और अनुरक्षण सेवा का विस्तृत विकास, निर्माण कार्यों के स्तर में उन्नति, शक्ति के इन्फ्रांस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अधिक व्यवस्था, परिवहन, संचार तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होंगे ।

Tube-Wells in Madhya Pradesh

2859. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of tube-wells sunk by Government in Hoshangabad and the East Nimad Districts in Madhya Pradesh during the last three Five Year Plans ;

(b) the total expenditure incurred on such tube-wells ;

(c) whether any provision has been made to sink tube-wells in these Districts during the Fourth Five Year Plan ;

(d) if so, the details thereof and the expenditure to be incurred thereon ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community Develop nent and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The State Government have reported that 22 Deep tube-wells have been sunk and 18 energized in Hoshangabad District but no tube-well has been sunk in East Nimad District.

(b) An expenditure of about Rs. 23.50 lakhs is reported to have been incurred.

(c) to (e): No tube-well is proposed to be constructed in East Nimad District during the Fourth Five Year Plan because of the unsuitability of the area for deep tube-wells. Nine Deposit and twenty-Exploratory Tubewells costing about Rs. 36 lakhs are proposed to be constructed in Hoshangabad District during the Fourth Five Year Plan.

Distribution of Sindri Fertilizer

2860. **Shrimati Agam Dass Guru Minimata** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether fertilizer produced in the Sindri Fertilizer Factory has been supplied at all the places for distribution ;

(b) whether the distribution work would be entrusted to some individual or to some cooperative society or to both ;

(c) in case this work is likely to be entrusted to both, the percentage thereof in each case ; and

(d) whether the fertilizer would be supplied now to the farmers on credit as hither-to-fore ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) : Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

Construction of Houses for Iron ore Mine Workers in Maharashtra

2861. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of housing facilities for the iron ore mine workers in Maharashtra and that the Maharashtra Government have asked for housing grant from the Iron Ore Mines Workers Welfare Fund for constructing houses for those workers with a view to meet this shortage ; and

(b) if so, the amount of grant sanctioned by Government and the number of houses to be constructed ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) While there may be shortage of housing facilities for iron ore mine workers in the State of Maharashtra, no proposal has been received from the Government of Maharashtra asking for housing grant for the construction of houses for such workers.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में सूचना केन्द्र

2862. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कितने सूचना केन्द्र हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश के लोगों ने मध्य प्रदेश में कुछ और सूचना केन्द्र खोलने के लिए सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) : पहले से जो योजना लागू है उसके अनुसार भोपाल तथा इन्दौर में दो सूचना केन्द्र थे जिनका आधा खर्चा केन्द्रीय सरकार देती थी और आधा मध्य प्रदेश सरकार । सितम्बर, 1965 में राज्य सरकार से रायपुर में एक तीसरा सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव मिला था । धनाभाव के कारण यह स्वीकार नहीं किया गया तथापि, मार्च, 1966 के उपरान्त यह योजना, जिसमें आधा खर्चा केन्द्रीय सरकार और आधा राज्य सरकार देती थी, बन्द कर दी गई, क्योंकि योजना आयोग ने यह कहा था कि इस प्रकार के केन्द्रों पर खर्चा चतुर्थ योजना के अन्तर्गत कमिटिड आउटले के अंश के रूप में होगा । तब से मध्य प्रदेश के किसी भी सूचना केन्द्र पर कोई भी खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया गया । वर्तमान योजना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार खर्चा देगी ।

मध्य प्रदेश से व्यापारिक प्रसारण

2863. श्री गं० च० दीक्षित : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के किसी केन्द्र से व्यापारिक प्रसारण शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रसारण कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : वाणिज्यिक प्रसारण उत्तरोत्तर विविध भारती के सभी केन्द्रों से, जिनमें मध्य प्रदेश के केन्द्र भी शामिल हैं, चालू करने का प्रस्ताव है । तथापि, फिलहाल यह कहना सम्भव नहीं है कि मध्य प्रदेश के केन्द्रों से यह सेवा कब चालू होगी । इस बारे में निर्णय इस प्रदेश में सेवा की आत्मनिर्भरता की जांच करने के बाद किया जाएगा ।

देश में पम्पिग सेट लगाना

2864. श्री गं० च० दीक्षित : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रति वर्ष 1,50,000 पम्पिग सेटों से अधिक सैट लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में कितने पम्पिग सेट लगाये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में 90,000 पम्प सैट (75,000 बिजली से चलने वाले तथा 15,000 डिजल से चलने वाले) लगाने का प्रस्ताव है जिन में से लगभग 15,000 पम्प सैट 1969-70 की अवधि में लगाये जायेंगे ।

आकाशवाणी में चौकीदार

2865. श्री अब्दुल गनी वार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय चौकीदारों को आकाशवाणी में प्रतिदिन 12 घण्टे काम करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) श्रम विधियों के अनुसार उनके काम के समय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में आकाशवाणी के चौकीदारों ने न्यायलयों में कितने मुकदमे किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) : सरकार ने आकाशवाणी के सभी केन्द्रों/कार्यालयों के चौकीदारों के काम कर घण्टे समान आधार पर निश्चित नहीं किये हैं । उनके कार्य के घण्टे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित किए जाते हैं । कुछ केन्द्रों पर काम का समय 12 घण्टे है, जबकि अन्य केन्द्रों पर कम है।

(ग) श्रम कानून आकाशवाणी के चौकीदारों पर लागू नहीं हैं । ये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से नियंत्रित हैं । तथापि, चौकीदारों के काम के घण्टे निश्चित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) दिल्ली में 131 । अन्य केन्द्रों सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

रूस तथा अमरीका से आयातित खेती के औजार

2866. श्री देवराव पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे किसानों में वितरण के लिये रूस तथा अमरीका से किस-किस प्रकार के खेती के औजार, उर्वरक तथा बीज मंगवाये जाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना० साहिब शिन्दे) : छोटे किसानों को बांटने के लिये रूस और अमरीका से न तो खेती के औजारों और न बीजों का ही आयात किया जाता है । फिर भी इन देशों से निम्न प्रकार के उर्वरकों का आयात किया जाता है :—

रूस	अमरीका
1. अमोनियम सल्फेट	1. अमोनियम सल्फेट
2. यूरिया	2. यूरिया
3. मुरियेट आफ पोटाश	3. डाई-अमोनियम फोसफेट
	4. अमोनियम फोसफेट
	5. एन० पी० के० मिश्रित उर्वरक

(कृषकों को बीजों के बांटने का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है)

Central Assistance for Setting up Tube-Wells in Madhya Pradesh

2867. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh Government have formulated a scheme for setting up tube-wells in the water scarcity areas ;

(b) whether the State Government have asked for any aid from the Central Government in this regard; and

(c) if so, the nature of aid sought for and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) ; (a) to (c) : The Government of Madhya Pradesh propose to construct 7,000 shallow tubewells in about 2 to 3 years for irrigation purposes. The State Government required (i) the help of the Central Government in regard to carrying out groundwater survey and investigations and (ii) sharing by the Government of India the subsidy proposed to be given by the State Government on the unsuccessful wells The State Government has been advised to undertake construction of these tubewells in compact and proven areas and to approach the Agricultural Refinance Corporation for financial assistance.

So far as ground water survey is concerned, the Exploratory Tubewells Organisation under this Ministry sent a Team to conduct a rapid survey of the ground water potentialities. Besides this, a Centrally sponsored scheme of groundwater survey and investigations has been sanctioned for implementation by the State Government. It is proposed to release a sum of Rs.5 00 lakhs as financial assistance to the State Government during 1968-69. Regarding subsidy on unsuccessful wells, the State Government propose to give subsidy at varying rates from 50% to 75% in their Fourth Plan proposals which are yet to be finalised.

Audit of Accounts of U. P. District Boards

2868. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1083 on the 18th November, 1968 and state :

(a) Whether information in respect of the Audit Report of the accounts of each District Board has since been collected from the State Government;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (c) : The position as ascertained from the State Government, and as already reported with reference to the assurance given on the 18th November, 1968, in answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 1083, is as in the enclosed statement. **(Placed in Library. See. No. LT-325/69).**

शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी के विरुद्ध आरोप

2869. **श्री क० लकप्पा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 6 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सहकारी समितियों के पंजीयक के अधीन काम करने वाले शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी, श्री वेद प्रकाश शर्मा, के विरुद्ध आरोपों की पूरी तरह जांच करली है ;और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) जी नहीं, यह मामला अभी तक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Cutting of certain Telephone connections in Ghaziabad. U. P.

2870. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the telephone connections of the two Police stations and the Fire Station in Ghaziabad (U. P.) were disconnected in January, 1969, causing inconvenience to the people; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b): Two Police telephones at Ghaziabad (U. P.) were disconnected in January, 1969, due to non-payment of telephone bills. The telephone of Fire Station was not disconnected.

Both the connections were restored in the same month.

सरकारी पौधाघरों में भारतीय किस्मों का गुलाब उगाना

2871. **डा० कर्णी सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुलाब प्रेमी लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है परन्तु भारतीय किस्मों के गुलाब के उत्पादन में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले गुलाबों का उत्पादन बहुत कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी पौधघरों में तथा उन के द्वारा गुलाब प्रेमी लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के गुलाबों की किस्म को उन्नत करने की भावना भरने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । यह इस लिये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जहां पिछले वर्षों

में कुछ सफलता के साथ गुलाब प्रजनन कार्य प्रारम्भ किया गया था, के अतिरिक्त देश में गुलाब प्रजनन कार्य आपेक्षाकृत सुस्त रूप में किया जा रहा है, वह भी अधिकांशत: गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली का बागवानी प्रभाग गुलाब प्रजनन में व्यस्त है। गत वर्ष इस ने गुलाबों की कुछ थोड़ी सी नई किस्में निर्मुक्त की थीं । एक वाणिज्य-स्तर पर निर्यात की सम्भाव्यता के लिये गुलाबों की भारतीय एवं अन्य किस्मों के परीक्षणार्थ संस्थान एक कार्यक्रम रखती है । भारत में गुलाबों की कुछ विदेशी प्रकृष्ट किस्में महान् सफलता के साथ उगाई गई है और गुलाब प्रेमी जनता को वितरण के लिये निर्मुक्त कर दी हैं ।

तम्बाकू उत्पादक राज्यों को सहायता

2872 **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में प्रमुख तम्बाकू उत्पादक गुजरात जैसे राज्यों की सहायता करने की योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तम्बाकू की निर्यात योग्य किस्मों के विकास के लिये भारत सरकार की शतप्रतिशत सहायता के साथ 1966-67 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात और तामिल-नाडू राज्यों में चल रही है । यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखी जायेगी ।

2. इस योजना का लक्ष्य विर्जीनिया फल्यू-क्योरड तम्बाकू के क्षेत्र को अधिक करना और प्रति एकड़ उसकी उपज में भी वृद्धि करना है । इस में अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों की जरूरतों के स्तरों को ध्यान में रखकर ठीक प्रकार के तम्बाकू उत्पादन पर भी विचार किया जाता है । चूंकि हल्की मिट्टी वाले नये क्षेत्रों में कृषक पहली बार, तम्बाकू उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिये कुछ प्रोत्साहन के साथ 2 उचित वित्तीय सहायता का भी प्रबन्ध किया जाता है । प्रोत्साहन में कोठार बनाने, कुएं बनाने, कीटनाशक औषधियां और पौद आदि देने पर सरकारी सहायता सम्मिलित है । दीर्घ कालीन ऋण के रूप में नये क्षेत्रों में काश्तकारों को कोठार बनाने के लिये

प्रति कोठार 4,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस के अतिरिक्त राज्यों में खधु सिंचाई कार्यक्रम के अधीन एजेन्सियों द्वारा कुएं बनाने के लिये काश्तकार ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

3. 1966–67 और 1967–68 में ऊपर वर्णित राज्यों में इस योजना के अधीन लगभग 7,000 एकड़ क्षेत्र में कार्य किया गया। 1968–69 के लिए 10 000 एकड़ के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इसके अधीन लगभग 15,000 एकड़ क्षेत्र में कार्य किया गया। 1966–67 में इस योजना के अधनी कार्यक्रमों में 2.11 लाख रुपये का व्यय किया गया। 1967–68 में 30.16 लाख रुपये व्यय किये गये। चालू वर्ष के लिये 56.50 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है।

4. इस योजना से उपयोगी परिणामों की प्राप्ति के कारण, इसे चौथी योजना में भी जारी रखा जा रहा है। सब प्रोत्साहन और सहायता की अन्य मदें वर्तमान के अनुसार जारी रहेंगे, सिवाय कोठारों के बनाने के लिये ऋण राशि के, जोकि अब संस्थानीय एजेन्सियों से प्राप्त होगी।

Simultaneous release of English and Hindi Press Communiques

2873. Shri Ram Charan :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) whether Government propose to issue orders for preparing Hindi and English versions simultaneously of press communiques issued by the Press Information Bureau;

(b) if so, the time by which such orders could be issued and whether any scheme has been formulated in this connection; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c): Administrative instructions have already been issued to the Ministries Departments of the Government of India that they should provide that Press Information Bureau with basic material in English and Hindi simultaneously to enable the Press Information Bureau to prepare and issue press releases in both the languages simultaneously. There are, however, occasions when the basic material/information is received in English so that the first copy of the press release has to be prepared in English which has then to be translated into Hindi for the Hindi releases. This coupled with some inadequacy of staff in the Hindi Publicity Unit in the Press Information Bureau causes some delay not infrequently in issuing the Hindi press releases. The matter is under review so as to eliminate this delay as soon as possible.

'Dakshin' Programme of AIR

2874. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) whether a daily programme for 15 minutes relating to literature, culture and life of the people of South India is proposed to be broadcast in Hindi under the feature programme 'Dakshin' from the Stations of All India Radio in North India;

(b) if so, the date from which the said programme is proposed to be broadcast; and

(c) if not, the difficulties experienced by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No such decision has been taken as yet.

(b) Does not arise.

(c) Stations of All India Radio are already broadcasting programmes relating to the literature, culture and life of the people outside the State/region where the radio station is located. The suggestion for introducing a feature programme referred to in clause (a) is, however, under consideration of AIR authorities.

Hindi Officers in Press Information Bureau

2875. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Ram Charan :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) the strength of Hindi and English officers and employees, separately in the Press Information Bureau;

(b) their pay-scales, separately;

(c) whether the strength of Hindi officers and employees is proposed to be increased with a view to issue all the press reports in Hindi also; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The Press Information Bureau issues news releases and publicity material in Hindi as well as 12 other Indian languages besides English. While a certain number of posts require proficiency in one or other Indian language, the officers manning other posts, including many proficient in one or other Indian language, not only prepare publicity material in English but also attend to other work including planning and supervision of multi-language publicity, photo publicity, public relations work etc. It is, therefore, not possible to categorise "English officers" and employees separately. The PIB posts requiring proficiency in Hindi are in the following grades of the Central Information Service: —

Grade I –	Rs. 700-40-1100-50/2--1250
Grade II —	Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950
Grade III —	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800
Grade Iv —	Rs. 270-10-290-15-410-EB-15-485

The total strength is – One in Grade I, Nine in Grade II/III and 20 in Grade IV,

(b) The scales of pay of the posts requiring proficiency in Hindi are the same as for other posts in each grade of the Central Information Service.

(c) A proposal is under consideration to strengthen the existing Hindi Unit at PIB headquarters by the addition of the following posts for improving the volume and quality of publicity work in Hindi :—

Deputy Principal Information Officer:	One	Rs. 1100-1400/Rs. 1300-1600
Information Officers	Three	Rs. 700-1250
Information Assistants	Three	Rs. 270-485

(d) Does not arise.

A. I. R. Correspondents

2876. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) the total number of A. I. R. correspondents and their respective pay-scales;

(b) the number of English correspondents and that of Hindi correspondents among them and the pay-scales of both types of correspondents separately;

(c) whether the ratio between the English and Hindi correspondents is proposed to be laid down as 1 : 10 in view of the ratio between the Hindi and English speaking people and the constitutional position of Hindi and English languages;

(d) if not, whether it is proposed to instruct English correspondents to send their despatches in English and Hindi both; and

(e) if not, the reasons therfor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b): A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT- 326/69]

(c) No such proposal is contemplated.

(b) and (e): Such instructions are not feasible. However, correspondents can send their despatches either in English or Hindi, but not in both, as that would entail additional expenditure. Several English correspondents who know Hindi file some of their messages in Hindi also.

Abolition of Contract System in A. I. R.

2877. Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) whether Government propose to abolish the contract system in the All India Radio ;

(b) if so, the details of such proposal; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c): The matter is under examination.

Board of Film Censors

2878. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5428 on the 27th March, 1968 and state:

(a) the details of the principles recommended by Government to the Board of Film Censors;

(b) whether there is any film which was not passed by the Board but the Central Government later permitted it to be shown or whether there is any film which was not allowed by the Central Government to be shown after it was passed by the Board; and

(c) if so, the list of such films ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A copy of the directions issued to the Board of Film Censors, setting out the principles which shall guide the Board in sanctioning films for public exhibition as published in the Gazette vide G. S. R. 168 dated 6th February, 1960 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-327/69]

(b) and (c) : Of the films refused certificate by the Board during the period 1965-66, 1966-67 and 1967-68, the central Government under section 5C of the Cinematograph Act, 1952 had, on appeal by applicant allowed public exhibition of three films only viz. 'House of wax', 'The Servant' and 'Who is Afraid of Virginia Woolf. Of the films certified by the Board during the above period, only 12 films had been uncertified by the Central Government under the powers vested in them under section 6 of the aforesaid Act as given below:

1. Women by Night
2. Universe by Night
3. Orient by Night
4. Paris Champagne
5. Sweet, Sweet Nights
6. Tokyo by Night
7. Copacabana Palace
8. America by Night
9. World by Night
10. World by Night II
11. Women of the World
12. The Naked Prey

गृह-कार्य मंत्री के भाषण का पट्टिकांकन (टेप रिकार्डिंग)

2979 **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र पर गत जनवरी में केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री के भाषण का पट्टिकांकन (टेप-रिकार्ड) किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय की नक्सलबाड़ी आन्दोलन सम्बन्धी टिप्पणियां समाचार-दर्शन से निकाल दी गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) मंत्री महोदय ने इस भाषण में नक्सलबाड़ी आंदोलन के बारे में कुछ नहीं कहा था ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Shops Allotted to Refugees at New Qutab Road, Delhi

2880. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that shops were allotted to certain persons by Government at New Qutab Road in Delhi and some land on the back of the shops was also allotted;

(b) whether it is also a fact that the land on the back of shops is under dispute between Government and the Municipal Corporation, Delhi;

(c) if so, since when and when the dispute is likely to be settled;

(d) whether the shopkeepers have submitted any Memoranda to Government in this regard; and

(e) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कोयला खानों के कर्मचारियों के लिए अवकाश-गृहों का निर्माण

2881. **श्री रा० को० अमीन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयलाखान कल्याण संघ ने कोयलाखानों के कर्मचारियों के लिये कितने अवकाश-गृह बनाये हैं; और

(ख) क्या अन्य उद्योगों को भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जायेगा ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) चार ।

(ख) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । कच्चा लोहा खनन श्रमिक कल्याण निधि ने कच्चे लोहे के श्रमिकों के लिए उड़ीसा में पुरी नामक स्थान पर एक छुट्टी विश्राम

गृह स्थापित किया है और एक गोवा में स्थापित किए जाने का विचार है, लेकिन ऐसी कोई आम योजना विचाराधीन नहीं है।

श्रम निरीक्षकों को कर्मचारियों की उनके मालिकों की और बकाया राशि को वसूल करने का अधिकार

2882. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम निरीक्षकों को कर्मचारियों की उनके मालिकों की और बकाया राशि को वसूल करने के अधिकार देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों को उस राशि को प्राप्त करने के लिये न्यायालय में जाने की आवश्यकता न पड़े;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस प्रस्ताव को कब और कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : निरीक्षकों को दावे लेने और उन पर निर्णय देने तथा अदायगी करने सम्बन्धी निदेश देने का अधिकार प्रदान करने के लिए मजूरी भुगतान अधिनियम 1936 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भूमि की उर्वरता कम होना

2883. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री लोबो प्रभु :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिचपुरी की रूरल एग्रीकल्चरल इंस्टीच्यूट द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में भूमि की उर्वरता वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से अब तक दस प्रतिशत कम हो गई है;

(ख) इस सर्वेक्षण से अन्य क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : आगरा विश्व-विद्यालय की एक शोध पत्रिका में 10 वर्ष पूर्व (जनवरी 1959 में) प्रकाशित एक लेख में ग्राम्य संस्थान, बीजपुरी, आगरा के एक विद्वान ने भूमि की औसतन उत्पादकता में लगभग 10 प्रतिशत की कमी के सम्बन्ध में अपनी जांच

के परिणामों की व्याख्या की थी। उनके अनुसार इस ह्रास की पृष्ठभूमि में दो समस्यायें थी उन में से एक जल निकासी और दूसरी मिट्टी में कार्बेनिक खाद और खादीय मिट्टी के अभाव की है।

यह अध्ययन न केवल असामयिक ही है, बल्कि ऐसे दिता पर आधारित है, जो कि न तो प्रत्यक्षतः तुलनात्मक ही हैं और न ही जिसका समंजन किया गया है। ये परिणाम अधिक उत्पादनशील किस्मों और बहुद्देशीय फसल कार्यक्रमों के तकनीकों के फलस्वरूप उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों के सापेक्ष नहीं हैं।

कृषि विभाग में संकलित सूचकांकों के अनुसार प्रवृत्ति उत्पादन की अधिकता की ओर है, क्योंकि 1949-50 में सूचकांक 100 के आधार से 1967-68 खाद्यान्नों के लिये 130.1, अखाद्यान्नों के लिये 107.9 और सभी जिसों के लिये 126.6 सूचकांक तक पहुंच गये थे।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

2884. श्री चेंगलराया नायडू : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए दस हजार शरणार्थी परिवारों को अभी तक नहीं बसाया गया;

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास के लिये ये परिवार कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) उनको अब तक न बसाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कितने शरणार्थी परिवारों को वर्ष 1964 से अब तक बसाया जा चुका है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां, विभिन्न राहत शिविरों में इस समय 10,419 परिवार पुनर्वास की प्रतीक्षा में है। इनके अतिरिक्त, स्थायी दायित्व श्रेणी के 4,347 परिवार इन शिविरों में रह रहे हैं।

(ख) इन शिविरों में रहने वाले परिवार वे हैं जो 1964 के अन्तर्गत या उसके बाद भारत आये हैं। प्रत्येक परिवार के राहत शिविर में ठहरने की वास्तविक अवधि के बारे में जानकारी सुगमतापूर्वक उपलब्ध नहीं है। तथापि यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से इन शिविरों में हाल ही में आये हुये बहुत कम परिवार हैं और परिवारों की अधिकांश संख्या इन शिविरों में लगभग 3 वर्षों से रह रही है।

(ग) और (घ): प्रवासी परिवारों के शीघ्र पुनर्वास से सम्बन्धित योजनाएं इस लिये तैयार नहीं की जा सकीं कि कृषि परिवारों को बसाये जाने के लिये भूमि की कमी है, छोटे-मोटे कार्य तथा वर्तमान उद्योगों तथा अन्य गैर-कृषक व्यवसायों में बसाने की कम गुंजाइश है और ये प्रव्रजक जीवन की परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने में असमर्थ है। मंजूर किये गये नये उद्योगों की स्थापना में आवश्यक रूप से कुछ समय लगता है। उद्योगों में रोजगार के लिये प्रवासियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा उन्हें भारी वाहन गाड़ियों के चालकों का भी प्रशिक्षण दिया गया है किन्तु उन्हें सुगमता से रोजगार पर लगाना संभव

नहीं है क्योंकि सब प्रकार के रोजगारों में अत्यन्त प्रतियोगिता है । अभाग्यवश, कुछ प्रवासियों ने अपने शिविरों से दूर देश के विभिन्न भागों में पुनर्वास स्थलों पर जाने के लिये अनिच्छा प्रकट की है जबकि अन्य, जिन के लिये उद्योगों में रोजगार प्राप्त हो गया है, ऐसे कार्यों को अस्वीकार कर रहे हैं । राहत शिविरों में रह रहे अधिकांश प्रवासियों के कृषि परियोजनाओं में तथा छोटे मोटे कार्यों और औद्योगिक संस्थानों में पुनर्वास के लिये योजनायें तैयार की गई है और प्रवासी परिवारों को कार्यक्रम के अनुसार पुनर्वास स्थलों में भेजा जा रहा है। जिन परिवारों के लिये इस प्रकार की योजनाएं अभी तक तैयार नहीं की गई हैं उनके लिये खाली भूमि का अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा छोटे-मोटे कार्यों, उद्योगों, मीन क्षेत्र इत्यादि में उपयुक्त स्थानों में रोजगार दिलाने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि लगभग अगले तीन वर्षों में उन सभी परिवारों को बसा दिया जायेगा जो इस समय पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं ।

स्थायी दायित्व श्रेणी के परिवारों को वर्तमान गृहों में जहां कहीं रिक्तियां होंगी, प्रवेश दिया जायेगा । इन परिवारों की बहुत सी संख्या को नये स्थायी दायित्व गृहों में बसाया जायेगा जोकि त्रिपुरा, आसाम, तथा महाराष्ट्र में, तथा मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट माना में, स्थापित किये जा रहे हैं ।

1964 से, देशभर में विस्तार की गई विभिन्न कृषक और गैर कृषक योजनाओं में, 30,857 कृषक परिवार तथा 4,464 गैर-कृषक परिवार क्रमशः बसाये गये हैं । इनके अतिरिक्त 528 व्यक्तियों को उद्योगों में रोजगार दिलाया गया है । 3,307 व्यक्तियों के लिये सरकारी तथा सार्वजनिक तथा निजी उपक्रमों में रोजगार प्राप्त कर लिया गया है ।

Translation of Manuals etc.

2885. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamla Kumari :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 625 on the 14th November, 1968 and state :

(a) the number of manuals and forms whose translation has been sent for revision to Central Hindi Directorate and the date on which the translation of the said manuals and forms was sent to the Central Hindi Directorate ;

(b) the details regarding the staff employed at present for translation work in the Department of Communications and the Department of Posts and Telegraphs ; and

(c) the details regarding the additional staff proposed to be employed during the next financial year in view of the increased quantum of work ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Seven P&T manuals only had been sent to Central Hindi Directorate for vetting and they have all been received back duly vetted. No forms were ever sent for vetting. Nothing is pending in the Central Hindi Directorate for vetting at present.

(b) Total Technical staff in Hindi Section of P & T Directorate is as follows:—
Assistant Directors General.....2

Rsearch Asstt. 4 (all vacant).

Hindi Translators 8 (including one vacant & one on loan to Ministry of Finance).
Hindi Assistants 6 (including one vacant)

(c) There is no proposal for additional staff at persent.

Disparity Between Big and Small Farmers

2886. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 10 per cent big farmers own about 60 percent agricultural land and about the one-Fourth of the total national income goes to them ;

(b) whether it is also a fact that they get the lion's share of the irrigation and credit facilities and other benefits regarding fertilizers, seeds, agricultural implements etc ; and

(c) if so, the steps taken to remove this disparity and to bring about necessary land reforms and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) According to the 16th Round of the National Sample survey, based on data relating to the year 1961, 60% of the agricultural land was cultivated by 13% of the rural households. Precise information regarding the proportion of the total income going to the big farmers is not available. However, on the basis of sample surveys conducted by the National Council of Applied Economic Research in 1960, it appears that one sixth of the national income went to 10% of the farmers.

(b) and (c) : During the last three years, there has been a definite improvement in the rural scene and the benefits of new technology have started percolating to the small farmar with the expending availability of inputs and credit. For the Fourth Plan, special measures are being proposed to enable the small farmers to participate more effectively in the agricultural production programmes. Emphasis is also being laid on security of tenure and a re-orientation of the loaning policies and procedures in the cooperative and other institutional agencies with a view to facilitating larger flow of medium and long term credit. Land reform measures, particularly, abolition of intermediaries, conferment of ownership on tenants and ceiling on existing holdings have been undertaken in almost all the States. As a result of abolition of intermediaries, 20 millon tenants have come into direct contact with the State. Compulsory transfer of ownership have been conferred on 3 million tenants, including share-croppers, in respect of 7 million acres on payment of purchase price. 2.3 million acres have been declared surplus as a result of imposition of ceilings on existing holdings and these areas are being distributed to landless agricultural labourers and other approved categories of persons.

भारत में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण

2887. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन से कृषि विश्वविद्यालय कृषकों को सब फसलों की गहन खेती के कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं ; और

(ख) वर्ष 1966 से 1968 तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की केन्द्रीय चालित योजना के अधीन गहन खेती कार्यक्रम में भारत में निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालय कृषकों को सीधे प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं—

1. 1966-67 से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
2. 1967-68 से उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर
3. 1967-68 में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर

इसके अतिरिक्त देश में सब विश्वविद्यालय काश्तकारों के खेतों में राष्ट्रीय प्रदर्शन करते हैं जो कि गहन खेती में कृषकों को वास्तविक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं।

(ख) 1966 से 1968 की अवधि में 25,079 कृषकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

Supply of Urea to Madras and U. P.

2888. Shri Bal Raj Madhok :
Shri Molahu Prasad :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply it given to Unstarred Question No. 5065 on the 19th December, 1968 and state :

(a) the reasons for a wide gap in the quantity of Urea being supplied to Madras and Uttar Pradesh States and showing preferential treatment to Madras ;

(b) whether Government propose to supply urea to Uttar Pradesh on per acre basis ; and

(c) if not, further measures proposed to be adopted for meeting the requirements of Uttar Pradesh and for removing backwardness of the State in agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The demand received from U. P. and Madras for urea and the actual allotment thereof for 1963-64, 1964-65 and 1965-66 are given below :—

(Figures in tonnes)

	1963-64		1964-65		1965-66	
	Demand	Allotment	Demand	Allotment	Demand	Allotment
U. P.	30,000	25,358	15,000	13,325	35,000	37,378
Madras	50,000	67,320	80,000	98,448	1,00,000	43,156

	Total		Percentage of allotment over demand
	Demand	Allotment	
U. P.	80,000	76,061	95%
Madras	2,30,000	1,88,924	82%

It would appear therefrom that there was no discrimination against U. P.

(b) and (c) : The requirement of fertilisers including that of Urea of Uttar Pradesh is being met in full at present. Ample quantities of Urea are available in the country. In fact, the State has recently refused to accept even allotted quantities of urea during the current financial year.

आनन्द में टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में शिकायतें

2889. श्री रा० की० अमीन : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों से इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें मिली है कि 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में टेलीफोन अधिकारियों ने गुजरात राज्य के आनन्द में गलत टेलीफोन कनेक्शन लगाये हैं तथा टेलीफोन लगाने में विलम्ब भी बहुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। इस अवधि के दौरान 9 लिखित और 50 मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) कालों की दर बहुत ऊंची होने के कारण शिकायतें होती हैं। कालों की दर में कमी करने के लिए मीटर पद्धति चालू करने के लिए कार्रवाई की गई है। संबंधित कर्मचारियों को भी सावधानी बरतने और सजग रहने के लिए निदेश दिये गये हैं।

Educated Unemployed in U. P.

2890. Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a large number of unemployed matriculates, intermediates, graduates and postgraduates in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that a very small number of the youth of the said categories are unemployed in Madras ; and

(c) if so, steps proposed to be taken by Government to afford justice to the candidates of Uttar pradesh to provide them the same employment opportunities as are available in the case of candidates from Madras and Punjab ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : The only information available on the subject relates to educated work-seekers on the live register of Employment Exchanges which is furnished in the statement overleaf.

(c) Various development programmes in the field of agriculture, industry, transport & communication and social services such as education, health, family planning & social welfare included in the Central and State Plans are expected to provide increasing employment opportunities for un-employed persons both educated and uneducated in rural as well as urban areas.

Statement

S. No.	State	Matri-culates	No. of educated applicants on the live register Employment Exchanges in the State as on 31-12-1968 Higher Secondary (Including Inter-mediates/Under graduates).	Graduates	Post graduates.	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Uttar Pradesh	71,021	39,119	15,032	2,394	127,566
2.	Madras	95,020	9,822	8,383	595	113,820

नेशनल शीड्स कारपोरेशन लिमिटेड

2891. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना के समय अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी कितनी थी और 31 मार्च, 1968 को कितनी-कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को कारपोरेशन ने केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य फर्मों को अलग-अलग कितना ऋण देना था ;

(ग) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन ने ब्याज के रूप में कितनी धन राशि का भुगतान किया ;

(घ) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन के कार्यसंचालन के क्या परिणाम निकले, उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई और यदि हानि हुई तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) वर्ष 1968-69 के लिए क्या अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम को कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में 19-3 63 को रजिस्टर किया गया था और इसने अपना कार्य 1—7—63 से शुरु कर दिया था। इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये है। अपने परिचलान के प्रथम वर्ष में इसकी प्रदत्त पूंजी 20 लाख रुपये थी। 31-3-68 को प्रदत्त पूंजी की रकम 1 करोड़ 20 लाख रुपये थी।

(ख) दिनांक 31-3-1968 को केन्द्रीय सरकार का निगम के जिम्मे 1 करोड़ 25 लाख 43 हजार रुपये का कर्ज था। उस तारीख तक इसने न किसी बैंक या न किसी अन्य संस्था से कोई कर्ज नहीं लिया था।

(ग) निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम ने 1,000,438.00 रुपये का ब्याज अदा किया।

(घ) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में निगम ने लाभ उठाया जो कर अदा करने से पहले लेकिन मूल्य ह्रासन के लिये उपलब्ध करने और

ब्याज मार के बाद 1965-66 के दौरान 2.17 लाख रुपये 1966-67 के दौरान 14.56 लाख रुपये और 1967-68 के दौरान 26.34 लाख रुपये था।

(ङ) 1968-69 के लिये लाभ की मात्रा अनुमान 27.17 लाख रुपये है।

लक्कादीप द्वीप समूह का मत्स्यपालन विभाग

2892. **श्री प० मु० सईद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 को लक्काद्वीव द्वीप समूह में मत्स्यपालन विभाग के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी ; और

(ख) उन्हें प्रतिवर्ष वेतन, भत्ते आदि के रूप में कुल कितनी धन राशि दी जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी ii	—	1
श्रेणी iii	—	65
श्रेणी iV	—	110

(ख) पिछले 3 वर्षों में हुये व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार है:—

1965–66	--	1,60,728 रुपये
1966–67	--	1,89,702 ,,
1967–68	--	2,37,676 ,,

लक्कादीव द्वीपसमूह के मत्स्यपालन विभाग द्वारा मत्स्यपालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण

2893. **श्री प० मु० सईद :** क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव द्वीप समूह का मत्स्यपालन विभाग लोगों को मत्स्यपालन में प्रशिक्षण देने के लिये सुविधाएं दे सकता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ;

(ग) क्या विभाग द्वारा प्रशिक्षित मछियारों को किराया खरीद के आधार पर नौकाएं दी जाती हैं ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसके अनुसार कितने व्यक्तियों को नौकाएं दी गई ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षण देने के बाद कितने व्यक्तियों को उसी विभाग में रोजगार दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिदे) : (क) जी हां। मात्स्यकी विभाग विद्यार्थियों को यान्त्रिक रीति से मछली पकड़ने में प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा छात्रवृत्ति देता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रमुख भूमि में प्रशिक्षण के लिये भी भेजा जाता है। तीसरी योजना के दौरान मात्स्यकी विभाग ने यान्त्रिक रीति से मछली पकड़ने में 91 मछुओं को प्रशिक्षण दिया। उपरोक्त के अतिरिक्त चार उम्मीदवारों को "मास्टर फिशरमैन" के रूप में, 3 को "इंजिन चालकों" के रूप में, एवं नौका निर्माण फौरमैन एव गियर तकनीकज्ञ दोनों में एक एक व्यक्ति को, केन्द्रीय मात्सयकी क्रमी संस्थान, कोचीन, में प्रशिक्षण प्रदान किया। पांच उम्मीदवार, जिनमें से 3 "मास्टर फिशर मैंन" के पाठ्यक्रम तथा 2 इन्जिन चालकों के पाठ्यक्रम के लिये केन्द्रीय मात्स्यकी क्रमी संस्थान, कोचीन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 300 मछुओं को मछली पकड़ने की आधुनिक प्रणालियों एव नौका तथा इंजनों के प्रयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये चौथी योजना के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विभाग द्वारा प्रशिक्षित मछुओं को किराया-खरीद आधार पर यांत्रिक नौकाए दी जाती है। द्वीप की 46 यांत्रिक नौकाओं में से उपदानित शर्तों पर नौकाएं देने की योजना के अन्तर्गत द्वीप निवासियों को 28 नौकाएं दी गई हैं। शेष नौकाएं मात्स्यकी विभाग द्वारा मछली पकड़ने के प्रयोग तथा प्रदर्शन कार्य के लिये प्रयोग की जाती हैं।

(घ) और (ङ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में कृषकों को बीजों का वितरण

2894. श्री म० ला० सोंधी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 28 नवम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कृषकों को बीजों के वितरण के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिदे) : (क) और (ख) : अभी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होनी है।

पश्चिमी बंगाल के कृषि विस्तार अधिकारियों को स्थायी करना

2895. श्री म० ला० सोंधी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 28 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कृषि विकास अधिकारियों को स्थायी करने में बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : स्थिति, जो राज्य सरकार से मालूम की गई है और जो लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2558 के उत्तर में 28 नवम्बर, 1968 को दिए गए आश्वासन के संदर्भ में सूचित की जा चुकी है, संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

कुछ कृषि विस्तार अधिकारी जो 8 से 9 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं, अभी तक अस्थायी है। संवर्ग में उनकी आपस में वरिष्ठता नियत की जानी है और उनको कृषि विस्तार अधिकारियों के स्थायी पदों में उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्त करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। संवर्ग में कृषि विस्तार अधिकारियों के स्थायी पदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है ताकि अधिक अस्थायी अधिकारियों को उन पर नियुक्त करने में सुविधा हो।

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 3568 एफ एफ 2–167।67 दिनांक 5–10–67 द्वारा निर्णय किया हैं कि सभी सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने लगातार 3 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है, को अर्द्ध-स्थायी घोषित किया जाएगा, यदि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उनकी योग्यता, आयु, अर्हता तथा सेवा अभिलेख के बारे में सन्तुष्ट हो। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उन सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने लगातार 5 वर्ष से अधिक अस्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी सेवा की है, को स्थायी हैसियत के साथ सेवा में रहने वाला घोषित किया जाएगा, यदि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उनकी योग्यता, आयु, अर्हता तथा सेवा अभिलेख के बारे में संतुष्ट हो ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी किये जाना

2896. **श्री म० ला० सोंधी ।**
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण :
श्री सूरज भान :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बंश नारायण सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री बख्शी गुलाम मुहम्मद :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 19 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5114 के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1968 तथा जनवरी 1969 में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कितने टोकन जारी किये गये तथा प्रतीक्षा सूची में अभी कितने नाम अंकित है ; और

(ख) क्या दूध की सप्लाई और वितरण में सुधार करने के लिये आगे कोई कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के पास लगभग 81,000 प्रार्थी प्रतीक्षा सूची में थे। इनमें से लगभग 65,000 प्रार्थियों को दिल्ली दुग्ध योजना में दूध की अंफर की जा चुकी है।

नवम्बर तथा दिसम्बर, 1968 और जनवरी, 1969 के दौरान में दिल्ली दुग्ध योजना 15,558 प्रार्थियों को निम्न प्रकार से दुग्ध टोकन जारी कर सकी है —

माह	प्रार्थियों की कुल संख्या जिन्हें दुग्ध टोकन जारी किये गये हैं।
नवम्बर, 1968	3,843
दिसम्बर, 1968	5,007
जनवरी, 1969	6,708
	15,558

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना दूध की प्राप्ति और वितरण को बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में कुछ निम्न कदम उठाये गये हैं —

(1) दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध सम्भरण करने वाले ठेकेदारों से पक्के करार किये गये हैं। यदि वर्ष के दौरान दुग्ध की निश्चित मात्रा सम्भरण न कर सकें तो उन्हें 5 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से जुर्माना अदा करना होता है।

(2) ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें दिये जाने वाले कमीशन की दर बढ़ा दी गई है।

(3) हरियाणा राज्य में करनाल से लगभग 20 मील दूर एक नये उपलब्धि क्षेत्र में कार्य शुरु कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तथा मुरादाबाद और राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों से भी दुग्ध इकट्ठा करने का काम आरम्भ कर दिया गया है।

(4) आगामी ग्रीष्म ऋतु में 15 अप्रैल 1969 से 3 महीनों की अवधि के लिए सुस्वादु दुग्ध पदार्थ जैसे खोया, क्रीम तथा दुग्ध से बनी मिठाइयां के निर्माण आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(5) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों के लिये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, हरियाणा के गुड़गांव और करनाल जिलों तथा राजस्थान के बीकानेर जिले में चार गहनढोर विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(6) करनाल के गहन ढोर विकास परियोजना क्षेत्र में सहकारी समितियों के गठन का कार्य चालू कर दिया गया है। इन समितियों के उत्पादक सदस्यों को दुधारु पशुओं की खरीद के लिये ऋण दिये जा रहे हैं।

(7) मेहसाना सहकारी संघ ने दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध सम्भरण करने की पेशकश की है। संघ ने पिछले दिसम्बर से सम्भरण आरम्भ कर दिया है और आजकल उन से प्रतिदिन औसतन लगभग 12,000 लिटर दूध प्राप्त हो रहा है।

Supply of Shehtoot Wood to Hockey Industry

2897. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons why the desired quantity of Shehtoot wood could not be made available to the hockey industry so far although "Shehtoot" forests were planted to avoid import of "Shehtoot" wood for the hockey industry; and

(b) the steps Government are taking to improve the situation?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The information is being collected from the sources concerned and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Production of Beet-Root Seeds

2898. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be Pleased to state:

(a) the results of the schemes implemented to grown beet-root (Chukander) seed in India; and

(b) whether it has been possible to grow the seeds in the hills also or success has been achieved in the plains only ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b) : Sugarbeet seed has been successfully raised in Mahasu and Kinnaur districts in Himachal Pradesh and Srinagar in Kashmir. Our experience so far is that Beet does not set seed in the plains.

इंजीनियरी मंजूरी बोर्ड

2899. **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरी उद्योग के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड का पंचाट प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार और गैर सरकारी नियोजनों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये आदेश जारी किये गये।

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इन्जीनियरी उद्योगों के मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ।

(ख) नियोजकों के प्रतिनिधि न तो अध्यक्ष और स्वतन्त्र सदस्यों और न ही श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हैं ।

(ग) बोर्ड की रिपोर्ट विचाराधीन है । सरकार नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से एक बैठक पहले ही कर चुकी है ।

माडर्न बेकरीज लिमिटेड

2900. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड की बनी डबल रोटियां बाजार में सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गैर-सरकारी विक्रेताओं ने जनता में बेचने के लिये इन्हें न खरीदने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) जनता को डबल रोटी उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं । माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित डबल रोटी खुदरा दुकानों पर बेची जाती है जिनकी संख्या बहुत अधिक है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

माडर्न बेकरीज

2901. **श्री गाडिगिलन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) कर्मचारियों के लिये काम के क्या घंटे निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे)

(क)	श्रेणी–1 (वेतनमान रु० 400–950 और इससे ऊपर)	28
	श्रेणी–2 (वेतनमान रु० 350–900)	16
	श्रेणी–3 (वेतनमान रु० 110–180 तथा रु० 210–530)	188
	श्रेणी–4 (वेतनमान रु० 70– 85 तथा रु० 85–110)	220
	जोड़	452
(ख)	श्रेणी–1	शून्य
	श्रेणी–2	शून्य
	श्रेणी–3	1
	श्रेणी–4	22
	जोड़	23

(ग)	1. मुख्यालय स्टाफ के लिए	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जैसे ।
	2. अहमदाबाद, बम्बई, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थित पांच बेकरी यूनिटों के लिए ।	(1) प्रशासी-स्टाफ के लिए एक सप्ताह में 38–112 घंटे । (2) उत्पादन । फैक्ट्री स्टाफ के लिए एक सप्ताह में 48 घंटे ।

उर्वरकों का उपहार के रूप में मिलना तथा उनका वितरण

2902. **श्री गडिनिगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 और 1968 में भारत को कुल कितनी मात्रा में उपहार के रूप में उर्वरक प्राप्त हुए ;

(ख) उनकी कीमत क्या थी ;

(ग) विभिन्न राज्यों को उक्त उर्वरक किस प्रणाली से वितरित किये गये ;

(घ) क्या इस के लिये सरकार ने जनता से कोई धन राशि वसूल की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : 1967 और 1968 की अवधि में भारत को जो उपहार रूप में मिले उर्वरक की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार है :–

वर्ष	मीटरी टन	रुपये
1967	35,971.800	2,11,76,732
1968	22,464.485	1,29,07,130

(ग) उर्वरकों का उपरोक्त उपहार भारतीय भूख से छुटकारा अभियान समिति को दिया गया था। यह उपहार केन्द्रीय उर्वरक पूल ने भारतीय भूख से छुटकारा अभियान समिति को क्रय मूल्य अदा करके प्राप्त किये थे। पूल ने इन का आवंटन राज्यों को साधारण सप्लाई के एक अंश के रूप में किया था।

(घ) जी हां।

(ड़) प्रश्न ही नहीं होता।

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज योजनाएं

2903. **श्री सीता राम केसरी :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज योजनाओं को पुनः गति प्रदान करने के लिये नई योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर होने वाला प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) : चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज योजनाएं भी शामिल हैं, को अभी अन्तिम रूप दिया जाना रहता है, अतः इस समय योजना स्कीमों का ब्यौरा और परिव्यय सूचित नहीं किये जा सकते हैं।

उर्वरकों का प्रयोग

2904. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का समयानुसार नियोजित तथा बुद्धिमता पूर्ण प्रयोग के प्रचार के व्यावहारिक कार्य को बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो स्थापित व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या हैं ; और

(ग) इसके क्या परिणाम हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां

(ख) और (ग) : खेतों के उर्वरकों के उचित उपयोग के सम्बन्ध में किसानों को सलाह देने का कार्य मुख्यतः विस्तार एजेन्सियों द्वारा किया जाता है जिनमें ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी जिला स्तर पर विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि, मृदा और उर्वरकों में) (जहां कहीं कोई ऐसे अधिकारी सघन जिलों में नियुक्त हों) सम्मिलित हैं। अन्य संस्थायें जो कि उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं और जिनकी गतिविधियां विस्तार एजेन्सियों की गतिविधियों में सहायक होती हैं, वे इस प्रकार हैं (1) राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय, (2) केन्द्रीय स्तर पर विस्तार निदेशालय और (3) उर्वरक उत्पादक संस्थायें।

विस्तार एजेन्सियां उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग को विभिन्न विधियों द्वारा बढ़ावा देती है, जैसेकि भिन्न-2 फसलों के सम्बन्ध में उर्वरकों के उपयोग और उससे सम्बन्धित कला में कृषकों का प्रशिक्षण, उर्वरकों के उपयोग सम्बन्धी साधारण परीक्षण प्रदर्शन, मिश्रित प्रदर्शन, राष्ट्रीय प्रदर्शन, बहुफसली प्रदर्शन, आदि जिनमें कि उर्वरकों के उपयोग का प्रत्यक्षण केवल एक ही निर्दिष्ट फसल के सम्बन्ध में किया जाता है, उर्वरकों के उपयोग के सम्बन्ध में कृषकों को व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सलाह देना, ग्रुप विचार विमर्श और बैठकें नेता प्रशिक्षण शिविरों और दृश्य-प्रचार उपायों द्वारा जैसे पोस्टरों, चार्टों, पत्रकों, फ्लैनल ग्राफ्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि, जिनमें रासायनिक उर्वरकों के सही उपयोग के विषय में जानकारी होती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मृदा प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। आजकल देश में 35 मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें हैं। 14 वर्तमान प्रयोगशालाओं की क्षमता को 30,000 नमूने प्रतिवर्ष की क्षमता तक बढ़ाकर और इसी क्षमता की 25 और नई प्रयोगशालाओं को स्थापित कर इन सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इनके अतिरिक्त 34 मोटर वाली मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें भी राज्यों में वितरण के लिए बनायी जा रही हैं। जब इन सबकी व्यवस्था हो जायेगी, तो ये 30 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण प्रतिवर्ष करने में समर्थ हो सकेंगी। विस्तार एजेन्सियां किसानों के खेतों से मृदा नमूनों का संग्रह कर प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में उनके विश्लेषण में सहायक होती है। मृदा परीक्षण परिणामों के आधार पर ही किसी फसल विशिष्ट के लिये उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, और ये शिफारिशें सम्बन्धित किसानों को सूचित कर दी जाती है। अनेकों किसानों द्वारा अब इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है जिससे कि उर्वरकों के व्यर्थ के उपयोग से, जोकि मंहगे होने के साथ 2 कम मात्रा में भी उपलब्ध हैं, बचाया जा सके।

कृषि विश्वविद्यालय जहां कहीं भी हैं, निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रदर्शन करते रहते हैं और किसानों को उर्वरकों के सही उपयोग के सम्बन्ध में भी सलाह देते हैं। मृदा परीक्षण सुविधायें भी सीमित स्तर पर उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं।

केन्द्रीय विस्तार निदेशालय भी अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में सहायता करता है। उर्वरकों के उपयोग, मृदा परीक्षण प्रदर्शन, सूचना और प्रचार आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को

सलाह देने के अतिरिक्त, यह राज्यों को उपर्युक्त प्रकार के कार्यों में सहायता देने के लिये धन का नियतन भी करता है । इनके अतिरिक्त, राज्य सरकार सघन और दूसरे जिलों के प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायता देने के लिये स्वयं भी धन की व्यवस्था करती है ।

उर्वरक उत्पादन फर्में भी इन विकास गतिविधियों में सहायता दे रही हैं जैसेकि केरल में एफ० ए० सी० टी० और आन्ध्र प्रदेश में कोरोमोन्डल फर्टिलाइजर किसानों के मध्य प्रभावी विस्तार कार्य कर रही हैं, जिसमें किसानों के लिये मृदा परीक्षण भी सम्मिलित है । भारतीय उर्वरक निगम ने भी सिन्दरी और ट्राम्बे में मृदा परीक्षण सुविधायें देने और उर्वरकों के सही उपयोग के सम्बन्ध में किसानों को सलाह देने की व्यवस्था की है ।

विस्तार एजेन्सियों द्वारा सम्पूर्ण देश में किये गये इन विकासगामी कार्यों द्वारा पिछली तीन योजनाओं में रासायनिक खादों की खपत में कई गुणा वृद्धि हुई है । नाइट्रोजन की खपत तीसरी योजना के अन्त तक (1965–66) अनुमानत: 6.00 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ गई है जबकि योजना पूर्व अवधि (1950–51) में 0.55 लाख मैट्रिक टन थी । फासफेटपूरक उर्वरकों की खपत इसी अवधि में 0.07 लाख मैट्रिक टन से 1.50 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ गई । तीसरी योजना के अन्त तक पोटास की खपत भी 0.9 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गई थी ।

Opening of Post Office an Village Nalai, in Garhwal U. P.

2905, Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received an application from Patwalasyun Garhwal Vikas Mandal, Delhi regarding opening of a Post Office at Village Nalai, Patwalsyun;

(b) if so, the decision taken or proposed to be taken thereon;

(c) whether it is a fact that there is no Post Office in a radius of 5 miles from village Nalai, Patwalsyun in Pauri Garhwal district; and

(d) if so, when Government propose to open a Post Office there ?

The Minister of Sate in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) The case is under examination by the Postmaster General, Lucknow.

(c) No. The nearest Post Office Parsundakhal S. O. is at a distance of about 2 miles 4 furlongs from Village Nalai, Patwalsyun. There is another Post Office at Kalzikhal at a distance of 3 miles.

(d) This will depend upon the result of examination of the case.

Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd, Indore.

2906. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2407 on the 28th November, 1968 and state :

(a) whether Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd., Indore Malwa United Mills Limited, Indore and Hira Mills Ltd., Ujjain have since deposited the arrears of employees provident fund;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) if so, the amount of arrears deposited by each of the above Mills and the amount of arrears still outstanding against each of them; and

(d) whether necessary permission has since been obtaine from the State Government for taking necessary action in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c): The Employees' Provident Fund Organisation has reported as under :-

The amounts of provident fund dues deposited by each of the establishments against the amounts outstanding on 30.9.68 and the amounts still outstanding are given below :-

	Amount in default as on 30.9.68	Amount deposited since 30.9.1968. (Rupees in lakhs)	Amount outstandi
(I) Swadeshi Cotton & Flour Mills Ltd; Indore.	14.95	00.58	14.37
(II) Indore Malwa United Mills Ltd. ,Indore.	38.50	00.23	38.27
(III) Hira Mills Ltd; Ujjain.	14.41	Nil	14,41

The establishments have pleaded financial difficulty for not remitting the full dues.

(d) Recovery proceedings under section 8 of the Employees Provident Funds Act, 52 have been initiated with the sanction of the State Government against these three establishments for realisation of the dues as arrears of land revenue. Prosecution under section 14 of the Act has also been launched against Indore Malwa United Mills Ltd, , Indore with the section of the State Government. The sanction of the State Government for prosecution of the other two establishments is awaited.

Wheat Supply to Madhya Pradesh

2807. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3342 on the 5th December, 1968 and state :

(a) whether the quantity of wheat out of the quota of wheat allotted by the Central Government to the Madhya Pradesh Government during September, October and November, 1968 which was not actually supplied to the State Government, has since been supplied to the State;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) if so, the quantity of wheat supplied during the said months and the quantity which still remained to be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) Because the M. P. Government informed the Centre that they would meet their further requirements from locally procured wheat.

(c) Does not arise.

Protection of the Interests of Rural Labour

2908. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Planning Commission has mentioned the measures adopted and proposed to be adopted for the protection of the interests of rural labour in various documents connected with the Plan;

(b) whether rural labour have benefited by the development schemes formulated to ameliorate the economic condition of rural areas;

(c) whether any benefit has accrued as a result of specia schemes formulated for the development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes in rural areas; and

(d) the details of the rate of progress of the rural labour upto December, 1968 and the details of alternative measures to be taken in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes, but not to the desired extent.

(d) The Intensive Type Studies of Rural Labour in India at present undertaken by the Labour Bureau may give some information on the impact of various programmes taken up by the Government and other agencies on rural labour households.

Details of the various schemes to be taken up in the Fourth Five Year Plan are still under consideration and will be spelt out in the Fourth Five Year Plan document.

डाक-तार विभाग में कार्य के घंटे

2909. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्टल सिग्नलर, पोस्टल क्लर्क, उप-डाकपाल और तार संदेशक को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होता है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त श्रेणियों में पोस्टल सिग्नलरों को समयोपरि कार्य करना पड़ता है और उन्हें समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण है;

(घ) क्या समस्त श्रेणी के डाक-तार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का अनिवार्य रूप से भुगतान करके सरकार इस असमानता को दूर करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इन श्रेणियों के कर्मचारी प्रति सप्ताह 48 घटे काम करते हैं।

(ख) सिवाय इसके जबकि ये स्वतंत्ररूप से कार्यालयों का कार्य भार संभालते हों, वे समयोपरि भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यहां तक कि समयमान कार्यालयों के कार्यभारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाता है जबकि उनको नियंत्रक तारघरों से समयोपरि काम करना पड़ता हैं।

(ग) सामान्यतः स्वतत्ररूप से कार्यालयों का कार्य भार संभालने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने की मंजूरी नहीं है, चूंकि उनके कार्य पर कोई पर्यवेक्षण और नियंत्रण नहीं रखा जाता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सामान्यतः समयोपरि भत्ता उस श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके काम पर कोई नियन्त्रण और परिमाप रखा जा सकता हो। इस सिद्धान्त से विचलित होना कोई आवश्यक नहीं समझा गया है।

Violation of Factory ACT in U. P.

2910. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 265 on the 1st August, 1968 regarding violation of Factory Act in U. P. and state :

(a) the decisions taken in the case of 351 Companies which were pending in the courts;

(b) the reasons for which these companies have been let off after giving a warning and why permission has been granted to one Company for filing appeal; and

(c) the reasonswhy the case in respect of three Companies have been filed against whom charges were levelled and the reasons for not prosecuting the successor of the above Companies ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) : The matter falls within the State sphere.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में सेवा प्रणाली का लागू किया जाना

2911. श्री समर गुह :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में सेवा प्रणाली लागू किये जाने का भारतीय चिकित्सा संघ, कलकत्ते ने विरोध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विरोध के कारण इस क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देख-रेख की व्यवस्था राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेवारी है और भारत सरकार का इससे ताल्लुक नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के छः केन्द्रों में तालिका प्रणाली के साथ-साथ सेवा-प्रणाली प्रारम्भ करने का विचार किया है, परन्तु सेवा-औषधालय अभी तक चालू नहीं किये गये हैं।

उर्वरकों के मूल्यों में कमी

2912. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के मूल्य कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के बाद विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा वितरित किये जाने वाले उर्वरकों के मूल्य में कमी करने का अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं है। वस्तुतः उर्वरकों का मूल्य मुख्यतः उत्पादन शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी आयात शुल्क लगाये जाने के कारण बढ़ाया गया हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

:—1968-69 में राज्यों को छोटी सिंचाई के लिये धनराशि का नियतन

2913. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968—69 में विभिन्न राज्यों की छोटी सिंचाई के लिये कितना परिव्यय और नियतन किया गया है;

(ख) क्या 1967-68 के लिये नियत की गई पूरी धनराशि का उपयोग किया गया है और इससे किसानों को सिंचाई के मामले में क्या लाभ होगा; और

(ग) इनके प्रयोग के परिणामस्वरूप 1967-68 में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों के लिये 1968-69 के लिए लगभग 88 00 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी गई है। राज्य के अनुसार नियतन संलग्न परिशिष्ट में दे

दिया गया है। दिनांक 1-4-67 से लागू की गई सहायता प्रतिमान के अनुसार राज्य की लघु सिंचाई योजनाओं को केन्द्रीय सहायता कुल मंजूर परिव्यय का 60 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में और 15 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में दी जाती हैं, और शेष 25 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकारें स्वयं वहन करती है ।

(ख) राज्य सरकारों ने 1967-68 में चौथी एवं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 103.17 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय के विषय में सूचना भेजी है जबकि इसकी तुलना में इस वर्ष के लिये मंजूर परिव्यय की राशि 103.06 करोड़ रुपये है ।

(ग) लघु सिंचाई सुविधाओं के अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये कई तथ्य भी महत्वपूर्ण है अतः इस बात का ठीक हिसाब लगाना कठिन है कि उत्पादन के एक घटक का कृषि उत्पादन में कितना योगदान है । फिर भी मोटे तौर पर कहा जा सकता हैं लघु सिंचाई से लाभान्वित होने वाली प्रत्येक अतिरिक्त एकड़ भूमि से लगभग $\frac{1}{5}$ मीटरी टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन बढ़ा है । अनुमान लगाया गया है कि 1966-67 तथा 1967-68 के प्रत्येक वर्ष में सिंचाई योजनाओं से 34 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को लाभ पहुंचा है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1968-69 के लिए स्वीकृत व्यय (करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र-प्रदेश	3.00
2.	आसाम	0.98
3.	बिहार	10.47
4.	गुजरात	5·20
5.	हरियाणा	1.04
6.	जम्मू और कश्मीर	1.00
7.	केरला	2.28
8.	मध्य-प्रदेश	6.30
9.	महाराष्ट्र	15.66
10.	मैसूर	6.00
11.	नागालैंड	0.12
12.	उड़ीसा	0.93
13.	पजाब	1.45
14.	राजस्थान	1.99
15.	तमिलनाडू	5.00
16.	उत्तर-प्रदेश	20.70
17.	पश्चिम-बंगाल	6.21
	योग :-	88.33

शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए कार्मिक संघ सम्बन्धी अधिकार

2914. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें देश की शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए कार्मिक संघ सम्बन्धी अधिकारों की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को कार्मिक संघ सम्बन्धी अधिकार देने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के हेतु सरकार का विचार आवश्यक कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां, भारत के विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की ओर से लोक-सभा को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है ।

(ख) और (ग) : इन सब मामलों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग विचार कर रहा है । आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी ।

Improvement in Delhi Milk Scheme

2916. **Shri Yashwant Singh Kushwha :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the steps taken by the Delhi Milk Scheme to increase its capacity in order to meet the requirements of the public ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : Delhi Milk Scheme is taking the following steps for increase its capacity :-

(I) Central Dairy of the Delhi Milk Scheme is being expended from its present handling capacity of 2,55,000 litres per day to 3,00,000 litres per day.

(II) A subsidiary dairy plant or "Balancing Station" is being set up at Bikaner with a capacity in the first phase of handling 50,000 litres of milk per day.

Development of Sheep-Wool Industry in Rajasthan

2917. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the steps being taken by Central Government to remove the laxity which has cropped up in the development of sheep wool industry in Rajasthan in collaboration with Australia; and

(b) the reasons for which statisfactory progress is not being made in this regard in spite of favourable conditions therefor in Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b): The requisite information has been called for from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Collection of food production Figures

2918. Shri Bhola Nath Master: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether his Ministry is considering over a new scheme to collect figures of food production in a correct manner according to the directions of the Planning Commission; and

(b) the action being taken on the report of the Committee appointed under the Chairmanship of Dr. S. R. Sen in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The overall question of effecting improvements in the estimation of foodgrains output in the country is under consideration of the Government.

(b) The report of the Technical Committee on Crop Estimates, headed by Dr. S. R. Sen, is receiving attention.

कीट नियंत्रण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

2919. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीट नियन्त्रण उपायों के संबंध में खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में हाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) क्या इस गोष्ठी ने कीट नियन्त्रण के सम्बन्ध में कोई ऐसा सुझाव दिया है कि जो देश के लिये लाभदायक हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उन्हें मान लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कीट विज्ञानीय समिति ने (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (2) अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रतिरक्षा मन्त्रालय (3) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और (4) भारत की कीट नाशक संस्था के साहचर्य से संचालित, समेकित कीट नियन्त्रण पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, अक्तूबर, 1965 में हुई खाद्य और कृषि संगठन की गोष्ठी की पद्धतियों पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 20 से 24 जनवरी, 1969 तक संगठित की।

(ख) जी हां।

(ग) इन विचार विमर्शों के फलस्वरूप, गोष्ठी ने समेकित कीट नियन्त्रण की मानित परिभाषा, कार्य क्षेत्र और सिद्धान्त बतलाये और कितने ही क्षेत्र एवं समस्याएं की पहचान

कराई, जिनके लिये समेकित नियन्त्रण की सिफारिश की है, प्रथम पायोगिक माप परीक्षण के लिये और फिर वृहत मात्रा में प्रयोग के लिये। भारत सरकार भारतीय कीट विज्ञानीय समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज की सप्लाई

2920. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी की फसल के लिये उत्पादकों को अधिक उपज देने वाले अच्छी किस्म के बीज सप्लाई करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों के लिये कितनी मात्रा में बीजों का नियतन किया गया है; और

(ग) नई किस्म के बीजों से कितना अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना• साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये बीजों के उत्पादन का प्रबन्ध व वितरण करना राज्य सरकारों का कार्य है। कमी की स्थिति में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से विशेष बीज उत्पादन कार्यक्रम का प्रबन्ध कर के या अधिशेष राज्यों में उपलब्ध सप्लाई को भिजवा कर, कमी को पूरा करने का प्रबन्ध करती है। रबी के मौसम में साधारण काश्त के लिये किसी बीज की सप्लाई के लिये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यों से कोई प्रार्थना पत्र नहीं आई है। फिर भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से नवीन अम्बर रंग गेहूं के बीज की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय बीज निगम के पास मांग पत्र पहुंचे थे। निगम ने निम्न लिखित मात्रा सप्लाई की है :–

उत्तर प्रदेश	250 क्विन्टल
राजस्थान	325 क्विन्टल

(ग) रबी ग्रीष्म 1968–69 के लिये राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत और उन के द्वारा स्वीकृत मापदंड व क्षेत्रों के लक्ष्यों के आधार पर समस्त देश के लिये 968 लाख टन के लगभग अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

लम्बे रेशे वाले कपास की खेती

2921. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने एकड़ भूमि में लम्बे रेशे वाली कपास की खेती होती है तथा उस का प्रति एकड़ उत्पादन कितना होता है; और

(ख) प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने तथा आयात का भार कम करने के उद्देश्य से उत्पादकों को देश में लम्बे धागे वाले कपास का उत्पादन करने के हेतु प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1965-66 तथा 1966-67 में जितने एकड़ भूमि में लम्बे रेशे वाली कपास की खेती हुई और उस की उपज प्रति हेक्टेयर निम्नलिखित है:—

वर्ष	000 हेक्टेयर में क्षेत्र		कि० ग्रा० में उपज प्रति हेक्टेयर	
	बढ़िया । लम्बे		बढ़िया ।	लम्बे
	लम्बे			
1965-66	191.0	1580.9	130.0	111.0
1966-67	185.9	1788.5	148.0	107.0

1967-68 तथा 1968-69 वर्षों के लिये सरकारी अनुमान अभी तक निर्मुक्त नहीं किये गये हैं।

(ख) कपास उत्पादन को विशेषत: लम्बे रेशे वाली कपासों की वृद्धि के लिये भारत सरकार एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है जिस के अन्तर्गत पौद रक्षा रासायानों तथा उपकरणों पर आर्थिक सहायता के रूप में और तकनीकी मार्गदेशन के रूप में किसानों को प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

पंढरपुर के लिये तथा पंढरपुर से डाक वाहन की अनियमित व्यवस्था

2922. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर जिले में मंगलवेधा के नागरिकों ने पंढरपुर के लिये तथा पंढरपुर से मैसूर सरकार परिवहन सेवा द्वारा डाक वाहन की अनियमित व्यवस्था के बारे में अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) क्या सरकार नागरिकों के हित में डाक वाहन का उत्तरदायित्व महाराष्ट्र राज्य परिवहन सेवा को जिसकी प्रतिदिन 12 नियमित सेवाएं चलती हैं, सौंपने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय संचार व्यवस्था का खराब होना

2923. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक भार के कारण संचार व्यवस्था में बार-बार होने वाली खराबी के अवसरों को कम करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है जिससे खराबी के कारण राज्यों के बीच संचार व्यवस्था में बाधा नहीं पड़ेगी जैसा कि अब तक होता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। इस समय महत्वपूर्ण नगरों के बीच दूर–संचार व्यवस्था दूर–संचार के केवल एक ही माध्यम द्वारा होती है। इस माध्यम में अपरिहार्य गड़बड़ी के दौरान भी सेवा को बनाये रखने की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनाई गई है। इस योजना के कार्यान्वित किये जाने के बाद मामूली खराबियों से दूर-संचार व्यवस्था भंग नहीं होगी।

(ख) अब तक मंजूर की गई योजनाएं और उनमें हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है :

1. दिल्ली–बरेली–लखनऊ सहधुरीय लाइन।
2. लखनऊ-कानपुर सहधुरीय लाइन।
3. लखनऊ-गोरखपुर-पटना-आसनसोल सूक्ष्मतरंग लाइन।
4. पटना–कटिहार सूक्ष्मतरंग लाइन।
5. दिल्ली–जयपुर-इन्दौर–धुलिया–बम्बई सूक्ष्मतरंग लाइन जिसका इन्दौर और अहमदाबाद के लिए विस्तार किया गया है।
6. पूना-सिकन्दराबाद सूक्ष्मतरंग लाइन।
7. दिल्ली-भटिंडा-जालंधर सूक्ष्मतरंग लाइन।
8. बम्बई-धुलिया-नागपुर-सहधुरीय लाइन।
9. बम्बई–धुलिया–नागपुर-रायपुर-सम्भलपुर-जमशेदपुर-खड़गपुर सूक्ष्मतरंग लाइन।
10. कलकत्ता–कटक–विजयवाड़ा–मद्रास और विजयवाड़ा–सिकन्दराबाद सहधुरीय लाइन।
11. कोयम्बटूर–एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम सहधुरीय लाइन।

(ख) II. चौथी प्रायोजना में शामिल की गई ऐसी योजनाएं जिनकी अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है-

1. दिल्ली-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-जबलपुर-नागपुर-सूक्ष्मतरंग लाइन ।
2. नागपुर-सिकन्दराबाद-बंगलौर सहधुरीय लाइन ।
3. बम्बई-पंजिम-मंगलौर-बंगलौर-मद्रास सूक्ष्मतरंग लाइन ।
4. मंगलौर-कोजीकोड-एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम सूक्ष्मतरंग लाइन ।
5. मद्रास-पांडिचेरी-तिरूचिरापल्ली सहधुरीय लाइन ।
6. मदुराई-तिरूनेलवेली-त्रिवेन्द्रम सहधुरीय लाइन ।

(ग) आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर अगले पांच से सात वर्षों के दौरान ।

उड़ीसा में कृषि सहकारी ऋण समितियां

2924. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कुल कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं;

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में किसानों को ऋण देने के लिए वर्षवार कितनी राशि नियत की गई;

(ग) क्या यह धन पूर्णतया उपयोग में लाया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

किसानों को सरकारी ऋण

2925. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को भूजोतों के आधार पर सहकारी ऋण दिया जाता है न कि उत्पादन के आधार पर; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) और (ख) : कृषकों को दिए जाने वाले सहकारी ऋण का प्रमुख बल उत्पादन पर है । अल्पकालीन ऋण फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत इस बात का अनुमान लगाकर देना होता है कि जिस क्षेत्र में खेती की जानी है उसके बारे में विभिन्न फसलों को उगाने के लिए निर्धारित किए गए वित्त-मान के अनुसार कितनी आवश्यकता है । मध्य तथा दीर्घकालीन ऋण इस बात को देखते हुए उत्पादी फार्म निदेशों के लिए दिए जाते हैं कि प्रयोजन विशेष के बारे में वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं और वापिसी अदायगी की क्षमता कितनी है ।

Common Code for Labourers

2926. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government are considering the question of framing a common code for all types of labourers working in the public sector, private sector and the agricultural industry in the country;

(b) if so, the time by when it will be framed; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c): No such proposal is under Government's consideration. However, Government understand that the Study Group on Labour Legislation appointed by the National Commission on Labour has in its report to the Commission recommended the framing of a Labour Code. Government are not seized of this matter at present and will consider it on receipt of the recommendations of the Commission.

Licences for Distribution of Fertilisers

2927. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the names of States whether licences for distribution of fertilizers have been given to private agencies rather than selling it through cooperatives;

(b) whether permission was accorded by the Central Government to them therefor; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) In Jammu and Kashmir, Orissa, Maharashtra, Punjab, Delhi and Manipur, the distribution of fertilisers is arranged exclusively through Cooperatives. In Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Andhra Pradesh, Kerala, Madras, West Bengal, Rajasthan, Gujarat, Mysore, Chandigarh, Pondicherry and Goa, Daman and Diu, the fertilisers are distributed mainly through cooperatives and partly through private dealers. In Assam and the Union Territories of Andamans and Nicobar, Laccadives, Tripura, NEFA and Himachal Pradesh, the distribution of fertilisers has been entrusted by the State Government/Union Territory Administrations to Public Sector Corporations and the Departmental Agencies.

(b) and (c) : The internal distribution of fertilisers within a State/U. T. is the sole responsibility of the State Government/Union Territory Administration and no permission is accorded by the Central Government for appointment of distributors.

New Radio Station

2928. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) the names of places where Government propose to set up Radio Stations during the next five years; and

(b) the requirements which are taken into consideration for setting up a Radio Station ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A statement is attached

(b) Location of radio stations is decided having regard to considerations of public policy, area, population, language and culture of the region concerned, its seat of administration, availability of talent and technical feasibility.

Statement

List of Places where radio stations are proposed to be set up during the next Five Years

(a) Places where New Radio Stations have been Sanctioned :

1. Gorakhpur
2. Kumaon region
3. Leh
4. Silchar
5. Alleppey/Trichur
6. Towang
7. Niausa (Longding)
8. Koloriang
9. Anini

(b) Places at which radio stations will be set up according to the proposals contained in the Draft of the Fourth Five Year Plan. A final decision will, however, be taken after the Plan has been approved :

1. Jagdalpur
2. Chattarpur
3. Rewa
4. Ambikapur
5. Jalgaon
6. Ratnagiri
7. Aurangabed
8. Sholapur
9. Mangalore
10. Mercara
11. Suratgarh
12. Uttarkashi
13. Tehri/Garhwal
14. Pauri/Garhwal
15. Gopeshwar (Chamoli)
16. Jhansi
17. Darbhanga
18. Dhanbad
19. Jamshedpur
20. Surat
21. Lungleh
22. NEFA area - 5 Nos.
23. Rohtak

Wheat Procurement by Food Corporation of India

2929. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the quantity of wheat proposed to be procured by the Food Corporation of India during 1969-70;

(b) the agencies in various States through which the said wheat would be procured;

(c) whether Government would ensure that the farmers in all the States are paid the prices fixed by the Centre;

(d) whether Government propose to entrust the procurement work to the Cooperative Societies only; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Arrangements are being made by Food Corporation of India for procurement of about 2.5 to 3 million tonnes of wheat.

(b) Through agents including Co-operatives, kutcha and pucca arhatias, as also direct from growers. The agencies to be used in each State is decided by the State Government and the Food Corporation of India in consultation.

(c) Yes, Sir, subject to rebates on account of quality cuts.

(d) The Cooperative Societies are utilised as far as possible.

(e) Does not arise.

Sugar Mills

2930. Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the number of sugar mills, out of the total number thereof throughout the country, which have started functioning;

(b) the reasons for non-opening of the rest of the mills;

(c) whether the owners of such Mills are paying the some price to cane-growers as fixed by Government.

(d) if not, the reasons therefor and the price actually being paid; and

(e) the number of mills paying price less than Rs. 10 per quintal ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Out of 207 sugar mills in the country 202 sugar mills have already commenced crushing operation and one mill in Tamil Nadu is scheduled to go into production in first week of June, 1969.

(b) Four sugar mills are not likely to work during the season 1968-69 mainly for want of adequate cane.

(c) The owners of the mills are generally paying cane price in excess of the minimum statutory price fixed by the Government.

(d) A statement showing the range of minimum statutory price of cane Statewise and price actually paid by factories is attached.

(e) 79 mills are reported to be paying cane price at the rate of less than Rs. 10/- per quintal.

Statement

Statement showing the range of minimum prices of sugarcane notified for sugar factories in different States for the season 1968-69 and price actually paid by factories.

Name of State	Minimum sugarcane price notified for 1968-69 (Rupees per quintal)	Actual price paid by factories. (Rupees per quintal
West Uttar Pradesh	7.37 to 7.85	9 00 to 10.00
East Uttar Pradesh	7.37 to 8.12	10.00
North Bihar	7.37 to 7.96	10.00
South Bihar	7.37	9.38
Punjab	7.37	8.00 to 10.00
Haryana	7.37	7.37 to 10.00
Assam	7.37	9.00
West Bengal	7.53	10.00
Orissa	7.37 to 7.53	7.37 to 8.00
Madhya Pradesh	7.37	9.00 to 10.00
Rajasthan	7.37	10.00
Maharashtra	7.37 to 9.35	Factories paying advance payments@Rs. 7/- to Rs. 14/
Gujarat	7.37 to 8.60	9.10 to 10.00 (except Gandevi for which price notified)
Andhra Pradesh	7.37 to 7.85	7.37 to 10.00
Tamil Nadu	7.37 to 7.96	8.00 to 10.00 *
Mysore	7.37 to 9.03	10.00 to 12.50
Kerala	7.37	8.25 to 9.00
Pondicherry	7.37	8 00 (Addl. payments like Madras to be made)

* Addl. price to be paid according to agreement reached among Government (Madras) cane growers and factories.)

चीनी उद्योग

2931. श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री स० कुन्डू :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने सहकारी क्षेत्र में चीनी उद्योग के प्रति योजना आयोग के अविवेकी रवैये के विरूद्ध शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सहकारी समितियां

2932. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी समय से पड़ी बकाया राशियों और भुगतान न किये जा सकने वाले ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समितियों की राज्यवार क्या स्थिति है;

(ख) लोक वित्त, जिसमें रिजर्व बैंक के ऋण भी शामिल हैं, को सुरक्षित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए क्या एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 30-6-67 को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अतिदेय और उनके अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण दिए गए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सहकारी ऋण व्यवस्था में सहकारी ऋण समितियों के अतिदेयों पर निगरानी रखने के लिए कुछ अन्तर्निहित बचाव हैं । राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों का ऋणों का उपयोग करने तथा उनकी वसूली पर नजर रखने के लिए अपना पर्यवेक्षी तन्त्र है । रिजर्व बैंक भी राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के नियतकालिक निरीक्षण द्वारा और राज्यों में सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करके अतिदेयों की स्थिति की लगातार समीक्षा करता रहता है । आशा है कि जुलाई, 1966 में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई अखिल भारतीय ग्राम ऋण समीक्षा समिति भी अतिदेयों की समस्या का अध्ययन और उसके बारे में सिफारिशें करेगी ।

30 जून, 1967 को सहकारी समितियों की उनके अतिदेयों और अशोध्य ऋणों के बारे में राज्यवार स्थिति ।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य । केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	अतिदेय	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण
1. आन्ध्र प्रदेश	9,97	12
2. असम	1,50	1
3. बिहार	3,09	2

4. गुजरात	14,18	8
5. हरियाणा	2,16	–
6. जम्मू तथा काश्मीर	92	4
7. केरल	3,75	9
8. मध्य प्रदेश	19,82	24
9. मद्रास	13,44	13
10. महाराष्ट्र	39,95	33
11. मैसूर	12,25	5
12. नागालैंड	1	–
13. उड़ीसा	5,48	5
14. पंजाब	5,15	–
15. राजस्थान	5,16	4
16. उत्तर प्रदेश	17,80	–
17. पश्चिम बंगाल	4,31	14
18. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	–
19. चंडीगढ़	1	अप्राप्य
20. दिल्ली	3	–
21. गोवा, दमन तथा दीव	4	–
22. हिमाचल प्रदेश	84	21
23. मनीपुर	11	–
24. पांडिचेरी	3	–
25. त्रिपुरा	14	–
योग	160,15	1,55

टिप्पण : 30-6-1968 तक के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 30 जून, 1968 को अतिदेय 156.75 करोड़ रु० निकलते हैं ।

वनस्पतियों को हाइड्रोफोनिक तरीके से उगाना

2933. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् हाइड्रोफोनिक तरीकों से, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, वनस्पतियों के उत्पादन में सुधार पर ध्यान देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् ने इस विषय में बम्बई की श्रीमती श्रोफ के प्रयोगों पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) प्रेस में प्रकाशित किए गए कृषि सुधार सम्बन्धी लेखों पर परिषद् आमतौर पर ध्यान देती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) किसी तरह से यह लेख इस परिषद् के सामने नहीं आया है । अब लेख की एक प्रति प्राप्त करने के लिए कोशिश की जा रही है ।

कैरा परियोजना तथा दिल्ली दुग्ध योजना को मिलाना

2934. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना और कैरा परियोजना को पशु विकास और इन दोनों परियोजनाओं के लिये दूध की सप्लाई के उद्देश्य से मिला दिया गया है;

(ख) क्या पशु विकास योजना को विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भी सहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जा रही है और दोनों परियोजनाओं को पर्याप्त दूध की सप्लाई के लिये क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधिकारी परियोजना 348 के अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना तथा कैरा परियोजना, आनन्द को अलग अलग रूप से सहायता कर रहे हैं । सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(i) सहायता प्रति योजना को प्रति वर्ष 2,500 मीटरी टन की दर से मोटे अनाज (मक्का तथा सोरगम) के रूप में उपहार के तौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी ।

(ii) दिल्ली दुग्ध योजना के मामले में मेरठ पशु विकास परियोजना के दुग्ध उत्पादकों को तथा कैरा दुग्ध परियोजना के मामले में कैरा सघन पशु विकास परियोजना के दुग्ध उत्पादकों को सन्तुलित पशु आहार कम कीमत पर तैयार करके वितरित किया जायेगा ।

(iii) कैरा के मामले तथा दिल्ली दुग्ध योजना के मामले में कार्यक्रम क्रमश; अगस्त 1967 तथा फरवरी 1969 में शुरू हुआ था ।

(iv) विश्व खाद्य कार्यक्रम के चारे-दाने की बिक्री से प्राप्त होने वाले धन का $\frac{2}{3}$ भाग डेरी तथा पशुधन विकास कार्यक्रमों के लिये रख लिया जायेगा तथा शेष $\frac{1}{3}$ भाग स्थानीय धान्य-अन्न की खरीद के लिये समतुल्य भाग के रूप में जमा रखा जायेगा ताकि विश्व खाद्य कार्यक्रम

की सहायता समाप्त होने के पश्चात कार्यक्रम को जारी रखा जा सके ।

(v) विश्व खाद्य कार्यक्रम के चारे-अन्न की सीमित मात्रा की उपलब्धि के कारण इस कार्यक्रम को प्रत्येक सघन पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत 10,000 पशुओं को आहार प्रदान करने तक सीमित रखा जायेगा ।

(vi) इस योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्ति सम्बन्धित डेरी परियोजनाओं को दुग्ध संभरण करेंगे ।

पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

2935. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योगपतियों ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में पहल की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को वाणिज्यिक आधार पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य को अपने हाथ में लेने को तैयार न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी केवल सरकार की योजना लाभ से चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार के अनुसार पश्चिमी बंगाल में ऐसे परिणाम क्यों प्राप्त नहीं किये जा सकते ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई है ।

(ख) विदेशी सहयोग से सम्बन्धित क्षेत्र को छोड़कर गैर-सरकारी क्षेत्र में व्यापारिक स्तर पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । विदेशी सहयोग से सम्बन्धित प्रस्तावों पर गुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) केरल सरकार ने अभी तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये कोई विभागीय योजना नहीं प्रारम्भ की है ।

केरल राज्य मात्स्यकी निगम आजकल कुछ छोटे स्निम्प ट्रौलरो का परिचालन और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये बड़े ट्रौलरों की व्यवस्था का प्रस्ताव कर रहा है । निगम ने अभी तक कुछ भी लाभांश नहीं दिया है ।

(ङ) सरकारी व गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में केरल के तटीय स्निग्ध संसाधनों के उपयोग के फलस्वरूप इस राज्य में मत्स्य उद्योग ने अति शीघ्र उन्नति की है। पश्चिमी बंगाल के तट पर इस प्रकार के संसाधनों की उपस्थिति अभी सिद्ध नहीं हो सकी है, किन्तु अब तक किये गये सर्वेक्षणों के उत्साहवर्धन परिणाम प्राप्त हुये हैं। सरकार ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग की नीति अपनाई है और इस दृष्टिकोण से पश्चिमी बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी दिलचस्पी ली है इस बात का निश्चय करने और अधिक सघन सर्वेक्षण के लिये जहाज प्राप्त करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

मजदूरों की वास्तविक आय का सूचकांक

2936. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या भारत 1966-67 से 1968-69 तक वर्षवार तथा राज्यवार मजदूरों की वास्तविक आय का सूचकांक क्या था ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री भागवत झा आजाद): वास्तविक आय के सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा धन-अर्जन के सूचकांक की अपस्फीति करके संकलित किए जाते हैं। चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विभिन्न केन्द्रों के लिए तैयार किए जाते हैं, न कि विभिन्न राज्यों के इसलिए मजदूरों की वास्तविक आय के सूचकांक के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल में कृषि संस्था

2937. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में एक कृषि संस्था स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि संस्थाओं की स्थापना करना प्रायः सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है। भारत सरकार के पास पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

श्रम संघ की स्थापना

2938. **श्री सीताराम केसरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि भारत में एक श्रम संघ स्थापित किया जाये;

(ख) अध्ययन दल ने और क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : सरकार को मालूम हुआ है कि इस प्रकार की सिफारिशें करने वाले कुछ अध्ययन दलों ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार इस समय इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

भुवनेश्वर में टेलक्स सेवा

2939. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में टेलेक्स सेवा आरम्भ करने के लिये उड़ीसा सरकार से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भुवनेश्वर में 50 लाइनों के टेलेक्स का प्रस्ताव विचाराधीन है, किन्तु पर्याप्त मांग के अभाव में इसे हाथ में ले सकना संभव नहीं हो सका है।

Transmission Executives

2940. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Transmission Executives look after the entire work of the Station Officer after office hours;

(b) whether it is also a fact that the Transmission Executives have to take their own decisions in certain matters at the time of broadcasts and have to express their views in regard to the items being broadcast;

(c) whether it is a fact that the Study Team appointed in connection with the All India Radio Staff Reorganisation has not fully defind the jurisdiction and the responsibilities of the Transmission Executives in its report; and

(d) if so, action being taken to lay down their jurisdiction and responsibilities ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Transmission Executives are required only to assist Producers/Assistant Producers/Programme Executives who are in charge of producing a programme and who are also responsible for the assessment of the programmes. Transmission Executives are required to take their own decisions only in matters incidental to their duties. They function under the supervision of Producer/Assistant Producer or Programme Executive in charge.

(c) No, Sir. It is not a fact.

(d) Does not arise.

Transfer of A. I. R. Programme Executives

2941. **Shri S. M. Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that transfers of Programme Executives are being effected in a large scale in A. I. R. these days in spite of orders regarding economy drive;

(b) whether the language qualifications of these Executives are kept in view while transferring them;

(c) if not, the reasons for posting them to a particular place about the language of which they are ignorant; and

(d) whether such transfers have detrimental effects on the broadcasting programme and lead to waste of Government money ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) In a large and expanding organisation like All India Radio which has stations all over India, some transfers are inevitable. They are ordered only when necessary.

(b) Yes Sir. As far as possible.

(c) and (d) : The single biggest reason for such posting is non-availability of personnel knowing that language and the imperative need for filling the posts in question so that work may go on. Such posting are certainly not the best arrangement. But under the circumstance, the next best has to be accepted.

Programme Executives on an ad hoc basis

2942. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the total number of ad hoc Programme Executives in the All India Radio;

(b) the number out of them who have been continuing to work there on ad hoc basis for the last more than two or three years; and

(c) the reasons for keeping them on ad hoc basis for such a long period and the action being taken to regularise their services ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Seventy four.

(b) Forty three.

(c) Ad hoc appointments had to be made for manning the vacant posts pending a final decision on the amendments to the recruitment rules which are under consideration in consultation with the Union Public Service Commission.

इम्फाल में टेलीफोन सलाहकार समिति

2943. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां चालू कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची पर आवेदकों की संख्या मिला कर 1500 या इससे अधिक हो । इम्फाल इस मानदण्ड पर पूरा नहीं उतरता ।

मनीपुर, त्रिपुरा नेफा तथा नागालैंड के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति

2944. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर, त्रिपुरा नेफा तथा नागालैंड प्रदेशों के लिये कोई डाक तथा तार सलाहकार समिति है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और उपर्युक्त सलाहकार समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या इस समिति का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागा पर्वत तुवेंसांग क्षेत्र (एन० एच० टी० ए०) के लिए सलाहकार समिति का गठन मार्च, 1961 में किया गया था । बाद में इसे बदल कर मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड के लिए कर दिया गया था । समिति के वर्तमान सदस्यों

के नाम शिलांग के पोस्टमास्टर जनरल से प्राप्त किये जा रहे हैं और इस बारे में आवश्यक सूचना शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं। फिर भी सदस्यों के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर उन्हें बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) इनमें से कुछ सदस्यों की सदस्यता सितम्बर, 1969 में समाप्त हो जानी है।

आसाम, नेफा आदि में टेलीफोन कनेक्शन

2945. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1966 के महीने में समूचे आसाम, नेफा, नागालैंड तथा मनीपुर में कितने टेलीफोन कनेक्शन थे;

(ख) दिसम्बर, 1966 के पश्चात् आदिनांक कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1966 में संकलित की गई आसाम सर्किल निर्देशिका का आज तक पुनरीक्षण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं तथा लोकहित में एक बड़े नई टेलीफोन निर्देशिका न निकालने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	आसाम	13,196
	नेफा	98
	नागालैंड	630
	मनीपुर	716
	त्रिपुरा	1,239
(ख)	आसाम	4,718
	नेफा	82
	नागालैंड	336
	मनीपुर	145
	त्रिपुरा	199

(ग) जी हां।

(घ) सामान्यतः टेलीफोन डायरेक्टरी वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है, किन्तु इसके एकमात्र विज्ञापन एजेंट की मृत्यु के कारण 1967 और 1968 के संस्करण नहीं निकाले जा सके और तकनीकी तथा कार्यविधि संबंधी कठिनाइयों के कारण नया विज्ञापन एजेंट नियुक्त नहीं किया जा सका। अब नया विज्ञापन एजेंट नियुक्त कर दिया गया है और आशा है कि डायरेक्टरी का अगला संस्करण अप्रैल, 1969 में प्रकाशित हो जाएगा।

मनीपुर के लिए चीनी का कोटा

2946. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर के लिए नियंत्रित चीनी का कितना कोटा है;

(ख) विवाहों त्यौहारों आदि के लिए नियन्त्रित चीनी का कितना अतिरिक्त कोटा दिया गया है और उनका कैसे वितरण किया गया;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने नियंत्रित कोटे में वृद्धि करने की प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय मनीपुर का लेवी चीनी का मासिक कोटा 151 मीटरी टन है ।

(ख) मनीपुर प्रदेश को त्यौहारों, विवाहों और महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों के लिए मार्च–अप्रैल, अप्रैल–मई और मई–जून, 1968 की प्रत्येक मासिक अवधि के लिए 19.4 मीटरी टन का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया था । मनीपुर को अगस्त–अक्तूबर, 1968 में त्यौहारों के लिए 81.4 मीटरी टन का एक और अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया था । प्रदेश में लेवी चीनी के वितरण का कार्य मनीपुर सरकार पर छोड़ दिया गया है ।

(ग) और (घ) : मई, 1968 में मनीपुर सरकार ने अनुरोध किया था कि उनका मासिक कोटा 79 मीटरी टन से बढ़ाकर 150 मीटरी टन कर दिया जाए । मनीपुर प्रदेश का लेवी चीनी का मासिक कोटा मई-जून, 1968 की अवधि से 79 मीटरी टन से बढ़ाकर 100 मीटरी टन कर दिया गया था, यह कोटा 23.1.1969 से बढ़ाकर 151 मीटरी टन कर दिया गया था ।

मनीपुर में कार्मिक संघ

2947 **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूरों के विधिवत संगठित तथा पंजीकृत कार्मिक संघों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या ये कार्मिक संघ विभागीय अधिकारियों के अनुचित प्रतिबन्धों के बिना कार्मिक संघों सम्बन्धी अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार उपर्युक्त कार्मिक संघों में से किसी भी कार्मिक संघ को मान्यता नहीं देती; और

(घ) यदि हां, तो कार्मिक संघ विधियों के क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत कार्मिक संघों की सामान्य गतिविधियों को प्रोत्साहित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पी० डब्ल्यू० डी० के एक कार्मिक संघ के अलावा किसी अन्य यूनियन ने अभी तक प्रशासन से मान्यता के लिए प्रार्थना नहीं की है । यह मामला विभाग के सम्बन्धित अध्यक्ष को भेज दिया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूरों के विधिवत संगठित तथा पंजीकृत कार्मिक संघों की संख्या तथा उनके नाम :-

1- स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ।

2- इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन ।

3- मनीपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एसोसियेशन ।

4- गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लोइज यूनियन ।

5- मनीपुर पी० डब्ल्यू० डी० वर्कर्स एसोसियेशन ।

6- इम्फाल म्युनिसिपलिटी वर्कर्स यूनियन ।

7- मनीपुर गवर्नमेंट होस्पिटल इम्प्लोइज यूनियन ।

8- मनीपुर इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लोइज यूनियन ।

9- सिविल होस्पिटल एण्ड मेडिकल डिपार्टमेंट इम्प्लोइज यूनियन ।

10- इम्फाल म्युनिसिपलिटी वर्कर्स एसोसियेशन ।

Ashokapuri Cooperatiue Agricultvral Farm, Etawah

2948. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2487 on the 28th November, 1968 regarding Asbokapuri Cooperative Farm, Etawah and state :

(a) whether the required information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not the time by which the information is likely to be collected ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

(c) Does not arise.

Statement

Statement showing reply given to Unstarred Question No. 2487 dated 28-11-1968 by Shri Ram Gopal Shalwale and Arjun Singh Bhadoria.

(a) whether it is a fact that officers of the Directorate of Planning, Development and Research and Cooperative Department of U. P. are conspiring to take into Government possession the Ashokapuri Cooperative Society Farm, Achhalda in Etawah District;

(b) if so, the reasons therefor.

(c) whether Government would give some guarantee to the members of the Society to safeguard their interests; and

(d) whether any open enquiry would be conducted against the officers concerned.

Based on the material furnished by the Government of Uttar Pradesh, the reply is as follows :

(a) No, Sir.

(b), (c) and (d) : Do not arise.

New Edition of English Telephone Directory of Delhi

2949. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the fact that the new edition of English Telephone Directory of Delhi has not so far been published in spite of the announcement made by the General Manager, Delhi Telephones that the said edition would be distributed in July, 1968;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the fact also that the said edition could not be brought out for the reasons that the dues for advertisements in the last edition could not be realised;

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto; and

(d) the amount of arrears due from the advertisers and the steps taken to recover the same ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The last issue of the Delhi Telephone directory was distributed in June and July, 1968.

(b) Yes, Sir.

(c) The posts and Telegraphs Board had directed the General Manager Telephones to bring out the directory with or without advertisements at the scheduled time; and

(d) An amount of Rs. 3,08,350/- is due from the advertisers for the second issue of the directory distributed in Sept./Oct., 1967. There are also the liquidated damages to be charged from the party, the particulars of which have not yet been decided by the General Manager Telephones as the same will depend upon the delay in payment. The Advertiser has given four/sureties for Rs. two lakhs and a Bank Guarantee for the balance amount viz., Rs. 1,08,350/-

Telephone Arrears

2950. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the number and names of such parties as have telephone arrears amounting to Rs. 10,000/- or more outstanding against them; and

(b) the steps taken by Government to realise the arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) The accounts being telephone-wise and at different places in the country, the information is not readily available.

(b) Steps, such as, disconnection of telephones, correspondence or personal contact with defaulting subscribers and finally legal action, where necessary, are taken to effect recovery.

गांवों में डाकघर

2951. श्री नोतिराज सिंह चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम से कम जनसंख्या वाले गांवों में, उनकी आय का ख्याल न करते हुए डाक-घर खोलने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Telephone link between Khandya and Khargon in Madhya Pradesh

2952. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the progress made in establishing direct telephone link between Khandva and Khargon (district West Nimar) in Madhya Pradesh;

(b) whether Government have prepared any scheme for establishing direct telephone link between Khargon, Kasrawad, Baruphatau and Khandva (district West Nimar);

(c) whether Government propose to prepare any scheme to establish telephone link between Sravad and Berrian which are merely four miles apart; and

(d) if so, the details of such schemes and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) A direct trunk pair between Khandva and Khargon is under erection. The work is expected to be completed in the course of next two months.

(b) There is no proposal to estaulish direct telephone link between Khargon and Kasrawad or Baruphatau. Kasrawad is connected to Dhamnode exchange which can

get Khargon via Indore. Baruphatau Public Call Office is working into OZAR Exchange, which can get Khargon via Sendhwa.

The work of providing direct telephone link between Khandva and Khargon is in progress and is expected to be completed in the course of next two months as already stated at (a) above.

(c) and (d) : No such schemes for providing Telephone facility at Sraved and Berrian is under consideration. The proposal will now be examined in consultation with the Postmaster General, Bhopal.

Telephone link between Barwah and Karhi in Madhya Pradesh

2953. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the time by which the work of establishing telephone link between Barwah and Karhi in Madhya Pradesh is expected to be completed;

(b) whether Government are preparing any scheme to establish direct telephone link between Khetia-Sendhva and Khargon; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The proposal for establishing telephone link between Barwah and Karhi has been examined and it has been found to be un-remunerative. Accordingly the proposal has been dropped.

(b) and (c) The proposal to connect Khetia directly to Khargon via Sendhwa involves erection of 36 miles of new post line and is under examination. It will be given effect to if found remunerative.

Difference in the pay scales of the Employees in Delhi Administration

2954 **Shri T. P. Shah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is wide disparity in the pay-scales of permanent and temporary employees and workers employed in Delhi Administration;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the present rates of daily and monthly wages of permanent, temporary and part-time employees and workers serving in Delhi Administration ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

प्रो० अरनोल्ड टोयनबी द्वारा लिखा गया लेख

2955. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० अरनोल्ड टोयनबी द्वारा लिखा गया लेख, जो 'स्टेट्समेन' के गणतंत्र दिवसीय संस्करण में छपा था, समाचार सूचना विभाग द्वारा वितरित किया गया था,

(ख) उपर्युक्त लेख राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति ने समाचार सूचना विभाग को भेजा था;

(ग) यदि हां, तो क्या वितरण से पहले ऐसे लेखों की अन्तर्निहित बातों का अध्ययन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय समिति अथवा समाचार सूचना विभाग का होता है और

(घ) क्या उपर्युक्त लेख को वितरित किया गया था हालांकि उसमें अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बातें थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) और (घ) : अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के इतिहासकार द्वारा लिखा गया था यह लेख डा० एस० राधाकृष्णन् द्वारा सम्पादित और गाँधी फीस फाऊंडेशन द्वारा प्रकाशित संस्मरण ग्रन्थ "महात्मा गांधी-100 इयर्स" में से लिये गये कुछ लेखों में से एक था। यह लेख पत्र सूचना कार्यालय द्वारा गांधी फीस फाऊंडेशन को कापीराइट देते हुये तथा प्रेस को रिलीज करने के लिये उसकी अनुमति लेने के बाद 30 नवम्बर, 1968 को वितरित किया गया था। यह जनवरी, 1969 में स्टेट्समेंट के गणतंत्र दिवस संस्मरण में प्रकाशित होने से पहले देश के विभिन्न भागों में 44 पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका था और उसका विरोध नहीं हुआ था।

सूचना और प्रसारण विभाग में संयुक्त सचिव की नियुक्ति

2956. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके मंत्रालय (सूचना और प्रसारण विभाग) में सयुक्त सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी कई दिनों तक अपना कार्य ग्रहण नहीं कर सका क्योंकि पूर्व अधिकारी ने पद छोड़ने से इन्कार कर दिया था, और

(ग) यदि हां, तो पूर्व अधिकारी ने ऐसा बाधात्मक रवैया क्यों अपनाया था तथा उसके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) वह अपने पद का कार्य-भार नहीं ले सके क्योंकि जिनसे इन्होंने कार्य-भार लेना था उनकी तबदीली होने पर उनको तैनाती आदेश नहीं मिले थे। यह कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने कार्य-भार सौंपना अस्वीकार किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिया गया ऋण

2957. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्री सत्यजीत राय द्वारा पूना में 30 जनवरी, 1969 को दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि फिल्म वित्त निगम से केवल धनाढ्य फिल्म निर्माताओं और ऐसे व्यक्तियों को, जो अपेक्षित जमानत जमा करा सकते थे, लाभ प्राप्त हो रहा था जबकि उद्यमी युवक निर्माता इस दिशा में कम भाग्यवान रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की एक रिपोर्ट देखी है ।

(ख) यद्यपि फिल्म वित्त निगम जोखम को पूरा करने के लिये फिल्म के अतिरिक्त अन्य सांपार्शिक जमानत प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता है, परन्तु ऋण देने के लिये जमानत ही एक मात्र महत्वपूर्ण बात नहीं है । सभी प्रस्तावों पर उनके गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जाता है और उपयुक्त प्रस्ताव को केवल जमानत या गारन्टी की कमी के कारण ही छोड़ नहीं दिया जाता ।

ऐशियाई श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

2958. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए ऐशियाई श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह मत व्यक्त किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठनों के सम्मेलन ऐशियाई क्षेत्र के लिये उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस मत से सहमत है कब से; और

(ग) क्या इस सम्मेलन में अत्यावश्यक उद्योगों और सेवाओं में हड़तालों पर भारत सरकार के प्रतिबन्ध का भी अनुमोदन किया गया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संबंधी घोषणा में, सम्मेलन ने कुछ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों का ऐशियायी देशों की वास्तविकताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप पुनरीक्षण करने की आवश्यकता की ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ध्यान आकर्षित किया और यह भी बताया कि प्रस्तावित मानकों का आवश्यक रूप से

विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की आवश्यकताओं व दशाओं से और सीधा सम्बन्ध होना चाहिए ।

इस घोषणा और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अनेक अवसरों पर व्यक्त विचारों में कोई विरोध नहीं है ।

(ग) ऐसी कोई स्वीकृति नहीं मांगी गई ।

प्रसार प्रबन्धक

2959. श्री एस० एम० जोशी : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसार-प्रबन्धकों की क्रम-सूची गत दस वर्षों से तैयार नहीं की गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक तैयार हो जायेगी तथा क्या उसके तैयार हो जाने पर सरकार उसे सभा पटल पर रख देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक अप्रैल, 1961 तक का संशोधित ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव समेत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की क्रम-सूची छपे हुए रूप में 1962 में निकाली गई थी तथा परिचालित की गई थी ।

(ख) धन की बचत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई नई सूची प्रकाशित नहीं की गई है और न ही निकट भविष्य में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है । तथापि, सरकारी इस्तेमाल के लिये ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव समेत विभिन्न ग्रेडों की वरिष्ठता सूची विभाग में रखी जाती है और जब भी जरुरी समझा जाता है, स्टाफ में परिचलित की जाती है। इस प्रकार के दस्तावेजों को सदन की मेज पर रखने का प्रस्ताव नहीं है ।

पटसन की खेती वाली भूमि

2960. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी भूमि पर पटसन की खेती की जाती है; और

(ख) अधिक भूमि पर पटसन की खेती हो इस के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 में पटसन के अन्तर्गत क्षेत्र का राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों के संसिचत क्षेत्रों में दोहरी फसल द्वारा पटसन के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है । इसकी प्रमुख नीति तो पटसन उत्पादन

करने वाले क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज को बढ़ाना है, न कि और अधिक क्षेत्रों को पटसन के अन्तर्गत लाना, क्योंकि इससे प्रमुखतः खाद्य फसलों की प्रतियोगिता के कारण व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं ।

विवरण

पटसन (राज्यवार) के अन्तर्गत क्षेत्र 1967–68 (अन्तिम)

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयरस)
आसाम	146.0
बिहार	157.9
उड़ीसा	50.4
उत्तर प्रदेश	22.9
वेस्ट बंगाल	496.0
त्रिपुरा	12.1
योग :–	885.3

भारत के लिये नेपाल का चावल

2961. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए नेपाल का चावल खरीदने के बारे में नेपाल के साथ हाल में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) बर्मा, आस्ट्रेलिया और थाईलैण्ड ने जिस मूल्य पर चावल देने का प्रस्ताव किया था उसकी तुलना में यह मूल्य कितना अधिक अथवा कम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

चावल का आयात

2962. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969–70 में 4,00,000 टन चावल आयात करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में चावल की उपज गत वर्ष की तुलना में 20,00,000 टन अधिक हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तब चावल आयात करने का औचित्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969 में 2,83,000 मीटरी टन चावल आयात करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। कुछ और खरीदारी करने की भी सम्भावना है लेकिन इस वर्ष कुल जितनी मात्रा खरीदी जाएगी उसका निर्णय अभी नहीं किया गया है।

(ख) 1968–69 में चावल की पैदावार के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। पक्के अनुमानों के अभाव में यह बताना सम्भव नहीं है कि चालू वर्ष में चावल की पैदावार गत वर्ष की अपेक्षा अधिक होगी अथवा नहीं।

(ग) हमारे आयातों से न केवल सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा किया जाता है बल्कि बफर स्टाक भी तैयार किया जाता है जिसका उपयोग अदृष्ट विपत्तियों तथा मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार

2963. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय लोगों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का पर्याप्त कोटा सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने अखिल भारतीय नियोजक संस्था की मदद मांगी है ;

(ख) क्या राज्य श्रम मंत्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में गैर-सरकारी फर्मों को मनवाने का प्रयत्न करें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) : राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में अखिल भारतीय नियोजक संगठनों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सदस्य संस्थापनों को, जहां तक संभव हो सके, स्थानीय व्यक्तियों को यदि वे अन्यथा उपयुक्त हों, नौकरी पर रखने को कहें।

(ख) जी हां।

(ग) **नियोजक संगठन :**

नियोजक संगठन, बहुधा ऐसा मानते हैं कि क्षेत्र विशेष में स्थित उद्योगों में उपलब्ध रोजगार अवसरों का उचित भाग स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। वास्तव में

इस प्रथा का पहिले से ही पालन होता है। परन्तु वे अनुभव करते हैं कि स्थानीय लोगों का हित अपेक्षित उद्देश्यों पर हावी नहीं होना चाहिये। उनके मतानुसार, इस प्रथा पर आधारित कठोर नीति, उत्पादन और कार्यकुशलता की दृष्टि से अविवेक पूर्ण ही नहीं होगी अपितु राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य के प्रतिकूल भी सिद्ध होगी। साथ में इससे संविधान की भावना का उल्लंघन होने की भी संभावना है।

राज्य सरकारें :

उपलब्ध जानकारी के अनुसार पांच राज्य सरकारों ने निजी क्षेत्र के नियोजकों को राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों से अवगत कराया है। एक राज्य सरकार ने सूचना दी है कि स्थानीय लोगों के लिये उचित रोजगार अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह सिफारिशें चार राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं तथा शेष राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर रेलवे के सभी जंकशनों में सीधी टेलीफोन व्यवस्था का दुरुपयोग

2964. श्री यशपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उत्तर रेलवे ट्रंक बोर्ड के जरिये उत्तर रेलवे के सभी जंकशनों में सीधी टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था की है ,

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा इस प्रणाली का निजी प्रयोजन के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे दिल्ली ट्रंक बोर्ड से सीधी टेलीफोन प्रणाली हटाकर पी० सी० ओ० प्रणाली की व्यवस्था करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चूंकि ट्रंक बोर्ड स्थानीय जंकशनों द्वारा दिल्ली टेलीफोन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन जंकशनों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा की व्यवस्था स्वचालित है।

(ख) चूंकि उल्लिखित जंकशनों के लिए मीटरों की व्यवस्था है, इसलिए उन पर आने वाले सभी कालों (स्थानीय या उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग) के लिए प्रभार लगता है। इसलिए यदि इनका किसी तरह दुरुपयोग होता हो तो यह देखना रेलवे प्रशासन का काम है और इससे डाक-तार विभाग का कोई संबंध नहीं है।

(ग) उत्तर रेलवे द्वारा इन जंकशनों से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग रोकने के लिए कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर खाद्य क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश को अलग करना

2965. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 7 फरवरी, 1969 को शिमला में एक वक्तव्य में यह आरोप लगाया है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब संयुक्त मोर्चा सरकार के साथ परामर्श करके हिमाचल प्रदेश को पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर खाद्य क्षेत्र से बाहर रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक तथ्य क्या हैं और उसे इस खाद्य क्षेत्र से बाहर रखने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ऐसा एक वक्तव्य सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

(ख) क्षेत्रीय ढांचे के बारे में नीति का निर्णय समय-समय पर होने वाले मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श कर दिया जाता है । 8 और 9 अप्रैल, 1967 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ और दिल्ली के राशन रहित क्षेत्र के गेहूं का तब गठित क्षेत्र से पृथक किया गया था । मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें 11-4-1967 को राज्य सभा में खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में घोषित की गई थीं । तथापि, मार्च, 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश को उत्तरी खाद्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था । इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली भी शामिल है ।

चीनी के उत्पादन का लक्ष्य

2966. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के चीनी सम्बन्धी कार्यकारी दल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में चीनी उत्पादन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ;

(ख) निगमित क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त वर्तमान क्षमता कितनी कितनी है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार से ऐसी सिफारिश प्राप्त हुई कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि की जानी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए चीनी उत्पादन के लक्ष्य की सिफारिश करने हेतु कोई अध्ययन ग्रुप नियुक्त नहीं किया था । चौथी योजना के लिए चीनी उत्पादन के लक्ष्य निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) इस समय निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों में चीनी उद्योग की वार्षिक लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता 44.50 लाख मीटरी टन है जोकि इस प्रकार है ।

क्षेत्र	लाइसेंसशुदा वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता (लाख मीटरी टन)
ज्वाइन्ट स्टाक	28.22
सहकारी	16.28
जोड़	44.50

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sinking of Tube-Wells in Rajasthan

2967. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of tubewells proposed to be sunk during 1969 in Rajasthan under minor irrigational projects ;

(b) the names of districts and places where these tubewells are to be sunk ; and

(c) the nature and the amount of assistance which is given by State and Union Government to a farmer in view of the present food problem if he desires to sink tube-well at his own expense in his cultivated land ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) : The information is being collected from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Inferior Quality of Seeds produced by Suratgarh mechanised Farm

2968. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that inferior quality of seeds have been produced in Suratgarh mechanised farm during the current Rabi sowing season which is likely to affect future production ; and

(b) whether any inquiry would be conducted in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The current Rabi crop has not yet been harvested. It is too early to say whether any inferior quality seed would be produced at the farm.

(b) Does not arise.

मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों के बीच में टेलीफोन तथा तार के खम्भे

2969. श्री लोबो प्रभु : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार तथा टेलीफोन के खम्भों का सामयिक निरीक्षण के बारे में हिदायतें जारी की गई हैं ताकि उनके पुराने स्थिति में रहने से सड़कों को चौड़ा करने में रुकावट न पड़े ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे कितने खम्भे हैं जो सड़कों के किनारों से 5 फुट से अधिक की दूरी पर हैं ;

(घ) क्या भूमिगत तार की स्थिति को बदले बिना उनकी स्थिति नहीं बदली जा सकती ;

(ङ) मगलौर नगरपालिका क्षेत्र के लिये एक वर्ष से अधिक समय से मार्ग गये तार (केबल) की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं जबकि डाक व तार बोर्ड ने उसकी सप्लाई के बारे में तीन महीने पहले निदेश दे दिये थे ; और

(च) उपरोक्त कार्य के लिये केबल का आयात न करने के क्या कारण हैं जबकि उस क्षेत्र में 500 कनेक्शनों से प्राप्त होने वाली आय से उसका आयात करने का औचित्य है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों से तार और टेलीफोन के खम्भों को हटाने की मांग प्राप्त होने पर उनको हटाने के सम्बन्ध में संहिताबद्ध अनुदेश उपलब्ध है। अतएव सामयिक सर्वेक्षण के लिए कोई विशेष हिदायतों की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मंगलौर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे 7 खंभे थे जो सड़क के किनारों से 5 फुट से अधिक दूरी पर थे ।

(घ) दिसम्बर, 1968 में खंभों के हटाने की मांग प्राप्त होने पर 2 खम्भों को छोड़कर सभी खंभों को हटा दिया गया है बाकी 2 खंभों को अप्रैल, 1969 के अन्त तक हटाये जाने की संभावना है, क्योंकि इस कार्य के लिए लगभग 2 कि० मी० केबिल बिछाये जाने हैं ।

(ङ) चूंकि देश में केबिलों का उत्पादन मांग की पूर्णतया पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतएव केवल मंगलौर ही नहीं बल्कि देश के अन्य स्थानों का भी टेलीफोन केबिल भेजना सम्भव नहीं है ।

(च) चालू वर्ष में भूमिगत केबिलों के आयात का आदेश न देने का कारण विदेशी मुद्रा का उपलब्ध न होना है । फरवरी, 1969 में विभिन्न व्यापार योजनाओं के अन्तर्गत कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त होने के फलस्वरूप अब 1115 कि० मी० केबिलों के आयात का आदेश दे दिया गया है ।

मैसूर सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्रोतों से सिंचाई पर कर लगाना

2970. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार का विचार गैर-सरकारी स्रोतों से सिंचाई पर कर लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस आय पर जिसमें सरकार का अंशदान नहीं हैं, कर लगाने का कानूनी औचित्य क्या है ;

(ग) इस बात पर विचार करते हुए कि बिजली तथा पम्प सैटों की सप्लाई पर पहले ही कर लगे हुए हैं इस कर से छोटी सिंचाई तथा खाद्योत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन में कमी होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय संस्कृति की अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी, नई दिल्ली

2971. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री, 26 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6823 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि हौजखास, नई दिल्ली स्थित भारतीय संस्कृति की अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू किये जाये, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस की मांग करने पर प्रबन्धकों ने लगभग 40 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) प्रबन्धकों ने उनके अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने के विरूद्ध अभ्यावेदन दिये हैं और यह मामला भविष्य निधि प्राधिकरणों के परामर्श के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : यह मामला दिल्ली प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है और इस प्रशासन ने यह सूचित किया है कि उसे इस सम्बन्ध में हाल के वर्षों में कोई विवाद प्राप्त नहीं हुआ है ।

कृषकों को ट्रांजिस्टरों की बिक्री पर राज सहायता

2972. श्री न० कु० सांघी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों को मीडियम वेव ट्रांजिस्टर रेडियो की बिक्री पर राज सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है और हर एक रेडियो पर लगभग कितनी राजसहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) : जी हां ।

(ख) इस विषय में एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

Shifting of Idgah Slaughter House, Delhi

2973. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any memorandum expressing wide resentment has been received by Government in regard to the shifting of the Slaughter House from Idgah Road Delhi to Piragarhi; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The information is being collected from Delhi Administration and Delhi Development Authority and will be placed on the Table of the Sabha, on receipt.

कृषि उपज बढ़ाने में सहायक पदार्थों से राजसहायता वापस लेना

2974. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृषि उपज बढ़ाने में सहायक पदार्थों जैसे उर्वरकों, कीटनाशी पदार्थों, बीजों तथा छोटे सिंचाई कार्यों पर से सभी राजसहायता वापस लेने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है क्या इससे उसमें बाधा आने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो कृषि के क्षेत्र में प्रगति बनाए रखने के लिए कृषि के लिये धन की व्यवस्था करने वाली वर्तमान योजनाओं में सरकार किस प्रकार सुधार करना चाहती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, छोटे कृषकों को और कृषक समुदायों के कमजोर वर्गों को छोड़कर और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों, कमी वाले क्षेत्रों और अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों में कार्यक्रमों को छोड़कर ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सिंचाई सहित विभिन्न आदानों के प्रयोग के परिणामस्वरूप बढ़े उत्पादन वर्तमान मूल्य स्तरों पर कृषकों को बहुत आकर्षक और लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त भूमि विकास बैंकों, सहकारी संस्थाओं, कृषि पुनर्वित्तीय निगम, कृषि उद्योग निगमें, वाणिज्यक बैंकों आदि जैसे संस्थानीय एजेन्सियों द्वारा कृषि जरूरतों के लिये ऋण की सुविधाओं को बढ़ाने में काफी उन्नति की जा रही है। कृषक आबादी के सब वर्गों के लाभ के लिय कृषि उद्देश्य हेतु संस्थानीय वित्त की सप्लाई में काफी वृद्धि प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करने के लिए नई चौथी योजना में (1969–74) में विशेष उपबन्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Development of Desert areas in Rajasthan, Haryana and Gujarat

2975. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no progress has so far been made in the development of the desert areas in Rajasthan, Haryana and Gujarat;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the acreage of desert land which has so far been reclaimed in each State ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) : The question of developing arid and semi-arid areas in Rajasthan, Gujarat and Haryana has been receiving the attention of the Government of India for some time past. The Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, and some other agencies have been carrying out researches in grass-land improvement, afforestation, sand dunes stabilisation conservation farming, etc. A Desert Development Board has also been set up. The Board recommended a programme, costing Rs. 10.00 crores, for pasture development, soil conservation, afforestation, agriculture development, etc, in the desert areas of Rajasthan, Gujarat and Haryana, for inclusion in the Fourth Five Year Plan. Due to paucity of funds only Rs. 2.00 crores have been provided for this programme in the Fourth Five Year Plan. The approach in the Plan period is to take up specified items of work, depending on the suitability of the area selected, in compact and well defined areas. Detailed schemes are now being prepared by the State Governments for execution under this Central Sector Project and it is hoped to start execution of some schemes during the next financial year.

उड़ीसा में लौह अयस्क खान श्रमिकों के लिये मकानों का बनाया जाना

2976. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा लौह अयस्क खान क्षेत्रों में लौह अयस्क खान श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये लौह अयस्क कल्याण निधि में से कोई राज सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो 1966–67 से 1968–69 की अवधि में वर्षवार कितना धन मंजूर किया गया और कितना खर्च किया गया;

(ग) अब तक कितने मकान बनाए गये हैं और वे कहां-कहां बनाए गये हैं;

(घ) क्या लौह अयस्क श्रामक निधि का उड़ीसा में कोई कार्यालय है; और

(ङ) यदि हां, तो कहां और उसका प्रतिमाह कितना किराया दिया जा रहा है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) **1966–67**

मजूर किया गया धन	–	दो लाख रुपये
इस्तेमाल किया गया धन	–	कुछ नहीं

केन्द्रीय सरकार के नाम भूमि स्थानान्तरण करने के विभिन्न औपचारिक कार्य पूर्ण नहीं हो सके ।

1967–68

मंजूर किया गया धन	–	1.045 लाख रुपये
इस्तेमाल किया गया धन	–	एक लाख ।

1968–69

मंजूर किया गया धन	–	6.117 लाख ।
7–3–69 तक इस्तेमाल किया गया धन	–	एक मकान के लिए 4001 रु० ।

विभिन्न खान मालिकों द्वारा 7.090 लाख रुपये की लागत से 225 और मकानों का निर्माण किया जा रहा है ।

(ग) बालानी – 25 मकान ।
बारबिल – 1 मकान ।

इसके अलावा, विभिन्न खान मालिकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर 225 मकान बनाए जा रहे हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) भुवनेश्वर और बारबिल ।

भुवनेश्वर में स्थित निधि के कार्यालय का किराया 3301–रु० प्रति मास है । बारबिल के कार्यालय का किराया 721–रु० प्रतिमास है ।

Producer for Brij Bhasha Programme

2977. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Producer under 'Brij Bhasha Programme' in A.I.R., New Delhi is still lying vacant;

(b) if so, the reasons for which it has not been filled up; and

(c) the time by which appointment is proposed to be made on the said post ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Transfer of the incumbent and subsequent management of the work on casual booking basis.

(c) Orders posting a Producer have been issued on 3.3.1969.

मजूरी तथा उत्पादन में अनुपात

2978. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी को उत्पादन से सम्बद्ध करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : विभिन्न उद्योगों के लिए समय पर सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले मजूरी बोर्डों को सम्बन्धित उद्योगों के लिए मजूरी विन्यास की सिफारिश करते समय कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करने की वांछनीयता को ध्यान में रखना आवश्यक है ।

हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण

2979. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री द० रा० परमार :
श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन डाक तथा तार कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण कर लिया गया है, जिन्हें 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था; और

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें इस बीच नौकरी में ले लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1186.

पश्चिमी पाकिस्तान से आई शरणार्थी विधवाओं का पुनर्वास

2980. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे विधवाएं, जो 1947 में पाकिस्तान से विस्थापित किये जाने के बाद भारत आ गई थीं और जिन्हें अब तक कोई पुनर्वास अनुदान या इस तरह की अन्य सहायता नहीं दी गई है, अभी भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं या उन्हें अपने पुनर्वास के लिये दिल्ली में मकान बनाने के लिये उचित प्लाट दिये जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी विधवा महिलाओं को इस तरह की जो सहायता दी जा सकती है उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यह सहायता देने की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : पश्चिमी पाकिस्तान से आई शरणार्थी विधवाओं को वित्तीय सहायता देने या उन्हें भूमि के प्लाटों के आवंटन की इस समय कोई योजना नहीं है। तथापि बहुत लाचारी वाले मामलों में, पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को, जिनमें विधवाएं भी सम्मिलित हैं, "गृहों" में प्रवेश दिया जाता है; गृहों से बाहर नकद मासिक अनुदान भी दिये जाते हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के लिये अतिरिक्त सुविधायें

2981. श्री एस० आर० दामानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से इस वर्ष कितनी अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई;

(ख) विभिन्न राज्यों में कितने नलकूप लगाए गये तथा चालू हैं और उनसे कितनी भूमि में सिंचाई की गई;

(ग) क्या उन सभी क्षेत्रों में, जहां अधिक उपज वाली फसलें उगाई जाती हैं, पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; और

(घ) देश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में इस वर्ष किन अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इरिंगल (केरल) में टेलीफोन

2982. श्री ई० के० नायनार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इरिंगल (कालीकट जिला, केरल) में टेलीफोन लाइन स्थापित करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसे जल्दी स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इरिंगल में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी दे दी गई है और त्रिवेन्द्रम के पोस्ट मास्टर जनरल इस कार्य को पूरा कराने के लिए आगे कार्रवाई कर रहे हैं।

Slaughtering of Punjab and Haryana Milch Cattle in Calcutta

2983. Shri Achal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that milch cows and buffaloes of good breed of Punjab and Haryana are brought to Calcutta where these are slaughtered; and

(b) if so, the steps being taken to stop it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Milch cows and buffaloes of good breeds from Punjab and Haryana are brought to Calcutta for production of milk.

On a reference being made for answering this Question the State Government have replied that Government have no information that all these cows and buffaloes are butchered.

Government are aware that a large number of these animals when they go dry are slaughtered.

(b) Under the West Bengal Animal Slaughter Control Act 1950 only an animal which is over 14 years of age and unfit for work or breeding or an animal which has become permanently incapacitated for work or breeding due to age, injury, deformity or any incurable diseases can be slaughtered in the State. Government of West Bengal have taken steps for enforcement of the Act.

रेडियो स्टेशनों में कर्मचारियों की श्रेणियां

2984. श्री मनुभाई पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो स्टेशनों में इस समय कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी श्रेणी को मिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इससे प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव और सहायक निर्माताओं (एसिस्टेंट प्रोड्यूसर्स) की श्रेणियों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो उनके वरिष्ठता अधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) (1) कार्यक्रम अधिकारी

(2) इंजीनियरी अधिकारी

(3) सम्पादकीय अधिकारी

(4) स्टाफ आर्टिस्ट

(5) दफतरी स्टाफ

(6) चतुर्थ श्रेणी स्टाफ

(ख) तथा (ग) : स्टाफ पुनर्गठन के बारे में अध्ययन दल ने सहायक केन्द्र निदेशकों तथा प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवो, जो कार्यक्रम सम्बन्धी व्यक्ति हैं, के केडर के एकीकरण तथा प्रोड्यूसरों, जो स्टाफ आर्टिस्टों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, के एकीकरण के बारे में प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) जो भी योजना अन्तिम रूप से तैयार की जायेगी उसमें सम्बन्धित व्यक्तियों के वरिष्ठता अधिकारों का ध्यान रखा जायेगा।

कृषि तथा औद्योगिक उपकरण संस्था

2985. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक कृषि तथा औद्योगिक उपकरण संस्था, जो अमरीका में इसी प्रकार की संस्था का तरह होगी, स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : कृषि और औद्योगिक उपकरण संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो भी एक ऐसे संगठन की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है जो कृषि मशीनरी के निर्माताओं को नये उपकरणों की बनावटों, जो उत्पादन के लिये अपनाये जा सकें, के चुनने में प्रोटोटाइपों के विकास में, कच्चे माल और निर्माण सुविधाओं का सर्वोत्तम प्रयोग करने वाले उच्च उत्पादन कार्यक्रमों के प्रबन्ध एवं संगठनों में सहायता करेगा। केन्द्रीय ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण स्टेशन बुद्धनी (म० प्र०) में जहां कृषि मशीनरी और उपकरणों की परीक्षा की जाती है, प्रोटोटाइप के परीक्षण और उपकरणों के निर्माण में सुधार करने का सुझाव देने के लिये निर्माताओं को पहले से ही सहायता दी जा रही है। इस केन्द्र पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और तकनीकी विकास महानिदेशालय भी निर्माताओं को, उनकी कच्चे माल, उत्पादन व मशीनरी आदि की मांगों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

चीनी का निर्यात

2986. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अमरीकी चीनी अधिनियम तथा राष्ट्रमण्डल चीनी समझौते के अन्तर्गत क्रमशः अमरीका और ब्रिटेन को चीनी के निर्यात के लिए कोटे के दायित्व को निभाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो कोटे के इस दायित्व के क्या कारण हैं ; और

(ग) 1968 में क्रमशः अमरीका और ब्रिटेन को कितनी चीनी का निर्यात किया गया और उस वर्ष में उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां । संयुक्त राज्य चीनी अधिनियम में दिए गए कोटों के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका विशेष घरेलू मूल्यों पर जोकि विश्व मंडियों में चल रहे मूल्यों से अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं, चीनी आयात करता है । राष्ट्र मण्डल चीनी करार के अधीन नेगोशियेटेड प्राइस कोटा के सम्बन्ध में इसी प्रकार की स्थिति है । संयुक्त राज्य अमेरिका कोटा को स्वीकार करने और राष्ट्रमण्डल चीनी करार में हमारी सदस्यता होने से हमारा कोटा सम्बन्धी दायित्व पैदा होता है ।

(ग) सयुक्त राज्य अमेरिका और यू० के० को 1968 में निर्यात की गई चीनी की मात्रा और उससे विदेशी मुद्रा की अनुमानित कमाई इस प्रकार है :—

देश	निर्यात की गई मात्रा (लाख मीटरी टन)	विदेशी मुद्रा की अनुमानित कमाई (रु० । करोड़)
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.73	7.91
यू० के०	0.26	2.19

दरभंगा जिला (बिहार) में माधेपुर में दुग्धशाला संयन्त्र

2987. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा जिले में माधेपुर में केन्द्रीय सरकार का एक दुग्धशाला संयन्त्र है;

(ख) क्या यह सच है कि संयन्त्र काम नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे चालू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि "मिल्क प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, माधेपुर" नामक एक फैक्टरी को फरवरी, 1964 से बन्द कर दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार फैक्टरी को कुप्रबन्ध के कारण बन्द किया गया है । बिहार राज्य वित्त निगम, जिसने इस फैक्टरी को अग्रिम धन के रूप में 5 लाख रु० की रकम दी थी, इसे बेचने के विषय में सोच रहा है ।

नक्सलवादियों के बारे में समाचार

2988. **श्री ई० के० नायनार** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने गत 31 दिसम्बर की शाम को 7.30 बजे केरल में घोषणा की थी कि 30 से अधिक नक्सलवादियों ने पल्लिपाद (केरल राज्य) में किसानों पर हमला किया; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेडियो पर घोषणा करने से पहले प्रसारण अधिकारियों ने पल्लिपाद घटनाओं के बारे में पूछताछ की थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि की दर

2989. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन में वृद्धि की प्रस्तावित दर क्या है; और

(ख) इसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लगभग तैयार हो चुकी है योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही खाद्य उत्पादन की वृद्धि की दर का पता चल सकेगा ।

(ख) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिये 1966-67 में कृषि विकास का एक नया तरीका अपनाया गया है । इस नये तरीके के अधीन यह मुख्य कदम उठाये गये हैं । उच्च उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम बहु गुणी फसलें, गहन खेती के लिये लघु सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों आदि आदानों का व्यवस्थित प्रबन्ध, संस्थानीय वित्त सहित, समय पर उदार ऋण सम्बन्धी सुविधायें, कृषकों की शिक्षा, व प्रशिक्षण और अनुसन्धान को समृद्ध करना । आगामी वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये और भी प्रसार के बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

Payment of Overtime Allowance to Central Telegraph Offices Employees

2990 **Shri Achal Singh** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communication be pleased to state :

(a) the amount of over-time allowance received by the staff of Central Telegraph Offices at Agra, Calcutta, Bombay, Madras and Delhi during the last two years i. e. in 1967 and 1968; and

(b) whether dispensaries have been set up for the medical treatment of the departmental staff working at the aforesaid places and if not, the amount of medical reimbursement received by the said staff during 1967 and 1968 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

	1967	1968
(a) Agra	Rs. 1,00,780/10P	Rs. 1,08,128/70P
Calcutta	Rs, 15,691,112/05P	Rs. 18,31,688/22P
Bombay	Rs. 12,51, 991/-	Rs. 14,18,020/50P
Madras	Rs. 3,00,575/90P	Rs. 3,93,475/15P
Delhi	Rs. 7,57,282/60P	Rs. 9,97,140/05P

(b) Dispensaries have been set up for the medical treatment of departmental staff working in CTO at Agra. C. G. H. S. Dispensary facilities also exist in Delhi/New Delhi.

The medical reimbursement received by the staff in CTOs at Calcutta, Madras and Bombay where no dispensaries have been set up for such staff are as follows :

	1967	1968
Calcutta	Rs. 1,30, 440/-	Rs. 1,33,757/49p
Bombay	Rs. 57,035/35p	Rs. 63, 369/55p
Madras	Rs. 5,18,218,/78P	Rs. 7,29,176/5 P

Late Delivery of Mail and Telegrams

2991. Shri Achal Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the mail and telegrams are being received very late during the last two years and especially after the general strike on the 19th September, 1968; and

(b) if so, the steps being taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There has been no increase in the percentage of incidents of complaints in this regard during the last two years or thereafter. The general strike on the 19th September did, however, cause certain amount of dislocation in the delivery of letters, mail and telegrams extending over a period of about a month

(b) Steps to improve the services are receiving constant attention.

संगीत और नाटक विभाग का "श्राद्ध" नाटक

2992. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के संगीत और नाटक विभाग ने "श्राद्ध" नामक नाटक तैयार किया है तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के सामने अनेक स्थानों पर यह नाटक खेला है;

(ख) क्या यह नाटक हिन्दुओं के "श्राद्ध" कर्म का उपहास उड़ाता है और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है;

(ग) क्या अनेक स्थानों पर अनेक व्यक्तियों ने इस नाटक को खेले जाने पर विरोध प्रकट किया था, और

(घ) यदि हां, तो "श्राद्ध" नाटक का प्रदर्शन कब तक बन्द कर दिया जायेगा और इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, इस नाम का एक हास्य रूपक खेला गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जब यह नाटक जनवरी, 1969 में मांवलंकर भवन में खेला जा रहा था तो उस समय केवल एक बार एक दर्शक ने मौखिक विरोध किया था ।

(घ) तब से यह नाटक नहीं खेला गया ।

Allotment of Land to the Ex-Servicemen in Hastinapur (Meerut Dist.)

2993. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that land has been allotted to ex-servicemen for cultivation in Hastinapur area of Mawana Tehsil in Meerut district under Ganga Khadar Scheme;

(b) if so, the facilities already provided or proposed to be provided by Government to make this land productive;

(c) the basis on which this has been done or proposed to be done; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes. Sir.

(b) and (c) : An area of 7040 acres of land has been allotted to 704 ex Servicemen under the Ganga Khadar Scheme in Hastinapur, Mawana Tehsil, District Meerut. The land was tractorised and made cultivable at the time of allotment. Normal credit facilities are available to the allottees. No special facilities have been provided or are proposed to be provided.

(d) Does not arise.

गुलबर्ग के लिये प्रसारण के घण्टे

2994. श्री जे० एच० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्ग और भद्रावती जैसे "रिले" स्टेशन के प्रसारण के घंटे नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन्हें पूर्ण रूप से प्रसारण केन्द्र नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) और (ख) : साधनों की कमी ।

भारतीय खाद्य निगम

2995. श्री यशपाल सिंह :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल के एक प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम को और अधिक स्वायतशासी शक्तियां दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने इसके ब्यौरा पर विचार किया है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किये गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) योजना आयोग ने हाल ही में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Cases of Violation of Labour Laws

2996. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of prosecutions launched on an average yearly by Government against the mill-owners for their not observing labour laws and the average time taken to decide such cases;

(b) whether it is a fact that inordinate delay is caused in deciding such cases which ultimately go in favour of the mill-owners;

(c) if so, whether it is due to certain loopholes in the labour laws or due to certain administrative deficiencies in this regard; and

(d) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to solve these problems ?

The Ministry of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : The enforcement of Labour Laws in mills is the responsibility of the State Governments.

(c) and (d) : Do not arise.

Rice Mills in certain U. P. Cities

1117. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of rice mills likely to be set up in Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur and Dehra Dun out of those 24 such mills which are proposed to be set up by the Food Corporation of India;

(b) whether it is a fact that the production of famous basmati rice is continuously diminishing in Debra Dun and it is for this reason that the Food Corporation is hestitant in establishing any rice mill there; and

(c) if so, the remedial steps proposed to be taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) : No sites have so far been selected by the Food Corporation in these Districts;

(b) Separate figures of production of basmati rice are not available but this consideration has not influenced the decision of the Corporation;

(c) Does not arise.

तमिलनाडु में छोटी सिंचाई योजनायें

2998. **श्री किरुतिनन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में उनके मन्त्रालय से छोटी सिंचाई योजनाओं के एक सलाहकार के नेतृत्व में एक अध्ययन दल ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मथुकुलाथूर ताल्लुक का दौरा किया था;

(ख) इस दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) इस दल ने तमिलनाडु में किन अन्य स्थानों का दौरा किया; और

(घ) इस दल के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) टीम के दौरे का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष जाकर तकनीकी तथा वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना था ताकि भूमिगत जल संसाधनों की खोज, लघु सिंचाई, भूमि और जल संरक्षण कार्य तथा शुष्क खेती के तौर-तरीकों, राज्य के चिर अकाल पीड़ित क्षेत्रों के विकास के लिये वनरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की योजनाओं के कार्यक्रमों को हाथ में लिया जा सके ।

(ग) मुथुकुलाथूर के अतिरिक्त टीम ने तमिलनाडु के (1) अरुपुकोटाई, (2) परमकुड्डी तथा (3) रामनाथपुरम इलाकों का दौरा किया ।

(घ) अध्ययन टीम ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये :-

(1) वर्तमान भूपृष्ठ जल संसाधनों में सुधार की शीघ्र जरुरत है;

(2) नई भूपृष्ठ जल सिंचाई परियोजनायें सावधानी से किये गये हाइड्रालोजिकल सर्वेक्षण पर आधारित होनी चाहिऐं : मथुकुलाथूर के ताल्लुक में जो कि अन्य ताल्लुकों की अपेक्षा अधिक अभावग्रस्त है ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

(3) वर्तमान सिंचाई कार्यों का नियमित रुप से देखभाल किये जाने की ओर पहले से कहीं अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि वह ऐसी स्थिति के शिकार न हो जायें कि उन की मरम्मत ही न हो सके ।

(4) अरुपुकोटाई मथुकुलाथूर और परमकुड्डी के ताल्लुकों में भूमिगत-जल विकास के लिये और भी काफी गुंजायश है ।

(5) तालाबों के क्षेत्र में कुएं बनाये जायें ।

(6) कृषकों को 13 वर्षों की निर्धारित अवधि में चुकाने के पट्टों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करें । बैंकों के ऋण प्राप्त करने में जो कठिनाई सामने आती हैं उसकी जांच की आवश्यकता है ।

(7) सख्त मिट्टी वाले क्षेत्रों में जिला अधिकारियों को कम से कम शीघ्रता से दो सुगठित क्षेत्र विकास योजनायें बनानी चाहियें ताकि उन्हें अपनाया जा सके । अकालग्रस्त क्षेत्रों में तीन या चार एकड़ से कम भूमि रखने वाले छोटे किसानों के उपदान को 500 रु० से 1000 रु० प्रति कुएं के हिसाब से बढ़ाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों को विचार करना चाहिये ।

(8) सांझे, कुएं बनाने की प्रस्तावित योजना को कुछ चुने हुए स्थानों पर परीक्षण के तौर पर लागू किया जाना चाहिये ।

(9) इन क्षेत्रों के लिये विद्युत शक्ति उपलब्ध कराने के संसाधन विद्यमान है जिन के विस्तार की आवश्यकता है । रामनाथपुरम जिले के चिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये बिजली बोर्ड द्वारा कुछ अधिक नियतन करना वांछनीय होगा ।

(10) क्षेत्र के वर्षा-क्रम और उस की मात्रा पर विचार करते हुए यह वांछनीय होगा कि धान और लाल-मिर्च की सूखी फसलों के स्थान पर और सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी ज्वार, बाजरा और मक्की जैसी फसलों के क्षेत्र को धीरे-धीरे बढ़ाया जाये ।

(11) सिंचित क्षेत्रों में सूखी फसलों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त भूमि को एक-सार बनाने और प्रत्येक खेत में पानी के आने-जाने के लिये नालियों का प्रबन्ध करने और भूमिगत पाइप-लाइन प्रणाली के कार्यक्रम को अपनाने से अभी विद्यमान तथा सिंचाई के नये कामों के सुधरे उपयोग में काफी सहायता मिलेगी ।

(12) भूमि संरक्षण साधनों को अपनाने के लिये चारों ताल्लुकों में उचित संगठनों की स्थापना करनी चाहिये। यथोचित विचार विमर्श के बाद टीम ने लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, भूमि संरक्षण और वनोरोपण के कार्यक्रमों को चिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1968-69 में अपनाये जाने के बारे में सिफारिश की है। इस में यह मद सम्मिलित है।

1. लघु सिंचाई कार्यक्रम

1.	रिपोर्ट में दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम जिन में वर्तमान तालाबों/ऐनीकट्स/नालियों और नये सिंचाई साधनों का बनाना भी सम्मिलित है।	रु० 16.00 लाख
2.	परीक्षण के आधार पर सामुदायिक कुएं	रु० 2.50 लाख
3.	छोटे किसानों के लिये खोदे गये कुओं के लिये 1000 रु० तक बढ़ाये गये उपदान	रु० 2.00 लाख
	कुल	20.50 लाख

2. सिंचाई और जल व्यवस्था

भूमि सुधारना, भूमि को एक सार करना, खेतों में पानी के आने जाने का प्रबन्ध करना, भूमिगत पाइप-नालियों को बनाने की प्रणाली रु० 1.00 लाख

3. भूमि संरक्षण तथा वनरोपण

1.	लगभग 5,000 एकड़ के क्षेत्र में कन्टूर बन्ध बनाना	रु० 3.00 लाख
2.	लगभग 10 एकड़ में वन-पौध	रु० 0.50 लाख
	कुल	रु० 3.50 लाख
	कुल जोड़ 1, 2 और 3	रु० 25.00 लाख

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्रीय टीम की सिफारिशों के आधार पर विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इन प्रस्तावों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

गत सितम्बर की हड़ताल से प्रभावित हुए केरल सर्कल के डाक तथा तार कर्मचारी

2999. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में केरल सर्कल के कितने डाक तथा तार कर्मचारी अभी तक मुअत्तल हैं अथवा कितनों को नौकरी से निकाला हुआ है;

(ख) इन कर्मचारियों के विरुद्ध किन्हीं निलम्बित मामलों को वापस लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही वापस ले ली गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) मुअत्तल कर्मचारियों की संख्या —584

नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या —289

(ख) जी हां, अदालती मामले वापस ले लिये गए हैं।

(ग) जी नहीं।

सहकारी क्षेत्र में किसानों का महासंघ

3000. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के सहयोग से किसानों के लिये सहकारी क्षेत्र में कोई महासंघ बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Education through Radio and T. V. and Film Media

3001. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communication be pleased to state :

(a) whether any scheme to make arrangements for giving special education or lectures daily in their school and college time to the students through Radio, Television or films in order to inculcate among them the spirit of patriotism, to build their character and to make them morally strong is under consideration of the Government of India;

(b) if so, the time by which Government contemplate to implement the scheme; and

(c) the outlines of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K Gujral) : (a) : No such scheme is under consideration. But these objectives are sought to be achieved by the educational, youth and school and other programmes of A. I. R.

(b) and (c) : Do not arise.

कृषि इंजीनियरों की आवश्यकतायें

3002. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में देश में कृषि इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले ;

(ख) देश में कितने विश्वविद्यालयों में कृषि इंजीनियरी की शिक्षा दी जाती है ;

(ग) ऐसे संस्थानों (केन्द्रीय तथा राज्यीय) की संख्या कितनी है जिनमें कृषि इंजीनियरी में स्नातकोत्तर अनुसंधान की सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(घ) सरकारी क्षेत्र की कितनी परियोजनाओं में कृषि इंजीनियरों के लिये स्नातक शिशिक्षुता प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ङ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में कितने स्नातक कृषि इंजीनियरों को रोजगार दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) : मानव शक्ति की आवश्यकताओं पर कृषि विभाग के एक उप-समूह ने यह अनुमान लगाया है कि चौथी योजना में जिले स्तर पर कृषि विकास कार्य-क्रमों के लिये 320 कृषि इंजिनीयरों की आवश्यकता होगी। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की मागें इसके अतिरिक्त होंगी। ऐसी आवश्यकताओं का विशद आंकन अभी तक नहीं हुआ हैं।

(ख) वर्तमान समय में पांच कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां कृषि इंजीनीयरिंग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये हैं :—

(1) उड़ीसा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।

(2) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।

(3) उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर।

(4) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

(5) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

अधोलिखित संस्थाओं में भी कृषि इंजिनीयरिंग में प्रशिक्षण के लिये सुविधायें हैं :—

(1) इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद।

(2) भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।

(ग) निम्नलिखित संस्थाओं में कृषि इंजिनीयरिंग में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण उपलब्ध है :—

(1) इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद।

(2) औद्योगिक पन्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर।

(3) भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।

(घ) ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र बुढनी और हिसार पर स्नातक शिशिक्षुता प्रशिक्षण के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं। कृषि इंजिनीयरिंग संस्थाएं भी इंजिनीयरिंग उद्योगों में अल्पकालीन शिक्षु पाठ्य क्रमों के लिये अपने स्नातकों को भेजते हैं जो अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्रों में हैं। उनमें

से कुछ अपने कुछ स्नातकों को प्रक्रियात्मक प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि इंजिनीयरिंग कक्षों से भी सहायता लेते हैं।

(ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र में, उदाहरणार्थ ट्रैक्टर चालित उपकरणों और फार्म्स निर्माणक जल पम्प, बीज बोने और अन्य कृषि उपकरणों के निर्माताओं द्वारा कृषि इंजिनीयरिंग स्नातकों को काम दिये जाने के लिये पर्याप्त गुंजाइश है। तो भी उनका एक बड़ा प्रतिशत विकास प्रायोजनाओं में जैसे फार्म मशीनरी को सुधारना, उसकी मरम्मत करना, भूमि संरक्षण इंजिनीयरिंग सिंचाई इंजिनीयरिंग, आयकट विकास और केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी लगाना है। जैसे ही देहात विद्युतीकरण के कार्यक्रम ओर फार्म्स रचनायें सवेग प्राप्त करेंगी, कृषि इंजिनीयरिंग स्नातकों का फार्मिंग व्यवसायों में विलयन बढ़ेगा।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये टेलीफोन कनेक्शन

3003. **श्री शिवचरण लाल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 12 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी कनेक्शनों सम्बन्धी सरकारी कागजों को नष्ट कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) : जी हां, जबकि टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जाए और यह समझा जाए कि भविष्य में इन कागजातों की हवाले के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

(ख) सारे सरकारी अभिलेखों को स्थायी तौर पर बनाये रखना संभव नहीं है।

निर्वाचन सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण

3004. **डा० रानेन सेन :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 11, 12 तथा 13 फरवरी, 1969 को निर्वाचन परिणामों के बारे में प्रसारित की गई प्रत्येक हिन्दी तथा अंग्रेजी बुलिटेन की एक एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : सूचना संकलित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

तमिल प्रसारणों में तमिल शब्दों का गलत प्रयोग

3005. **श्री किरूतिनन :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह एक आम भावना अथवा शिकायत है कि आकाशवाणी के तामिल प्रसारणों में तमिल शब्दों का ठीक अथवा शुद्ध प्रयोग नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क रहने के लिये अधिकारियों को उपयुक्त निदेश देगी, और

(ग) क्या सरकार यह भी निदेश देगी कि तमिल प्रसारणों में "श्री" के स्थान पर "थिरू" "मंत्री" के स्थान पर "अमायचर" और "मंत्री साहब" के स्थान पर "अमायचावाई" शब्दों का प्रयोग किया जाए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) और (ख) : सम्बन्धित केन्द्रों से पूछ ताछ की जा रही है और एक विवरण जिससे निष्कर्ष दिए होंगे, सदन की मेज पर रख दिया जाएगा। प्राप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ग) मामला विचाराधीन है।

मूंगफली के मूल्यों में कमी

3006. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली के मूल्यों में अत्याधिक कमी हुई है तथा इस के परिणामस्वरूप देश में मिलें बन्द हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये तथा उन मिलों की सहायता करने के लिये जो मूल्यों में हुई कमी के कारण बन्द होने वाले हैं सरकार द्वारा क्या तुरन्त कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अन्नासाहिब शिन्दे) (क) : नवम्बर-दिसम्बर 1968 तथा जनवरी, 1969 की अवधि में मौसमी मन्दा होने के कारण फरवरी, 1969 से मूंगफली के मूल्यों में सामान्य तेजी आनी शुरू हो गई। 1968-69 के मौसम में मूल्य प्रायः पिछले मौसम की इसी अवधि के मूल्यों की तुलना में ऊंचे रहे हैं। इस कारण से कारखानों के बन्द होने के विषय में सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Central Agricultural Seeds Farm in Abohar

3007. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that production work in the Central Agricultural Seeds Farm, Abohar, Punjab is entrusted to the landless agricultural labourers ;

(b) is so, the quantity of seeds produced and the portion of that quantity given to those labourers during the last two years ;

(c) whether Government are taking steps to run the Central Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh, District Sriganga Nagar (Rajasthan) also on the said footing ; and

(d) whether Government would allot the fallow land in the Central Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh for cultivation to the landless agricultural labourers on the pattern of the Central Seeds Farm, Abohar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a): There is no Seed Production Farm run by the Central Government at Abohar in Punjab.

(b) Does not arise.

(c) and (d) : Government is quite capable of cultivating all the culturable area at the Central State Farm, Suratgarh, if adequate irrigation facilities are available. There is no question of allotting any part of the land for cultivation to agricultural labourers.

दिल्ली सर्कल में वायरलैस आपरेटर

3008. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1969 में सर्कल सेवा में प्रशिक्षण प्राप्त कुछ वायरलेस आपरेटरों का दिल्ली सर्कल से बाहर तबादला किया जा रहा है, जब कि उनके स्थान पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली सर्कल में नियमों का उल्लंघन करके ऐसे अप्रशिक्षित वायरलैस आपरेटरों को रखा जा रहा हैं जो डाक तथा तार नियमावलि खण्ड चार, अध्याय ग्यारह के अनुसार तब तक सवर्ग मे नियमित कर्मचारी बनने का दावा नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे उपर्युक्त नियमावलि के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा पास न कर लें ;

(ख) क्या वर्ष 1950 और 1953 के बीच विभागीय परीक्षा पास न कर सकने पर लगभग 24 वायरलैस आपरेटरों की पदावन्नति की गई थी और यदि हां, तो दिल्ली सर्कल के वतमान अप्रशिक्षित वायरलैस आपरेटरों की पदावन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सम्बद्ध कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो क्या कार्यवाई की गई हैं ;

(घ) दिल्ली सर्कल के वर्तमान प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त न करके उन्हीं पदों के लिये अप्रैल, 1969 में विभागीय परीक्षा करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) अर्हता प्राप्त वायरलैस आपरेटरों को पदोन्नत करने के लिये एक वर्ष तक और प्रशिक्षण प्राप्त करके उच्चतर रक्षता परीक्षा पास करने को कहे जाने का क्या औचित्य है, जबकि पहले समान अर्हता वाले व्यक्तियों को बिना किसी प्रशिक्षण के पदोन्नत किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क): कुछ पदों को समाप्त किये जाने के कारण तीन कनिष्ठतम वायरलैस आपरेटरों का दिल्ली टेलीफोन परिमडल से बाहर आसाम को स्थानान्तरण किया जा रहा है। जिन वायरलेस आपरेटरों का अप्रशिक्षित के तौर पर उल्लेख किया गया है उनकी नियुक्ति 1962 में आपात-कालीन स्थिति होने के कारण सामान्य नियमों में ढील देकर कार्य पर ही सक्षिप्त प्रशिक्षण देने के बाद नियमित आधार पर की गई थी और वे अब आसाम को स्थानान्तरित किये गए वायरलेस आपरेटरों से वरिष्ठ हैं। ऐसा करके नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया।

(ख) जिन व्यक्तियों को 1950-53 के बीच प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था उनके लिए उस अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था जिससे उन्हें छूट नहीं दी गई और जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया और वैकल्पिक रोजगार की पेशकश भी स्वीकार नहीं की, उन्हें पदावगत कर दिया गया या उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

फिर भी ऐसे वायरलेस आपरेटर जिनकी भर्ती 1962 में आपातकालीन स्थिति के दौरान की गई थी उन्हें काम पर ही संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया था और उनके लिए नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

(ग) तीन कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनकी नियुक्ति आसाम में की गई है और उनके निवेदनों को स्वीकार नहीं किया गया है।

(घ) अप्रैल, 1969 में होने वाली विभागीय परीक्षा चार संवर्गों, रिपीटर स्टेशन सहायक, बेतार आपरेटर, स्वचालित एक्सचेंज सहायक, टेलीफोन निरीक्षक के लिए संयुक्त परीक्षा है। इस समय दिल्ली टेलीफोन परिमंडल का बेतार आपरेटरों के संवर्ग के लिए रिक्त स्थानों की घोषणा करने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) चूंकि नये इंजीनियरी पर्यवेक्षक नियुक्ति और प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के रिक्त स्थानों के बाहरी कोटे के रिक्त स्थानों को भरने के लिए 20 उच्चतम दक्षता वाले और अर्हता प्राप्त बेतार आपरेटरों को खपाना है, इसलिए उनको इंजीनियरी पर्यवेक्षकों (पारेषण) के लिए निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देना होगा जिसमें अब वाहक, सूक्ष्मतरंग और बेतार शाखाएं भी शामिल हैं। जो लोग पहले बिना प्रशिक्षण के खपा लिये गये थे उनको भी अब पुनरनुस्थापन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कृषि विश्वविद्यालयों के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

3009. **श्री द० रा० परमार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों को सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) केरल, गुजरात, बिहार तथा आसाम में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) : राज्य सरकारों। कृषि विश्वविद्यालयों को तृतीय योजना से आज तक वित्तीय सहायता निम्न प्रकार दी गई है :-

क्रम संख्या	राज्य । विश्वविद्यालय का नाम	सहायता की राशि (रूपये)
1.	उ० प्र० । पन्तनगर	89,97,808
2,	आन्ध्र प्रदेश । हैदराबाद	87,52,692
3.	पंजाब । लुधियाना	1,49,98,000
4.	राजस्थान । उदयपुर	72,50,480
5.	मध्य प्रदेश । जबलपुर	59,49,903
6.	पश्चिम बगाल । कल्यानी	20,00,000
7.	उड़ीसा । भुवनेश्वर	46,70,629
8.	मैसूर । बंगलौर	46,18,672
	कुल :	5,72,38,184 रूपये

(ख) इस सम्बन्ध में कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। केवल असम ने आवश्यक अधिनियमन पारित किया है और एक उप-कुलपति नियुक्त कर दिया है। यह पता चला है कि बिहार राज्य सरकार ने एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये एक मसौदा विधेयक पहले ही तैयार कर लिया है और गुजरात के सम्बन्ध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। केरल सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये एक प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का धरना

3010. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये 1,000 शरणार्थियों ने उचित पुनर्वास व्यवस्था के निमित्त हाल ही में प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने धरना दिया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1964 से साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप वे पूर्वी पाकिस्तान में नोआखली में चले आये थे और अब तक उनका पुनर्वास नहीं हो सका है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनका यथाशीघ्र पुनर्वास करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : यह अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य उन कुछ विस्थापित व्यक्तियों के विषय में निर्देश कर रहे हैं जो गत मास प्रधान मंत्री जी के आवास के निकट गोल चक्कर तथा पटरियों पर कुछ समय के लिये बैठे थे। वे उन विस्थापित परिवारों के समूह में से थे

जिन्हें कुछ समय पूर्व आन्ध्र प्रदेश में ईसा गांव में कृष्य परियोजनाओं में बसाया गया था और जो इस आधार पर वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रार्थना करने दिल्ली आये थे कि उनका वर्तमान स्थान उनकी आशाओं के अनुकूल नहीं है। वे ईसागांव चले गये हैं।

इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये विस्थापित परिवार पूर्वी पाकिस्तान में नौआखली से आये थे। वे 1964 के प्रवाह में पूर्वी पाकिस्तान में स्थित स्थानों से आये थे। इन परिवारों को ईसागांव में कृष्य परियोजनाओं में बसाया गया था और निर्धारित पैमानों के अनुसार उन्हें राहत तथा पुनर्वास सहायता प्रदान की गई थी। आवश्यक रूप में, पुनर्वास में समय की प्रक्रिया अनिवार्य है और इसकी सफलता पूर्वक पूर्णता, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रवासियों के उद्यम, अभिक्रमशीलता तथा परिश्रम पर निर्भर करती है। आशा की जाती है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता से यह परिवार शीघ्र ही अपना पुनर्वास कर पायेंगे और परियोजना को सफल बनायेंगे।

Pahari Dhiraj House Building Society, Delhi

3011. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the date on which Pahari Dhiraj House-building Society, Delhi was established and the names and addresses of its Members and office-bearers ;

(b) whether land has been allotted to the Society and if so, when, where and the area thereof as also the price paid therefore and whether land has been allotted to Members and if not, the reasons therefor ;

(c) the total amount with the Society in the shape of shares, application forms fee and instalment towards the price of land, the name of the Bank in which it has been deposited and whether accounts of the Society have been audited every year and if not, the reasons therefor ;

(d) whether this Society enrolled members by announcing that they have got the land allotted and by receiving three thousand rupees as 'Pagri' in 1966-67 and misappropriated lakhs of rupees although no land had been allotted to them at that time ; and

(e) if so, the action taken against the guilty persons and the steps proposed to be taken to safeguard the interests of Members of the Society ?

The Minister of States in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The Pahari Dhiraj House-building Society, Delhi was established on 19,3,1948. The names and addresses of its members and office-bearers are given in the statement. [Placed in Library. See No. LT-328/69]

(b) According to the information furnished by the Delhi Administration, the Society was allotted land measuring four acres in Shakur Basti (Pritampura) in October, 1966. The Society has since made the payment of Rs. 1,54,880 towards the cost of this land but it has not yet taken its possession. As such, the question of allotment to members does not arise.

(c) The Society has collected a sum of Rs. 5400/- as share money, Rs. 67/- as fee for application forms and Rs. 1,63,200 towards the price of land. It has got its account in the Delhi State Cooperative Bank Ltd. and the accounts of the Society are audited every year.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Central Gosamwardhan Council

3012. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to disband the Central Gosamwardhan Council ; and

(b) if so, the arrangements made to provide similar employment with full benefits in Delhi itself to the employees of the Council after its abolition ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) : Yes, Sir, Government has decided that the Central Council of Gosamvardhan should be replaced by an advisory Committee, the composition of which is under consideration.

(b) The matter is under consideration of Government.

उर्वरक उद्योग संबंधी मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

3013. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उद्योग सम्बन्धी मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कब तक लागू करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इन सिफारिशों को पूर्णतः अथवा कुछ संशोधनों के साथ लागू करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) अगर कोई संशोधन करने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) से (ग) : उस संकल्प की प्रतियां जिसमें मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों का सारांश और उस पर सरकार के निर्णय दिए गए हैं, 19 नवम्बर, 1968 को सभा की मेज पर रख दी गई थी। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की क्रियान्विति करने के लिए राज्य सरकारों से प्रार्थना कर दी गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री जे० बी० डिक्रूज़ की मृत्यु

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"गोवा के संघ राज्य क्षेत्र में 6 मार्च, 1969 को पुलिस द्वारा पीटे जाने और उत्पीड़ित किये जाने के कारण भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और मजदूर संघों के नेता श्री जे० बी० डिक्रूज़ की मृत्यु"

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : गोवा, दमन तथा दीव प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 5 और 6 मार्च, 1969 के बीच की रात को मैसर्स टिम्बलो के हड़ताली कर्मचारियों द्वारा डिगना में एक गराज़ पर पत्थर बाजी की बताई जाती है। श्री डिक्रूज़ तथा कुछ अन्य श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया था । कहा गया है कि उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया और इस खेंचातानी में कुछ श्रमिक तथा कुछ पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गये । आहत व्यक्तियों की चिकित्साधिकारी द्वारा देखभाल की गई थी । 6 मार्च को प्रातः उन्हें दण्डाधिकारी द्वारा अदालती हिरासत में भेजा गया तथा श्री डिक्रूज़ को इलाज कराने के लिये अस्पताल में दाखिल किया गया। रात्रि में उन की मृत्यु हो गई । शव परीक्षा की जांच से पता चला है कि उन की मृत्यु मस्तिष्क की नली फट जाने से मस्तिष्कीय रक्तस्राव के कारण हुई । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत जिलाधीश को जांच करने को कहा गया है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह एक बहुत गम्भीर मामला है । गोवा के श्रमिक वर्ग का एक प्यारा नेता और एक देश भक्त जिसने पुर्तगाली शासन के विरूद्ध लड़ाई लड़ी थी । अदालती हिरासत में पुलिस के हाथों मारा गया है । मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह सही नहीं है । हमें गोवा से सूचना प्राप्त हुई है कि वहां खानों में गत दो महीनों से हड़ताल चल रही थी । 5 तारीख को सायं एक सभा हुई थी, जो शांति पूर्वक समाप्त हो गई थी । सभा की समाप्ति के बाद संयोजकों के कहने पर पुलिस श्रमिकों के क्वाटरों में घुस गई और श्रमिकों को पीटा गया । इस के बाद श्रमिकों ने एक प्रदर्शन किया और जब प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय संयोजकों के उकसाने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया जिसमें 32 श्रमिक जख्मी हुए । इस के पश्चात 10 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हवालात भेज दिया गया । ये सब व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी थे परन्तु इन्हें अस्पताल नहीं भेजा गया । उन्हें अगले दिन अर्थात 6 तारीख को 4 बजे मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया । मेजिस्ट्रेट ने पुलिस को बुरा भला कहा और कहा कि श्री डिक्रूज को अस्पताल भेजा जाये । इस के बाद पुलिस श्री डिक्रूज को अस्पताल ले गई और वह भी शाम को 6 बजे के बाद । उस समय भी श्री डिक्रूज को एक स्थानीय अस्पताल में भेजा गया, जहां डाक्टरों ने कह दिया कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है और वे इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं । इस के बाद ही उन्हें मुख्य अस्पताल में भेजा गया, जहां उन की मृत्यु हो गई ।

सत्ताधारी दल के सचिव श्री प्रभु ने भी न्यायिक जांच की मांग की है । मैं जानना चाहती हूं कि न्यायिक जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : तथ्यों की वास्तविकता का पता लगाने के लिये ही हमने जिलाधीश को जांच करने को कहा है। तथ्यों को छुपाने अथवा किसी का बचाव करने का कोई प्रश्न नहीं है । हम वास्तविक तथ्यों का पता लगाना चाहते हैं और इसीलिये जिलाधीश को जोकि

एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, जांच करने को कहा है। हमें विश्वास है कि इस जांच से हमें वास्तविक तथ्यों की जानकारी हो जायेगी। तथ्यों की जानकारी प्राप्त होते ही हम सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : माननीय मन्त्री ने जो सूचना इस समय इस सभा में दी है, वही सूचना उन्होंने कल राज्य सभा में दी थी। इस सूचना के बाद जनता में रोष फैला हुआ है। जनता में यह धारणा है कि वह मैजिस्ट्रेट जिसे जांच करने को कहा गया है, निष्पक्ष नहीं है। पुर्तगाली शासन के समय वह जनता पर अत्याचार करता रहा है। वर्ष 1964 में जब गोदी कर्मचारियों ने हडताल की थी और दो श्रमिक मारे गये थे, तो जांच का कार्य उसी मैजिस्ट्रेट को सौंपा गया था। उसने दो श्रमिकों की मृत्यु के सब तथ्य को छुपा लिया था। इसलिये जनता उस जिलाधीश से असंतुष्ट है। यह लोगों की एक जायज मांग है और मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि जांच का कार्य गोवा प्रशासन के न्यायिक आयुक्त अथवा मैसूर उच्च न्यायालय अथवा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपा जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्यों ने उस जिलाधीश के बारे में जिन बातों का उल्लेख किया है उन की मुझे जानकारी नहीं थी। मैं इन सब बातों की जांच करूंगा तथा मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि जांच कार्य किसी ऐसे अधिकारी को नहीं सौंपा जायेगा, जिस की निष्पक्षता के बारे में जनता को सन्देह हो।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उस से पता चलता है कि पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है। श्री डिक्रूज की मृत्यु के बाद यह समाचार जनता को नहीं दिया गया था। उन के शव की शव परीक्षा भी उनके सम्बन्धियों को बताये बिना ही की गई थी। इन सब बातों से पता चलता है कि पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है। इसके अतिरिक्त श्री डिक्रूज का पुत्र पुलिस में सिपाही है तथा उसे आदेश दिया गया है कि वह अपने पिता के शव का अन्तिम सस्कार किसी को बताये बिना कर दे। पुलिस के महा निरक्षक ने उस बेचारे सिपाही पर व्यक्तिगत दबाव डाला है और वह अपने पिता की मृत्यु के बारे में किसी को कुछ कह भी नहीं सकता है। इन परिस्थितियों में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करने को तैयार हैं, ताकि उचित जांच कराई जा सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब तक पुलिस के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, तब तक पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करना उचित नहीं है। परन्तु यदि उन के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला पाया गया तो हम उचित कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) दूसरा संशोधन नियम

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन चलचित्र

(सेंसर व्यवस्था) दूसरा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2191 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 297/69]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियन्त्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2239 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पश्चिमी बंगाल बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1968 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 2240 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मध्य प्रदेश चावल वसूली (उद्ग्रहण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 6 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 44 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा वहन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1969 जो दिनांक 7 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 90 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 13 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 139 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) गेहूँ बेलन आटा मिलें (लाइसेंस देना तथा नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 21 फरवरी 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 446 (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 24 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में जी० एस० आर० 451 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 448 जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 298/69]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12क के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 111 की एक प्रति जो दिनांक 18 जनवरी 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 299/69]

कोयले से भिन्न खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के पांचवे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं कोयले से भिन्न खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 7 नवम्बर, 1968 को नई दिल्ली में हुए पांचवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 300/69]

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही में और छूट देने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE FURTHER RELAXATION OF ACTION AGAINST GOVERNMENT EMPLOYEES

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 18 अक्टूबर, 1968 को सरकार ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के मूल आदेशों में विशेष छूट देने का विनिश्चय किया था जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था। 7 जनवरी, 1969 को कुछ और छूटें भी घोषित की गई थीं। सरकार ने और अधिक उदारता बरतने के प्रश्न पर विचार किया है और अब यह विनिश्चय किया है कि उन व्यक्तियों को छोड़कर, जिनके विरुद्ध हिंसा, डराने अथवा सक्रिय रूप में उकसाने की शिकायतें हैं, उन कर्मचारियों को जो अभी तक निलम्बित हैं नौकरी पर पुनः जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जायगी। सेवा नियमों के अन्तर्गत उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही का दायित्व उन अवस्थाओं में बना रहेगा जिनमें अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अध्यादेश, 1968-अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत किसी अपराध, अर्थात् केवल नौकरी से अनुपस्थिति के लिए के अतिरिक्त सिद्ध दोष किया गया हो।

अनिर्णित मुकदमों की सावधानी से जांच की जाएगी तथा जिन अवस्थाओं में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्य नहीं है विधि के अनुसार वैधिक कार्यवाहियों को समाप्त करने की दृष्टि से कदम उठाये जाएंगे।

अनेक अस्थाई कर्मचारी नोटिस की बजाय एक माह का वेतन देकर सेवामुक्त कर दिये गये थे। जनवरी के शुरू में कुछ घोषित छूटों में यह उपबन्धित था कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को केवल नौकरी से अनुपस्थित रहकर हड़ताल में भाग लिया था तथा जिनके विरुद्ध अध्यादेश की धारा 4 के अधीन ही अपराध के लिए गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने के परिणामस्वरुप सेवाएं समाप्त की गई थीं उन्हें तथ्य सम्बन्धी जांच के पश्चात् नौकरी पर

ले लिया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिये, कि ये रियायतें पूर्णत : और शीघ्रता से लागू की जाय, कदम उठाये जायेंगे ताकि सेवा समाप्ति के आदेश केवल उन्हीं अवस्थाओं में बने रहे जिनमें कार्यवाही करने के लिए ठोस आधार हों ।

उन कर्मचारियों के पद भी जिन्हें केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया है उन्हीं उदार सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही की जायगी जिनके अनुसार कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया है तथा तदनुसार बहाल किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

सरकार को विश्वास है कि जिस उदारता की भावना से ये विनिश्चय किये गये हैं उसका उत्तर कर्मचारी निष्ठापूर्ण तथा अनुशासनपूर्ण सेवा से देंगे ।

सामान्य आय-व्ययक 1969-70 सामान्य चर्चा-(जारी)

GENERAL BUDGET 1969-70 GENERAL DISCUSSION (Contd)

अध्यक्ष महोदय : अब सामान्य आय-व्ययक 1969-70 पर आगे चर्चा की जायेगी ।

श्री म० सुदर्शनम (नरसारावपट) : महोदय, देश की अर्थ व्यवस्था पर इस आय-व्ययक का अच्छा प्रभाव पड़ेगा । सर्व प्रथम मैं उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं, कि उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति का यथार्थ मूल्यांकन किया है । करों की राहत को जारी रखा गया है । इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा । विकास छूट को जारी रखना और प्राथमिक खर्चों का विलम्ब से भुगतान भी उचित है ।

फिर भी इस आय-व्ययक में कुछ आपत्तिजनक उपबन्ध हैं । निजी आय पर कर को बढ़ा दिया गया है । इस वृद्धि का मध्य वर्ग पर कुप्रभाव पड़ेगा । कुछ उत्पादन शुल्कों में जो वृद्धि की गई है तथा निजी आय पर कर में जो वृद्धि की गई है उस से मध्यम वर्ग के लोगों की बचत क्षमता खत्म हो जायेगी । इस से वर्ष 1969-70 में अर्थ व्यवस्था के विकास पर बुरा असर पड़ेगा ।

मुझे ज्ञात है कि हाल के कुछ समय में तथा इस आय-व्ययक के प्रस्तुत किये जाने के बाद भी अंशों के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है । परन्तु इस से यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिये कि लोगों की बचत क्षमता बढ़ी है । अंशों में इस वृद्धि का कारण वित्तीय संस्थाओं द्वारा इक्वीटी शेयरों का खरीदा जाना है । यदि बचतें प्राप्त न होंगी तो पूंजी बाजार में धन की कमी हो जायेगी । गत छः वर्षों से पूंजी बाजार की स्थिति बहुत खराब रही है । पूंजी बाजार में जो मंदी रही है उसका कारण लोगों की बचत क्षमता का घटना तथा कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांशों की दर का कम होना है । इसलिये हम आशा करते थे कि वर्ष 1969-70 के आय-व्ययक में कम्पनी कर के बोझ को कम करके कम्पनियों की लाभांश देने की क्षमता को बढ़ाया जायेगा । परन्तु आय-व्ययक में जिन कर प्रस्तावों का उल्लेख है उस से बचत क्षमता तथा कम्पनियों को लाभांश देने की क्षमता में गिरावट आयेगी । अत: ऐसी कोई आशा नहीं है,

कि पूंजी बाजार में सुधार होगा। निगमित करों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर आयकर और अतिकर का बोझ 66.25 प्रतिशत रहेगा तब तक पूंजी बाजार में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। हमारे देश में करों का बोझ सब से अधिक है। 90 विकासशील देशों में से कहीं भी इतने अधिक कर नहीं हैं। अधिकांश विकासशील देशों में निगमित कर का भार 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। सामान्य पूंजी में निवेश बढ़ाने के लिये निगमित कर के भार को कम करना और माध्यम आय वाले वर्गों पर निजी कर के बोझ में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना जरूरी है। अत इस आय-व्ययक से यह आशा नहीं की जा सकती है कि इस से निवेश गतिविधियां बढ़ेंगी।

आय-व्ययक भाषण में निर्यात के महत्व पर जोर दिया गया है। हमारे निर्यात में हाल में हुई वृद्धि के बावजूद, हमारे निर्यात से जो आय होती है उससे हमारी आयात की केवल दो तिहासी पूर्ति होती है। इसलिये निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दिया जाना चाहिये।

हमारे उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री ने पटसन हैसियन और टाट, चाय कच्चा ऊन और अभरक जैसी मदों पर निर्यात शुल्कों में कमी करके निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है, परन्तु यह कमी अपर्याप्त है और इस में कई आवश्यक मद नहीं आते हैं। दुनिया के बाजारों में मुकाबला करने के लिये और तम्बाकू की मौजूदा भरमार को दूर करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि तम्बाकू पर निर्यात शुल्क खत्म कर दिया जाये अथवा इसमें भारी कमी की जाये। निर्यात शुल्क उस समय लगाया गया था, जब रुपये का अवमूल्यन किया था। हमारे तम्बाकू का आयात ब्रिटेन द्वारा किया जाता है। अब ब्रिटेन ने भी अपने पाऊंड का अवमूल्यन कर दिया है, परन्तु तम्बाकू पर उतना ही निर्यात शुल्क है, जितना पहले था। बम्बई की एक कम्पनी के माध्यम से हाल में एक सौदा किया गया है जिससे तम्बाकू के बदले कुछ रसायनों का आयात किया जायेगा। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला है। तम्बाकू भारी मात्रा में जमा हो गया है और अर्थ व्यवस्था पर उसका काफी हद तक प्रभाव पड़ रहा है, केवल गुन्टूर में ही लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य के तम्बाकू का निर्यात होता है। सरकार को चाहिए कि वह इसे सट्टेवालों पर न छोड़कर वस्तु-विनिमय करार को क्रियान्वित करे अन्यथा काफी विदेशी मुद्रा की हानि हो जायेगी।

इसके साथ-साथ गैर-व्यवसायी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। यद्यपि बाजार विकास निधि के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन ऐसे निर्यातों को आकर्षक तथा लाभ-प्रद बनाने के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं की गई है। आयात स्थानापन्न के लिये भी राजवित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने की स्पष्ट आवश्यकता थी।

केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों में जिनकी संख्या इस समय 80 है, 3500 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है जिनसे 55 उपक्रमों में काम हो रहा है, वर्ष 967-68 में इनमें से 31 उपक्रमों को 48 करोड़ का लाभ हुआ और शेष 24 उपक्रमों को 83 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, इस प्रकार कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपये का घाटा रहा। जिन उपक्रमों को घाटा रहा उनमें से मुख्य उपक्रम हिन्दुस्तान स्टील, भारी इंजीनियरी निगम,

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम हैं। इन उपक्रमों के प्रबन्ध के लिये सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से अच्छे से अच्छे योग्य तथा कुशल व्यक्ति चुने जाने चाहिए और सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारियों को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी जानी चाहिए अन्यथा इन उपक्रमों से सफलता की आशा नहीं की जा सकती। इन उपक्रमों की कार्य प्रणाली में सुधार करना बहुत जरूरी है और जल्दी करना आवश्यक है ताकि वे योजना के लिये संसाधनों का एक क्षमतापूर्ण स्रोत बन सकें। केवल 10 प्रतिशत लाभ मिलने पर भी उनसे प्रति वर्ष 350 करोड़ की आय होगी।

10,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच की आय वाले पंजीकृत फर्मों पर जो 4 प्रतिशत कर लगाया गया है उसे हटाया जाना चाहिए क्योंकि उससे आय पर दुहरा करारोपण होता है।

विकास छूट को जारी रखने तथा इस प्रयोजन के लिये कपड़ा तथा पटसन उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का दर्जा देने के निर्णय का स्वागत है। मेरा सुझाव है कि कर प्रयोजनों के लिये भी इन उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग माना जाना चाहिए।

व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अविभक्त हिन्दू परिवार की आय को एक व्यक्ति की आय मानना हिन्दू कानून की भावना के विपरीत है। 31 मार्च, 1965 के पश्चात् किये गये हस्तान्तरणों को भी प्रस्तावित उपबन्ध के क्षेत्राधिकार में लाना उचित नहीं है।

जहां तक मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क लगाने का सम्बन्ध है, इस समूचे प्रश्न का पुनरीक्षण करना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलों को हानि न होने पावे और उपभोक्ता तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा भी की जाये। सम्पत्ति कर के मामले में वास्तविक कृषकों को रियायत देने की वित्त मन्त्री की घोषणा का स्वागत है। नकली कृषकों पर सम्पत्ति कर लगाना जरूरी है।

ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि हैदराबाद में दूसरा केबल कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव वित्तीय संसाधनों के न होने के कारण समाप्त कर दिया गया है। चूंकि इस उत्पाद की देश में काफी मांग है अतः इस परियोजना को आरम्भ किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार देश में जस्ते की मांग (117000 टन) को ध्यान में रखकर जिंक स्मैल्टर परियोजना स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। योजना के अनुसार विशाखापतनम् में उसे आरम्भ किया जाना चाहिए।

देश में उर्वरक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रामागुंडम में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिकीकरण को देखते हुए ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वहां बिजली की कमी महसूस होगी। इसलिये इस कमी को पूरा

करने के लिए वहां आण्विक बिजली घर की आवश्यकता है, आन्ध्र प्रदेश में उपयोग के लिये नेवेली से कुछ बिजली का आरक्षण किया जाना चाहिए।

विश्व बाजार में तांबे की अत्यधिक कमी को देखते हुए, गुन्टूर जिले में अग्निगुंडाला स्थित तांबा निक्षेपों का लाभ उठाना आवश्यक है और तदर्थ आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए।

पूर्वी घाट पर काकीनाडा में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करना अत्यावश्यक है ताकि पिछड़े आन्ध्र प्रदेश के विकास के लिये कुछ पेट्रो-रसायन कारखानें भी अभ्युदय हो।

नागार्जुन सागर परियोजना में भारी पूंजी विनियोग के कारण आन्ध्र प्रदेश ऋणी बन गया है यद्यपि वह एक राष्ट्रीय परियोजना है और उससे खाद्यानों के आयात के सम्बन्ध में कई करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। आन्ध्र प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस ऋण के भुगतान की शर्तों में संशोधन करना जरूरी है।

आंध्र प्रदेश का समुद्री तट काफी लम्बा है और मछली पकड़ने के उद्देश्य से एक पत्तन का विकास करने के लिये उपयुक्त है। अतः सरकार को चाहिये कि वह इसके लिये आवश्यक मंजूरी दे दे।

Shri Ram Charan (Khurja) - Even after a lapse of 20 years of independence, we have not been able to present a budget which can be said to have been framed on socialistic pattern. The condition of landless labourers, the Harijans and other poor people has in fact worsened during this period. On the other hand a substancial part of our budget is spent on the maintenance of bureaucracy sixty percent of which has no work at all. The money being spent on it can be diverted to the uplift of the vulnerable sections of the society. But no such provision has been made in this budget. On the other hand it contains proposals of taxation on agriculture which will hit the farmers. The taxes being imposed on other things will create a price spiral. Judged from all these angles the budget deserves no support.

While a provision for he beautification of Delhi has been made in the budget, there is no provision for the rehabilitation of 50,000 Harijans who have been unrooted. While on the one hand a plot of 400 acres has been alloted for the construction of a grave yard, on the other hand the poor Harijans are not entitled to get 20 yards of land for the construction of a hut. It shows that the Government is playing in the hands of the capitalists and the poor labourers have to suffer unmitigated hardships

The Harijans are being harassed and tortured all over the country. They are being murdered in broad day light and their houses are being set on fire. There should be a special Department to look into their conditions of living which are deteriorating day by day. This budget has been prepared keeping in view the interests of the capitalists at the cost of the poor people who are 80 percent of the population. If the money, which the Government has spent on the import of foodgrains from abroad, had been spent for the advancement of the poor farmers, foreign exchange amounting to Rs. 4,000 would have been saved. But the Government of to-day is Playing in the hands of the capitalists and is only concerned with the industrial development.

The State of Uttar Pradesh has been completely neglected both in the matter of agriculture and industry. The condition of people there remains the same as it was 20 years ago. Efforts should be made to minimise the economic and social disparities among the people otherwise the poor people will be compelled to go to the communist fold.

It is, therefore, in the fitness of things that more and more money should be provided for the uplift of the poor people of the country.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमानाथ ।

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमदनगर) : महोदय एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है । हम इस आय-व्ययक पर गत एक सप्ताह से विचार कर रहे हैं । जहां कुछ सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है वहां कई सदस्यों को अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । हम पीछे बैठने वालों तथा नये सदस्यों को, जो गत एक मास से इस सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिये आतुर हैं, अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । पद्धति यह है कि प्रत्येक दल द्वारा सदस्यों के नामों की एक सूची आप को दी जाती है और यदि हमारा नाम उसमें हो तो हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है । परन्तु देखा यह गया है कि यहां कुछ ही माननीय सदस्यों को एकाधिकार प्राप्त है और हमारे नाम ही नहीं आते हैं ।

Shrimati Lakshmi Kanthamma (Khamam) : will I get a chance or not ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक बहुत लम्बी सूची है । हम यथासम्भव सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं । मैं श्री अन्नतराव पाटिल को मौनी सदस्य नहीं समझता हूं । मुझे कुछ नियमों का पालन करना और यथासम्भव अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देना होता है । इस सम्बन्ध में समय-सीमा भी है । फिर भी जिन सदस्यों को अब अवसर नहीं मिलेगा, उन्हें वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के समय अवसर दिया जायेगा ।

Shrimati Lakshmi Kanthamma : We find that two Members belonging to one State are being called. But no Member of our State has so for been called by you where there is turmoil. How can we express our views.

श्री अनन्तराव पाटिल : हमें ऐसा बताया गया था कि जिन सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण अथवा रेलवे आयव्ययक पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, उन्हें सामान्य आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया जायेगा । परन्तु ऐसा देखा गया है कि विचार व्यक्त करने का अवसर बार-बार कुछ ही सदस्यों को दे दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं । मैं भी जब देखता हूं कि किसी राज्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो उस राज्य के सदस्य का नाम सूची में शामिल कर लेता हूं । सामान्यता यही प्रक्रिया अपनाई जाती है । यदि किसी मामले विशेष में कोई चूक हो गई है, तो हम उसे ठीक कर देंगे ।

Shri Balgovind Verma (Khera) : So for as my party is concerned, the names of Members are not being called serial-wise as per the lists of speakers submitted by us.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक हो सके इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सूची में कोई परिवर्तन न किया जाये । हां, कभी कभी स्वयं सदस्यों की प्रार्थना पर इस में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है जब उन्हें कहीं जाना होता है अथवा उन्हें कोई और कठिनाई होती है । इसके अतिरिक्त सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है । यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : माननीय उप-मन्त्री ने आय-व्ययक सम्बन्धी अपने भाषण में जिन सामाजिक मूल्यों पर बल दिया है उनको ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान आय-व्ययक पर दृष्टि डाली जाये तो ऐसा मालूम होगा कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । उन्होंने लोगों में बढ़ती हुई समानता तथा उनको सुविधायें देने की बात कही । यदि हम इन दो बातों को ध्यान में रखकर आय-व्ययक के प्रस्तावों का विश्लेषण करें तो कथनी और करनी में बहुत अन्तर वाली बात सिद्ध हो जाती है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समानता लाने का यही ढंग है कि बड़े बड़े उद्योग गृहों को तो निरन्तर रूप से करों से मुक्त कर दिया जाये, उन्हें विकास छूट, निर्यात सहायता तथा कई वस्तुओं में उत्पादन-शुल्क से छूट दे दी जाये और दूसरी ओर 10,000 रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर, जिनमें अधिकांशत: मध्यम आय वाले कर्मचारी हैं, आय कर की दर में वृद्धि कर दी जाये । क्या उनका समानता का तात्पर्य बड़े बड़े उद्योगपतियों में समानता लाना है अथवा उनके वक्तव्य में "असमानता" शब्द के स्थान पर "समानता" शब्द गलती से छप गया है ।

जहां तक लोगों को सुविधायें देने की बात का सम्बन्ध है सरकार शायद चीनी, मिट्टी के तेल, सिगरेटों तथा अन्य कई प्रकार की वस्तुओं पर, जिनका आम लोग उपयोग करते हैं, कर लगा कर लोगों को सुविधायें देना चाहती है अथवा उनकी सुविधाओं को छीनना चाहती है । स्पष्ट है कि यह आय-व्ययक मध्यावधि चुनाव में सरकार को हुई हार का बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर तैयार किया गया है और यह देश के विकास तथा आम लोगों के हित में नहीं है ।

इस बजट से प्रकट होता है कि सरकार ने अपनी उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जिस में गरीबों की अवहेलना की जाती है तथा एकाधिकारियों को समृद्ध बनाया जाता है । इस विषय में समवाय कानून प्रशासन विभाग के प्रतिवेदन में बिड़ला समूह और टाटा समूह की परिसम्पत्तियों की तुलना कर के टाटा समूह की परिसम्पत्तियों को अधिक बताया है, किन्तु

बिड़ला समूह ने पिछले 4 वर्षों में अपनी परिसम्पत्तियां अधिक बढ़ाई हैं। और इससे सरकार की इस नीति की पुष्टि भी होती है। किन्तु सरकार बहाना करती है कि उसे इस विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है।

ये बड़े समूह अपने शेयरों को सीधे बाजार में न बेचकर कुछ निवेशक समवायों को सौंप देते हैं जो कि उचित अवसर पाकर उन्हें बेचते हैं अन्यथा अपने पास रखते हैं। बिड़ला समूह के बारे में समवाय कानून प्रशासन विभाग के प्रतिवेदन में कहा गया है :

"जनता के लिये प्रस्तावित लगभग सम्पूर्ण राशि विभिन्न हामीदारों द्वारा बीमा कराई गई थी जिसमें एल० आई० सी० आदि सम्मिलित हैं।"

इसी प्रकार '**इकोनेमिक टाइम्स**' में टाटा के शेयरों के बारे में भी लगभग ऐसा ही कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बड़े समूहों को नए शेयरों को बेचने का भार सरकार नियंत्रित संस्थाएं अपने ऊपर लेती हैं।

जब जीवन बीमा निगम द्वारा लगाए गए धन का ब्यौरा पूंछा गया था तो माननीय उप-प्रधान मन्त्री ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि ब्यौरा बताना देश के हित में नहीं है। किन्तु जीवन बीमा निगम के पास जो धन है वह तो बीमा धारियों का धन है। जनता के धन का उपयोग कैसे हो रहा है यह जानने का अधिकार तो सदन और जनता को होना ही चाहिए। किन्तु सरकार नहीं चाहती कि उसका भेद खुल जाय और जनता को पता लग जाय कि उसके धन का उपयोग बिड़ला और टाटा जैसे बड़े समूहों में हो रहा है। जनहित से सम्भवतः सरकार का अर्थ बिड़ला और टाटा के हितों से है। इसी प्रकार मिर्जापुर स्थित एक ऐल्युमिनियम कारखाने को जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में था सरकार ने औद्योगिक नीति संकल्प की अवहेलना करके उत्पादन की अनुमति दी तथा उसने 5 वर्ष में लगभग 1 करोड़ रुपये कमाये। इसी कारखाने को रिहन्द बांध पर बनी बिजली बहुत सस्ती दरों पर दी गई थी।

एक अन्य मामले में भी बिड़ला समूह की फर्म को लाभान्वित किया गया था। सोन पुल के ठेके के बारे में जैसप्स का टैन्डर पहले आया तथा उसमें विदेशी मुद्रा कि आवश्यकता की मात्रा भी कम थी साथ ही यह कम्पनी सरकारी नियन्त्रण में थी। किन्तु सरकार ने जैसप्स कम्पनी को टेका न देकर एक बिड़ला समूह की कम्पनी को ठेका दे दिया जिसके कारण विदेशी मुद्रा भी पहले की तुलना में अधिक लगी और राष्ट्रीय कोष पर भी भार पड़ा।

स्टेट बैंक की नीति भी एकाधिकार को बनाने के हित में है। बड़े-बड़े व्यापार समूहों के प्रतिनिधि स्टेट बैंक के निदेशक-मण्डल में हैं तथा **इकोनोमिक टाइम्स** के अनुसार 'चूंकि ये व्यक्ति विभिन्न फर्मों और कम्पनियों के हितो में रुचि रखते थे अतः स्टेट बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण की राशि का 23.9% इन कम्पनियों पर बाकी था।"

यद्यपि इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि सरकार प्रत्यक्षरूप से एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है किन्तु जनता को छलने के लिए वह कहती है कि 'न जाने कैसे एकाधिकार हो जाता है। हम इसकी जांच करने का प्रयत्न कर रहे हैं।' आई० सी० आई०, अल्कालिन केमीकल्स

तथा कैमीकस्ल और फीबर इन तीनों कम्पनियों को मिलाने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। एकाधिकार को बढ़ावा देने का यह एक ज्वलंत उदाहरण है किन्तु फिर भी सरकार कहती है कि ज्ञात नहीं एकाधिकार कैसे पनप रहा है। सरकार यह जानने के लिए जांच आयोग नियुक्त करती है। यह एक विलक्षण बात है।

सुनते हैं औद्योगिक विकास मन्त्रालय एकाधिकार को रोकने के लिये एक विधेयक ला रहा है। मेरा विचार है कि सरकार यदि अपनी नीतियों को बदल दे जिससे कि एकाधिकार को बढ़ावा मिल रहा है तो बिना विधेयक लाए ही समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे विचार से एकाधिकार आयोग आदि को बनाने का ध्येय ही यह है कि इनसे सरकार की एकाधिकार पोषक नीतियों पर पर्दा पड़ा रहे।

सरकार की नीति से वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख अधिकारियों को भी बड़े व्यापार समूहों के साथ मिलकर हेर फेर करने का प्रोत्साहन मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष मद्रास जाकर निगम के अतिथि निवास में न ठहर कर श्री कोठारी के निवास स्थान पर ठहरते हैं। इससे जनता के मन में शंकाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह पदाधिकारी जब देखते हैं कि स्वयं सरकार एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है तो सोचते हैं कि हमें इस कार्य में भय क्यों हो।

देश अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय उप-प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वह 'शुभ' है। किन्तु देश की अर्थ व्यवस्था भारी संकट ग्रस्त है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की राष्ट्रीय आय में 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी किन्तु इसी सरकार ने दिसम्बर, 1968 में कहा था कि राष्ट्रीय आय में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अतः हमें इन के वक्तव्य को सत्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह भावी घटनाओं पर गम्भीरता से नहीं सोचते।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय आय में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होती है और दूसरी ओर जनसंख्या की भी प्रतिववर्ष 2.5 प्रतिशत बढ़ रही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना अर्थहीन ही है। ऐसा पिछले तीन वर्षों से हो रहा है। राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

खाद्यान्नों के उत्पादन के सम्बन्ध भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। यू० एन० आई० के अनुसार खाद्य मंत्रालय ने जनवरी में कहा था कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्नों की अधिक पैदावार होगी। किन्तु एक महीने के अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष गत वर्ष की पैदावार से कम पैदावार नहीं होगी। सरकार कभी कुछ कहती है और कभी कुछ। प्रश्न यह है कि सरकार की किस बात को ठीक समझा जाये

एक ओर तो सरकार कहती है कि इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन होगा और दूसरी ओर हम देखते हैं कि कारखानों में क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहती है। अभी औद्योगिक विकास मन्त्री महोदय ने बताया कि 44 उद्योगों में 50 से 96 प्रतिशत तक क्षमता अप्रयुक्त रहती है। हम यह कैसे विश्वास कर लें कि उत्पादन अच्छा होगा।

भविष्य में भी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है इसलिये यहां की आर्थिक स्थिति काफी सीमा तक कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। यह प्रायः निश्चय सा ही हो गया है कि कृषि उपज में गत वर्ष की तुलना में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी और दूसरी ओर घाटे की वित्त व्यवस्था की गई है और अनेक नये कर लगाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि लोगों की क्रय शक्ति का ह्रास हो जायेगा और मूल्यों में उत्तरोतर वृद्धि होती रहेगी। यह इस बात का द्योतक है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर अधिक बिगड़ जायेगी।

आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये देश में उद्योग आदि में उत्पादन नियमित ढंग से होते रहना चाहिए। उद्योगों को नियमित ढंग से चलते रहने के लिए कच्चे माल, कल पुर्जों आदि की सप्लाई अपेक्षित मात्रा में बनी रहनी चाहिए। किन्तु आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष इस सम्बन्ध में कमी होने की सम्भावना है।

देश की आर्थिक समृद्धि निर्यात पर भी निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में भी स्थिति संतोषजनक नहीं हैं। देश के निर्यात करने वाले लोगों को प्रोत्साहन के रूप में 23 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सकें। यदि यह सहायता बन्द कर दी जाये तो हमारा निर्यात बहुत ही घट जायेगा। इस प्रोत्साहन का भार देश के उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा जिससे यह स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं हो पायी है कि निर्यातक बिना प्रोत्साहन मिले अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता में ठहर सकें। समस्या का अन्त यही नहीं हो जाता है सरकार ने निर्यात बढ़ाने के नाम पर रुपये का अवमूल्यन किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें पहले के बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये पहले से अधिक माल का निर्यात करना पड़ रहा है। यह भार भी देश के उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ रहा है। सरकार निर्यात संवर्द्धन के नाम पर निर्यातकों तथा विदेशी खरीददारों को संतुष्ट करने में लगी हुई है। हमें अपना माल विदेशों में बेचने के लिये उसके मूल्य कम करने पड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ जूते का जो जोड़ा 10 रुपये में विदेशों को भेजा जाता था आज वह 6.25 रुपये में भेजा जा रहा है। निर्यात किये जाने वाले कपड़े का मूल्य भी 23 प्रतिशत घटाना पड़ा है। यही स्थिति पटसन, कृत्रिम धागे आदि की भी है। इससे निर्यात की जाने वाले हमारे माल में तो वृद्धि हो गई है किन्तु उससे हमें जो मूल्य विदेशी मुद्रा में मिलता है वह पहले की तुलना में कम हो गया है। इस सबके लिये सरकार की निर्यात सम्बन्धी नीति उत्तरदायी है। आज निर्यातक अपना माल निर्यात करने के स्थान पर देश में बेचना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि उन्हें देश में माल बेचने पर अधिक लाभप्रद मूल्य मिलते हैं। आज हमारे निर्यातकों को अपना माल निर्यात करने के लिये बाध्य किया जाता है। हमारा निर्यात व्यापार एक प्रकार से बन्धक सा पड़ा है। इसका कारण यह है कि हमारी नीति विदेशी ऋणों पर निर्भर है। आज देश विदेशी ऋण दाताओं के प्रभुत्व के नीचे दब सा गया है। ये देश अपने स्वार्थ के लिये प्रत्येक मामले में भारत पर दबाव डालते रहते हैं।

अन्त में मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बधों के बारे में कुछ कहूंगा। आज वास्तविक स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय एकता, देश की अर्थव्यवस्था आदि के नाम पर गैर-कांग्रेसी सरकारों से सहयोग मांगती है। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक केन्द्रीय

सरकार अपनी जनता विरोधी नीति पर चलती रहेगी और इस नीति में परिवर्तन नहीं करेगी तब तक गैर-कांग्रेसी सरकारों से सहयोग की अपेक्षा रखना निरर्थक है ।

आज केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध 1935 के अधियम के अनुसार चल रहे हैं जिसका उस समय प्रान्तों की कांग्रेस सरकारों ने तीव्र विरोध किया था । इसका मुख्य कारण यह था कि प्रान्तीय सरकारों को अधिकार सीमित दिये गये थे और उन पर उत्तरदायित्व भारी डाला गया था जो कि बिना अधिकारों और शक्तियों के निभाना उनके लिये असंभव था । वही स्थिति आज भी है । राज्यों के पास शक्तियां तो सीमित हैं और उन पर उत्तरदायित्व भारी हैं । केन्द्रीय सरकार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले रखी हैं । इसका परिणाम यह होता है कि जब राज्यों में स्थिति बिगड़ती है तो राज्य सरकार को जनता के रोष का सामना करना पड़ता है किन्तु वह उनकी शिकायतों और कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाती हैं क्योंकि ऐसा कोई कदम उठाने के लिये उनके पास शक्तियां नहीं होती हैं । केन्द्रीय सरकार को जनता का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसका उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य के उन मामलों भी में हस्तक्षेप करके करती है जो कि उसके क्षेत्राधिकार से बिल्कुल बाहर हैं । उदाहरणार्थ भूमि सुधार राज्य का विषय है । अभी केरल सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी एक विधेयक अनुमति के लिये केन्द्र के पास भेज दिया था किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस विधेयक को बिना अनुमति दिये यह कर वापिस कर दिया था कि इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का प्रभाव बागान उद्योग पर पड़ेगा । जब केन्द्र राज्यों के प्रति दृष्टिकोण ही ऐसा है तो केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध अच्छे रहने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है । यह विवाद मूलभूत नीतियों का है ।

न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना राज्यों के क्षेत्राधिकार में है । केरल सरकार ने बागान मजदूरों की मजूरी निर्धारित की थी जो कि मजूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित मजूरी से अधिक है । केन्द्रीय सरकार इतनी अधिक मजूरी नहीं देना चाहती है इसलिये राज्य सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वह उसे कम करे । संविधान के अनुसार कृषि राज्य का विषय है केन्द्रीय सरकार कृषि आय कर नहीं लगा सकती है किन्तु वर्तमान बजट प्रस्तावों में ऐसा किया जा रहा है । इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार यह अपेक्षा रखती है कि उसे राज्य सरकारों से पूरा सहयोग मिले ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लिये 251 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है किन्तु इसी अवधि में उस राज्य ने 231 करोड़ रुपये के ऋणों की अदायगी करनी है । पश्चिम बंगाल के लिये बच ही क्या गया है । सरकार इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कतई तैयार नहीं है । जब उत्तर बंगाल में बाढ़ आयी थी तो प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सहायता कार्यों तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये धन की कमी नहीं रहेगी किन्तु आज सरकार धन देने के लिये नियम दिखाती है । कहा जाता है कि यह धन अननुत्पादक कार्य पर व्यय किया जायेगा । इसलिये धन देने में आनाकानी की जा रही है । सरकार राज्यों से सहयोग तो चाहती है किन्तु अपनी इच्छानुसार राज्यों को दबा कर । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति अधिक नहीं चल सकती है । उत्तरोत्तर

प्रगतिशील दलों का उदय हो रहा है । कुछ राज्यों में तो गैर-कांग्रेसी सरकारें बन ही चुकी हैं । यदि सरकार अब भी सचेत नहीं हुई तो जनता एक होकर इस सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध आवाज उठायेगी और उसे केन्द्र से भी अपदस्थ कर देगी ।

श्री काशी नाथ पांडे (पुर्निया) : माननीय सदस्य श्री उमानाथ जी ने कहा है कि सरकार की आर्थिक और योजना सम्बन्धी नीति गलत है इसीलिये सरकार देश की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती है । आज देश के दो राज्यों में साम्यवादी सरकारें हैं । हम चाहते हैं कि वे कुछ ऐसा सराहनीय कार्य करें जो देश के लिये एक उदाहरण हो । किन्तु हम देखते क्या है कि साम्यवादी सरकार की नीति के कारण इंजीनियरी उद्योग के 1,30,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं । माननीय साम्यवादी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिड़ला बन्धुओं को उद्योगों के लिये सस्ती दर पर बिजली दी है किन्तु इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि केरल की साम्यवादी सरकार ने बिड़ला बन्धुओं को केरल राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये आमन्त्रित किया है और उन्हें सस्ती दर पर बिजली देने का प्रस्ताव किया है । साम्यवादी सरकारें भी अच्छी तरह जानती हैं कि वे उद्योगपतियों की सहायता के बिना अपने राज्यों में अपेक्षित संख्या में उद्योग स्थापित नहीं कर सकती हैं किन्तु दूसरी ओर कांग्रेसी सरकारों की आलोचना करना उनका नियम सा बन गया है । केरल सरकार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढाना चाहती है किन्तु उसके लिये धन मांगती है केन्द्र से । यदि राज्य सरकार मजूरी ही बढ़ाना चाहती है तो अपने संसाधनों से धन की व्यवस्था करे ।

आज मैं बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा । पिछले दो वर्षों में देश में अनाज की अत्यन्त कमी रही है और हमें विदेशों से बड़ी मात्रा में अनाज का आयात कर करके अपनी अनाज की आवश्यकता पूरी करनी पड़ी है । किन्तु खाद्यान्न के मामले में अधिक समय तक अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है । सरकार भी यह चाहती है कि खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो जाये । किन्तु आज स्थिति यह है कि देश में 19 करोड़ एकड़ खेती योग्य है जिसमें से केवल 9 करोड़ एकड़ भूमि में सिचाई की व्यवस्था है । जब तक भूमि की सिचाई की व्यवस्था ही नहीं तब तक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कोई विशेष लाभ नहीं होता है । छोटे छोटे किसान पम्पिग सेटो और नल कूपों से अपनी भूमि को सींच सकते हैं किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि पंपिग सेटों पर उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है । इस प्रकार सरकार किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के बजाय निरुत्साहित कर रही है । यही स्थिति उर्वरकों के सम्बन्ध में भी है । उर्वरकों पर कर बढ़ाये जाने से उर्वरक महंगे हो जायेंगे और किसान उन्हें खरीद नहीं सकेंगे । यदि खेती को पानी और उर्वरक ही नहीं मिलेंगे तो खाद्यान्नों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा । सरकार को इस सारे मामले पर विचार करके आवश्यक कदम उठाना चाहिए ।

चीनी के बारे में सरकार की नीति ठीक नहीं है । बाजार में चीनी के दो मूल्य नहीं होने चाहिये । चीनी के आंशिक विनियंत्रण के कारण गावों के लोगों को चीनी के अधिक मूल्य देने पड़ते है । सरकार द्वारा चीनी पर उत्पादन शुल्क बढ़ाये जाने से चीनी का मूल्य और बढ़ जायेगा क्योंकि चीनी उत्पादक इस उत्पादन शुल्क का पूरा भार उपभोक्ताओं पर डाल देंगे ।

क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो यह देखे कि यह अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का भार चीनी उत्पादक वहन करें न कि उपभोक्ता। सरकार इस सारे प्रश्न पर विचार करे।

चीनी उत्पादक चाहते हैं कि चीनी के मूल्य न बढ़ने देने के लिये गन्ने के मूल्य कम किये जायें। सरकार की नीति यह रही है कि गन्ने की पैदावार अच्छी होने पर गन्ने के मूल्य कम किये जाये और पैदावार कम होने पर मूल्य बढ़ाये जाये किन्तु चीनी के मूल्यों के बारे में यह लागू नहीं होता है। गत वर्ष चीनी का भाव 350 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विंटल था और गन्ने का मूल्य 12 रुपये से लेकर 17 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इस समय गन्ने का मूल्य 9 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 9.50 रुपये प्रति क्विंटल है किन्तु चीनी के मूल्य कम नहीं हुए हैं। एक बात और आपत्तिजनक यह है कि विभिन्न राज्यों में किसानों को गन्ने के विभिन्न मूल्य दिये जाते है। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि यदि गन्ने के मूल्यों में अन्तर है तो चीनी के मूल्यों में उसी अनुपात से अन्तर रहना चाहिए। सरकार को चीनी उत्पादन पर लगाये जा रहे इस अतिरिक्त उत्पादन शुल्क समाप्त कर देना चाहिए अन्यथा चीनी के मूल्य और बढ़ जायेंगे।

उत्तर प्रदेश में किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने के मूल्य बढ़ाये जायें किन्तु चीनी मिल इसका विरोध कर रहे हैं। खाद्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि प्रत्येक गन्ना उत्पादक को कम से कम 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य दिया जायेगा। किन्तु किसानों को आंध्र प्रदेश में 7.37 पैसे प्रति क्विंटल तथा मद्रास में 4 रुपये प्रति क्विंटल की दरों पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। गन्ने के मूल्यों में यह असमानता समाप्त की जानी चाहिए।

पटसन मिलों को राहत देना सराहनीय है। इससे ये मिलें चलती रहेंगी और हजारों कर्मचारियों की नौकरी बनी रहेगी। अन्त में वित्त मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध कि वह ऐसी स्थिति पैदा न होने दें जिससे कोई उद्योग बन्द करना पड़े।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : वित्त मन्त्री चौथी योजना रूपी नाटक में यंत्र पर सूत्रधार के रूप में अवतरित हुए है परन्तु उन्होंने चौथी योजना अभी तक प्रकाशित नहीं कराई है, हालांकि वह 1 अप्रैल 1969 से शुरु होने जा रही है। उसके प्रकाशन के लिए यह उचित समय है। वित्त मन्त्री महोदय खाद्यान्न के बढ़ हुए उत्पादन पर बड़े प्रसन्न है परन्तु संसाधन-स्थिति बहुत ही नाजुक है।

सभा में सभी ओर से कर प्रस्तावों की निन्दा की गई है। अतः हमें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये करेतर राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयत्न करने चाहिये। कर के अतिरिक्त अन्य साधनों प आय में वृद्धि करने के लिए सरकारी परियोजनाओं के कार्यचालन में सुधार करना होगा। सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित ज्ञापनों से यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार के लगभग 80 औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यम हैं जिनमें लगभग 3500 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित है। उसमें यह भी बताया गया है कि 1967-68 में उनमें से 31 परियोजनाओं में 48 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और शेष 24 उद्यमों में 83 करोड़ रुपये की हानि हुई। कुल मिलाकर सरकारी उद्यमों में 35 करोड़ रुपये का घाटा रहा है। अकेले हिन्दुस्तान स्टील को ही 38 करोड़ की हानि हुई। इस स्थिति को कैसे सुधारा जाये ? सरकारी उपक्रम समिति

के माध्यम से संसद भी उनकी प्रबन्ध व्यवस्था से सम्बद्ध है और एक सरकारी उद्यम ब्यूरो भी अस्तित्व है। सरकारी उपक्रमों की कार्य प्रणाली के सुधार के लिए समय समय पर सुझाव दिये जाते हैं परन्तु मेरे लिए यह कहना कठिन है कि उनमें सुधार के लिए जो सुझाव और सिफारिशें दी जाती हैं वे किस हद तक क्रियान्वित होती है। सरकार को इस मामले में गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये ताकि सरकारी उपक्रम अर्थ व्यवस्था को सुधारने में सहयोगी सिद्ध हों।

कृषि के क्षेत्र में 1971 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य हैं। परन्तु अभी तक अनाज का पी०एल० 480 के अधीन आयात किया जा रहा है। यदि 1971 तक आत्म निर्भरता प्राप्त करनी है तो अभी से ही अनाज के आयात को बन्द कर देना चाहिए। उर्वरकों पर लगे कर से किसानों को निराशा हुई है और इससे वे हतोत्साहित होंगे। देश में पहले से उर्वरक का उत्पादन कम है मांग अधिक है, इसीलिये उसके भाव ऊंचे है। प्रस्तावित कर से उसके मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि हो जायेगी। इससे कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कृषि सम्पत्ति कर का तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु उससे आय कम होगी। राज्य सरकारें भी उस आय में से अपना भाग मांगेगी। साथ ही किसान पर कर लगाते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि किसानों का जीवन स्तर बहुत ही नीचा है और एक फसल के बिगड़ जाने से ही उनकी पहली आय भी समाप्त हो जाती है। अतः कृषिजन्य वस्तुओं का उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिये। उन्हें आढ़ती लोगों के चगुल से बचाया जाये। दानेदार चीनी पर भी उप कर लगाया गया है। देश में विशेषकर गांव के लोगों के लिए चीनी दुर्लभ होती जा रही है। देश में लोगों को 5 रुपये प्रति किलो के भाव पर चीनी खरीदनी पड़ती है जबकि विदेशों को चीनी 50 पैसे प्रति किलो के भाव पर निर्यात की जाती है।

उड़ीसा का विकास देश के अन्य भागों के विकास के साथ साथ होता रहना चाहिये। तलचर औद्योगिक सार्थसमूह को सरकार द्वारा शीघ्र ही स्वीकृत दी जानी चाहिए उड़ीसा के पारादीप पत्तन की भी सरकार की उपेक्षा न करके उसके तल से मिट्टी निकालने आदि पर ध्यान देना चाहिये। सम्बलपुर में एक सरकारी बीज फार्म बनाया गया है। वह उस भूमि पर बनाया गया है जो हीराकुंड परियोजना के लिए अर्जित की गई थी। जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई थी सरकार को उन्हें किसी वैकल्पिक रोजगार पर लगाना चाहिये या उन्हें अन्यत्र बसाया जाना चाहिये।

श्री एस० कण्डप्पन (मैदूर) : कांग्रेसी सदस्य कहते हैं कि वित्त मन्त्री मन्त्री महोदय ईमानदार है और उन पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। इसे स्वीकारते हुए भी मैं उन्हें एक मनुष्य मानता हूं। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के बनाते समय उनकी रुचियां और अरुचियां प्रधान रही हैं। सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि वह राज्यों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाते हैं इसका कारण केन्द्रीय सरकार यह बताती है कि राज्य सरकारें अपने संसाधनों को नहीं बढ़ा रही है। परन्तु राज्य सरकारों के पास आय के संसाधन हैं कितने ? राज्य सरकारों के पास बिक्री कर, भू-राजस्व जैसे संसाधन है जिनमें और अधिक वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। केन्द्रीय सरकार के पास उत्पादन और आयकर जैसे स्रोत हैं जिनसे अधिक आय होती है। उदाहरण के लिये 1948-49 में उत्पादन

शुल्क से आय 50 करोड़ थी जो अब बढ़कर 1250 करोड़ हो गई है। आय कर से होने वाली आय के बारे में भी यह सही है। साथ ही केन्द्रीय सरकार यह कहती कि वह राज्यों को उनका उचित अंश देती है। केन्द्रीय सरकार की कुल आय 3519 करोड़ रुपये है जिसमें से 3000 करोड़ रुपये केन्द्र के पास रहते हैं और केवल 519 करोड़ रुपये राज्यों को दिये जाते हैं। इस राशि में से प्रत्येक राज्य को मिलने वाली राशि कितनी कम है यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के कल्याण कार्यों जैसे कृषि विकास, शिक्षा, सड़क निर्माण और छोटी सिंचाई योजनाओं पर राज्य सरकारों को खर्च करना पड़ता है। आज स्थिति यह है।

यह बजट बदले की भावना पर आधारित है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से बार-बार कहा है कि वे अपने आय के संसाधन बढ़ाये परन्तु प्रत्येक मुख्य ने, चाहे वह कांग्रेसी रहा हो या गैर कांग्रेसी, किसानों पर अधिक भार डालकर अपनी आय बढ़ाने में विवशता प्रकट की। इसीलिए केन्द्रीय सरकार ने ऐसा बजट बनाया और उसने किसानों पर सम्पत्ति कर लगाया। वित्त मन्त्री का यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार इस कर को वसूल करके राज्यों को ही लौटा देगी। यदि बात ऐसी है तो केन्द्रीय सरकार, उसे एकत्र ही क्यों करना चाहती है। यह कर लगाकर केन्द्र ने संविधान का उल्लंघन किया है। इससे 1970-71 में 5 करोड़ रुपये की आय होगी, जिससे प्रत्येक राज्य को 25 से 30 लाख रुपये तक प्राप्त होंगे। यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। इसके विपरीत इससे देश में कृषि क्षेत्र में होने वाली उन्नति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र पर कर लगाने के लिए अभी उचित समय नहीं था। कृषि पर कर उस समय लगाया जाना चाहिए जबकि कृषिजन्य वस्तुओं के भावों में उतार-चढ़ाव की स्थिति समाप्त न हो जाये और किसान को प्रतिवर्ष न्यूनतम आय अवश्य हो। इस कर के औचित्य में सरकार ने यह तर्क दिया कि सरकार इसके माध्यम से उस काले धन को बाहर निकालना चाहती हैं जो इस समय ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में लगाया जा रहा है। परन्तु मुझे यह तर्क ठीक नहीं लगता। यदि वास्तव में सरकार काले धन पर रोक लगाना चाहती थी तो वह इसके लिए और अनेक उपाय अपना सकती थी। यदि कुछ बड़े बड़े उद्योगपति अपनी पूंजी कृषि में लगाते भी है तो इससे कोई ऐसी बड़ी हानि नहीं होगी, जिससे देश गर्त में जा गिरेगा। इसके विपरीत इससे कृषि विकास में सहायता मिलेगी। कृषि उन्नत होगी और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा जिसके परिणामस्वरूप अनाज का आयात बन्द हो जायेगा जो कृषिप्रधान भारत देश के मस्तक पर एक कलंक का टीका है। मेरे विचार से कृषि को कुछ समय तक विकसित होने दिया जाये। एक समय वह होगा जबकि कृषक स्वयं ही अपनी आय के फालतू अंश को स्वेच्छा से सरकार को देने के लिये तैयार हो जायेंगे। यदि सरकार ने इस कर प्रस्ताव को वापस न लिया तो सारे देश में इसके विरुद्ध आन्दोलन भड़क उठने की पूरी आशंका है। उर्वरकों पर उपकर के लगने से उसकी बिक्री कम हो जायेगी और सरकार को वांछित लाभ न हो सकेगा। पम्पिग सेटों पर लगाये गये कर से भी कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। मेरा माननीय मन्त्री से यह अनुरोध कि वह इन बातों पर ध्यान दें।

राज्यों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि केन्द्रीय सरकार ने प्रगतिवादी तत्वों और कांग्रेसी दल के मुख्य मन्त्रियों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया

है कि राज्यों को अधिक शक्तियां और अधिकार दिये जायें। केन्द्रीय सरकार ने आय के सारे साधन अपने हाथ में लिये हुए हैं और फिर भी वह राज्यों से यह कहती है कि वे अपने संसाधनों का विदोहन नहीं कर रही हैं और इसलिये वह उनकी सहायता करने में असमर्थ है।

लोगों का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों से होता है और उन्हे जो असुविधा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये करों से होती है उसके लिए वे राज्य सरकारों को जिम्मेदार समझते हैं। देश के 70 प्रतिशत अनपढ़ लोग हमारे राजनीतिक ढांचे की इस जटिलता को नहीं समझते। यही कारण है कि गत चुनावों में राज्यों में कांग्रेस सरकार हार गई और केन्द्र में कांग्रेस सरकार पुनः प्रतिष्ठित हो गई।

मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं कि देश की एकता के लिये हमारे देश में एकात्मक सरकार की आवश्यकता है। देश में एकात्मकता प्रधान संघीय व्यवस्था के कारण ही क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के संकेत यत्र-तत्र आन्दोलन के रूप में मिल रहे हैं। इस स्थिति पर भी इसे चेतावनी मानकर विचार किया जाये। गत 20 वर्षों में केन्द्र की ओर से सदैव यह प्रयास किया गया कि देश की संघात्मक सरकार एकात्मक बन जाये। 1947 में लोगों में भावनात्मक एकता थी, देश भक्ति थी परन्तु अब 20 वर्ष स्थिति बिल्कुल उलट गई है ? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम ठीक मार्ग पर अग्रसर नहीं है रहो है। केन्द्र और राज्यों के संवैधानिक सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन होना चाहिये।

देश की समृद्धि के लिए राज्यों को पर्याप्त अधिकार देने चाहिये तथा उन्हें अपना उत्तरदायित्व समझने का समान अवसर देना चाहिये जिससे कि वे अपने कार्यों का स्वयं सूत्रपात करें। प्रत्येक राज्य कहता है कि उसका शोषण किया जा रहा है तथा उनमें केन्द्र से सहायता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्द्धा लगी रहती है। यह प्रवृत्ति देश के लिए अहित कर है।

दूसरे कपड़ा उद्योग पर कर की रियायत होनी चाहिए। वित्त मन्त्री जी ने भी इस समस्या को समझा है। फिर भी यदि उस विषय में कुछ न किया गया तो हम उद्योग में आने वाले संकट को टाला नहीं जा सकता क्योंकि आज केवल मेरे राज्य में 32 कताई मिलें बन्द हो चुकी हैं। सरकार ने जो रियायत देने की घोषणा की हैं उससे विद्युत करघा आदि उद्योग को तो लाभ होता है किन्तु कताई मिलों को उससे कोई लाभ नहीं होता।

आजकल मासिक उत्पादन 90,000 गांठे हैं जिनमें से 30,000 गांठों का उपयोग स्वयं राज्य में हो जाता है। शेष उत्पादन की राज्य से बाहर खपत होती है। दुर्भाग्य से पिछले वर्षों में लाइसेंसों में वृद्धि कर दी गई तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखे बिना उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि कर दी गई। परिणामस्वरूप बाजार में दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गई तथा कपड़ा उद्योग पर हानि का प्रभाव पड़ा और मिलें बन्द हो गई। इसी के कारण लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। साथ ही साथ कताई मिलों में लगी पूंजी अवरुद्ध हो गई और धन का अपव्यय हो गया। सरकार कपड़ा उद्योग में सम्भावित कठिनाइयों को समझने में असफल रही। कृत्रिम धागे का उत्पादन दुगना हो गया किन्तु कपड़ा मिलें उसका उचित उपयोग नहीं

कर पाई। सरकार ने 15.30 करोड़ रुपये की रियायत की घोषणा की है 1959 में सूत पर उत्पादन शुल्क प्रारम्भ किया गया था और तब 13 लाख रुपये के राजस्व की प्रति होती थी किन्तु अब केवल सूत पर लगे उत्पादन शुल्क से लगभग 40 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के सूत और कपड़े पर 15.30 करोड़ रुपये की रियायत दी गई है। जिस सूत का प्रयोग हाथ करघों में होता है उस पर भी कर छूट नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम वह कपड़ा उद्योग पर अवश्य कुछ छूट दे।

यह मामला बड़ा संगीन है। मैं देखता हूं कि हम उद्योग के लिए ऋण की सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। बैंकों के अतिरिक्त सरकारी वित्त पोषक संस्थाएं भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने को तैयार नहीं है। श्री मधु लिमये ने जीवन बीमा निगम के निवेशों के सम्बन्ध में बड़ा उपयुक्त प्रश्न उठाया था किन्तु मैं इस समय केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब जीवन बीमा निगम टाटा समवाय में धन लगा सकता है तो उसे मध्यम स्तर तथा लघु उद्योगों की न्याय संगत मांग को भी पूरा करना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वित्त पोषक संस्थाओं के निवेश पद्धति को भी प्रकट किया जाना चाहिए। कताई मिलों को लम्बी अवधि के ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनके लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से माल भी खरीदना चाहिये।

श्री आर० एस० अरुमुगम (टेंकासी) : मेरा विचार है कि उर्वरकों और नल कूपों पर लगाए करों के कारण देश के कृषि-उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मैंने उप-प्रधान मन्त्री से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

सेलम में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में तमिल नाडु के लोग बहुत दिनों से इच्छुक हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना को चौथी योजना अवधि में सम्मिलित करले।

तमिल नाडु के लोगों के हृदय में एक शंका है कि सम्भवतः केन्द्र सरकार राज्यों को धन देते समय कुछ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाती है। मेरा अनुरोध है कि माननीय उप-प्रधान मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

दुर्भाग्य से 1967 में कृषि उत्पादन केवल 740 करोड़ मीट्रिक टन हुआ जिससे चौथे आम चुनावों में राजनीतिक दलों ने लाभ उठाया तथा जनता को कई आश्वासन देकर अपनी ओर खींचा। यद्यपि पिछले दो वर्षों में उत्पादन बढ़ा किन्तु डी० एम० के० ने जनता को दिए आश्वासनों को पूरा नहीं किया।

{ **श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए** }
{ **Shri Gadilingana Gowd** *in the Chair* }

पहले ग्रामीण जनता को कार्डों से राशन मिलता था किन्तु वर्तमान राज्य सरकार ने **राशन कार्डों** को हटाकर जनता के लिए कठिनाई पैदा कर दी।

राज्य के कुछ जिले सूखाग्रस्त हो गए हैं किन्तु मुझे आशा नहीं है कि राज्य सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ होगी। साथ ही तमिल नाडु सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कोई रूचि नहीं ले रही है।

कृषि सामग्री की तुलना में कृषि उत्पादन के मूल्य बहुत कम हैं। भूस्वामियों और किसानों के बीच मित्रता पूर्ण सम्बन्ध नहीं है तथा वसूली के समय भूस्वामी ग्रामीणों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में वसूली मूल्य बहुत कम हैं। अतः इन दोषों को दूर करने पर ही खाद्यान्न उत्पादन में सुधार हो सकता है।

बम्बई शहर में तमिल लोगों को शिव सेना कष्ट पहुंचा रही है। राज्य सरकार के अतिरिक्त इस विषय में केन्द्र को भी अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि तमिल नाडु में शांति और व्यवस्था को कायम नहीं रखा जा रहा है। पुलिस सत्ता सम्पन्न दल के हाथों की कठपुतली बनी हुई है तथा उसका कार्य अन्य दलों को निर्दयता से कुचलना है मद्रास शहर में 1 अगस्त, 1968 को कांग्रेस युवक प्रदर्शनकारियों पर जोकि शांति पूर्वक जा रहे थे लाठी चलाई गई और उसमें बहुत लोग घायल हुए। 600 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। श्री देवदास भी उनमें थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। स्वतत्रता संग्राम के सेनानियों को ऐसी दुर्दशा देखकर मेरा रक्त उबलने लगा। पुलिस ने 4 मार्च को भी लाठी चलाई तथा उसमें भी 40 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया।

तनजौर जिले में किलवेवमानी काण्ड की सूचना पाकर प्रत्येक व्यक्ति को दुख: हुआ था। 42 से अधिक हरिजन कृषि श्रमिकों को जलाकर राख कर दिया गया था। हरिजन किसानों और भूस्वामियों की पारस्परिक शत्रुता से सरकार भली प्रकार अवगत थी। यदि पुलिस उचित अवसर पर वहां होती तो इस काण्ड को होने से बचाया जा सकता था क्योंकि पुलिस स्टेशन भी काण्ड स्थल के निकट ही है।

अब तमिल नाडु के कर्णधार नास्तिकता में विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले सरकारी कार्यालयों आदि में देवी देवताओं की तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया गया था और अब वह सड़क के आस-पास के मन्दिरों को हटाने में व्यस्त हैं।

श्री वारियर पर डी० एम० के० के लोगों ने व्यर्थ के अभियोग लगाए तथा उनके घर में घुस कर उनकी कई पूजक-वस्तुओं को तोड़ डाला।

समापति महोदय : सूची में 30 माननीय सदस्यों के नाम हैं। आपको 10 मिनट दिए थे और आपने 15 मिनट ले लिए। मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। श्रीमती निर्लेप कौर।

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं। श्री शांति स्वरूप धावन नामक व्यक्ति जो कि उच्चन्यायालय के भूतपूर्व मुख्य

न्यायाधीश हैं उन पर नेहरु परिवार की बड़ी अनुकम्पा रही है तथा सिख होते हुए भी वह अब सिखों से घृणा करते हैं। उन्हें इंगलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था किन्तु उन्होंने ब्रिटेन के सिख नागरिकों का नैतिक पत्तन करने का प्रयास किया। उन्होंने लीसैस्टर में बने नए गुरुद्वारे का उद्घाटन करते हुए इकट्ठे हुए सिखों के मध्य उनसे वहां के निवासियों के अनुरूप अपने को बदलने को कहा।

माननीय सदस्यों को ज्ञात ही होगा कि सिखों ने इंगलैंड में अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाए रखने के लिए तथा उस देश में रोजगार पाने के लिए कितना संघर्ष किया था।

4 फरवरी तथा 12 मई को वहां के सिखों ने विरोध प्रदर्शन किया था और उच्चायुक्त वोलवरहेमप्टन ने महापौर से प्रदर्शन के लिए निश्चित दिनों से पहले ही मिल लिए थे। मैं जानना चाहती हूं कि उच्चायुक्त तथा महापौर के मध्य क्या बातचीत हुई। मैं वैदेशिक कार्य मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि सिखों के धर्म चिन्हों को मिटा दिया जाय और यदि उसकी यह नीति नहीं है तो मैं चाहती हूं कि सरकार इन उच्चायुक्त को वापस भारत बुलाए तथा उनको दण्ड दे जिससे कि किसी सार्वजनिक सेवक को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का साहस न हो सके। विदेशों में इसी तरह की भारतीयों के हितों की रक्षा हो सकती है। कम से कम हमारा राजदूत भारत के ठीक स्वरूप को इंगलैंड में व्यक्त नहीं कर रहा।

Snrimati Lakshmi Kanthamma (Khamam) : It can not be denied that for the last three years the common people are in great despair in the matter of their social and economic development. They feel very sorry at the slow pace of developmental programmes. Steep inflation and rise in prices are largely responsible for the present State of affairs. To end these evils, the Deputy Prime Minister adopted strong measures to check deficit financing and that step was necessary in the wake of recession and after effects of devaluation. Of course, it was the duty of the people to bear the burden of deficit financing but everything has a certain limit and when that limit is crossed it increases discontent.

I think, we should now resort to deficit financing to a limited extent only with a view to enhancing the speed of our economic and social developmental programmes

So far as the budget taxation proposals are concerned it would have been better if articles like kerosene oil etc. were not put under additional taxation.

A new taxation proposal introduced for the first time by the Finance Minister relates to Agricultural property. Certain States introduced taxation on agricultural incomes but had to withdraw it due to the difficulty in regard to its enforcement. It is not unfair to tax the agricultural incomes but we have to see how the Government acts to implement it and what amount they are able to realise. A very important consideration in levying this particular tax was as to how many peasants were going to affected thereby for whom it was toward to create hardship.

Today the people do not attach any importance to democracy and resort to force even in small matters. Democracy can not be established in a total absence of discipline and in such circumstances "mobocracy" takes its place. I think, if democracy is to flourish in this country people should have regards for discipline.

It seems to me that the unity of India is facing challenges at every step, sometimes these challenges are from socialism, provincialism and sub-provincialism, disparity in economic prosperity and also from the disputes over boundaries. We have not been successful in finding out causes for the existence of danger to our national unity, as our efforts in this direction did not touch the Indian life as a whole. To-day we have forgotten that India's basic unity lies in it's spiritual and cultural inheritance.

Our constitution provides for equality of rights. It is a good thing but in the context of social structure based on diversity, the result of mere equality of rights cannot be satisfactory.

Apart from the equality of rights, our Constitution provided for some special safeguards as to certain classes of our people and to some States. Even these safeguards did not help in the building of National unity but, on the other hand, they further diversified our national unity.

The recent happenings in Andhra Pradesh and Maharashtra have proved that the provision of the Constitution are not enough to maintain our National unity.

The hatred in Maharashtra spread due to the absense of provincial safeguards while the cause of hatred in Andhra Pradesh was the existance of these safeguards. Where-ever there are provisions for safeguards, there exists a tendency to take them permanent. This leads to conflicts which endanger's the unity of the state as well as that of the country to a great extent.

It is apparent from the above that alongside the Constitutional and legal provisions and endeavour at people's level should be made, aiming at the establishment of national unity.

If a convention is developed everywhere to provide local opportunities to the local people without any Constitutional safeguard it would provide a good solution to this problem.

I hope that not only the Government but other employers as well will understand the importance of this convention that will help in the establishment of economic and social justice alongside our economic advancement.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The manner in which our budget is presented does not give a true picture of the country's eco omic position. No doubt it is indicative of legislative, central and financial accountability but it does not indicate anything as to what has been achieved from our spendings. In my opinion, the budget should give a picture of the material achievements a lucidating as to what has been accomplished and also what has been left behind. We should introduce a system of performance budgeting in our country.

We may recolect the following similar recommendation of Administrative Reforms Commission.

"The Budget should be an effective instrument in the development of the Plan."

I know that the system of 'performance budgeting' cannot be introduced so soon, but our Deputy Prime Minister should draw a phased programme for its gradual implementation.

The Finance Minister had said that he was going to perform the job of 'Plastic surgery.' But he has now cut the hands of the middle-class people. This is apparent from

his propósals for direct taxes for the middle income groups individuals between the income group of Rs. 10,000 to Rs. 20,000 and also by proposing tax on income of registered firms above the limit of Rs. 10,000/-. These proposals will hit the middle income groups to the extent of Rs. 27 crores by way of direct taxes alone. Further, commodities like cigrattes, petrol, bulbs, Electric appliances, telephones, telegrams, sugar and clothes which are used by the middle class people could not escape from the taxation proposals. Of the 27.12 lakh tax payers, 6.10 lakhs have been affected by the proposed enhanced taxes.

So I request the hon. Finance Minister to give some relief to the middle class people.

Excise duty has been levied on fertilisers and agricultural wealth tax has also been introduced. Subsidy was being given on the price of fertilisers which was stopped last year. During his last year's budget speech, the Finance Minister had made it plain that priority would be given to agriculture. But this year's budget proposals are an undeclared war on agriculture. I dont think he will be able to stick to his commitment. He will have to retract as was the case with the Gold Control Act. I want to tell him that he should not make it a prestige issue and see the writing on the wall before it is too late.

What has been done for the villagers during the three Five Year Plans ? They say that agricultural production has gone up. But the average consumption of fertilisers in our country is 12 lbs. per acre whereas in Japan it is 200 lbs. per acre. The prices of fertilisers are the highest in our country whereas the yeild per acre is very low. Our programme should be to increase agricultural production by provision of agricultural imputs such as seed, manure and irrigation. But with the imposition of these taxes the paogramme now in operation will receive a serious set back.

In our country 70 percent of the population depend on agriculture but agricultural income constitutes only 47 percent of our total national income. This percentage has been going down inspite of so many plans. The per capita rate of growth in the villages is much less than in the urban areas. The villagers have not been provided with housing, drinking water and transport facilities on the same scale as the city-dwellers. In such a situation there is no justification for imposing these taxes on them.

The spending capacity of 4 crores of our rural population is less than Rs 11 per mensem whereas the population of such persons residing in cities is only 30 lakhs Some people may argue that when industries have been taxed why not agriculture. But they should keep this thing in mind that whereas zamindari has been abolished in the villages, there is no ceiling on urban property. In that case the rural people can also say that there should be ceiling on urban property.

Cultivators having land holdings of 5 acres or less should be exempted from land revenue or agricultural tax. Such persons come to about 63 per cent. 17 per cent people have holdings varying from 5 to 15 acres. No new taxes should be imposed on these persons. They should be left untouched and allowed to continue to pay at the existing rates. 11 per cent people are such as have holdings of more than 15 acres. Such persons reap most of the benefits. They pay very little tax. In their case Government should think over it and do something in consultation with the State Governments.

The relief provided to the sick textile industry is not adequate. The Finance Minister has given them by one hand and taken back by the other. They have been provided with Rs. 15 crores as relief but about Rs. 9½ crores are to be realised from them as a result of

the new tax proposals. This amount is not enough to revive this industry More provision should be made for this industry to stage a come back.

Relief has also been provided for the tea and Jute industry as well. Again, the attempt is a half-hearted one. We are facing touch competition from Ceylon and Pakistan. Indian tea constituted about 60 percent of the total consumption of tea in U. K. But now we have lost this market. Our exports to hard currency areas are going down. We have been making efforts to increase our exports with communist countries. Government should follow the example of Japan. They should take up one industry, manufacture quality products and create good export market. This way we can improve our economy. Duty on Tea and Jute should be abolished if Govt. are genuinely interested in increasing their exports and wiping out Pakistan and Ceylon from the world market.

What should be the objectives of our budget ? It should assure a national minimum for everybody. It should aim at self-sufficiency on defence and economic fronts. It should strive to bridge the gulf between the rich and the poor. 22 years have passed and we have spent 32,000 crores of rupees during these years. But have we achieved these objectives ? I can say, no. The economic policies of the Government have brought the people to the buink starvation. This has happened inspite of their tall talking about socialism. They should take to 'Swadeshi' preached by Mahatma Gandhi and help the small people to stand on their legs by developing small industries. We should undertake small projects if we are interested in the betterment of our country.

Government will get Rs. 127 crores from the additional taxes. But to what use is this amount going to be put ? Certainly not on productive works Government is taking out Rs. 127 crores from the pockets of the people, but what is it going to give to the people in lieu thereof ? Nothing has been told about it. It is not a legalised robbery?

We want the country to stand on its own feet so far as defence of our territory and sovereignty is concerned. We should not be stingy and siggardly in defence matters. But whatever misappropriations are there in regard to defence purchases and defence spending should be set right. There is enough scope for cutting down defence expenditure as well as other public expenditure. A parliamentary committee should be appointed to go into the question of public spendings and suggest where these cuts can be effected.

The Finance Minister seems to be addicated to deficit financing. A man who causally takes to wine one day becomes addicated to it. I know the hon. Finance Minister's views on wine, but he himself has fallen a prey to it so far as deficit financing is concerned. This year he has not said anything as to why he had to go in for deficit financing. Instead he has made it a part of budget. In my opinion, it is the worst form of taxation and hits the poor classes very badly.

The price spiral last year was kept under check to an extent by the high rate of growth of agricultural production. But there are sombre prospects of our doing better this year. The result will be rise in prices and the demand for more D. A. and the same vicious circle which was somehow broken last year will again raise its head.

Non-plan expenditure has been rising alarmingly In 1950-51 it was Rs. 347 crores, whereas it has now risen to Rs. 2,937 crores. Is it not a mockery of the plan ? Likewise in 1950-51 the expenditure on civil administration was Rs. 21.29 crores and now and amount of Rs. 174 crores has been provided for it. The administration in our country has become top heavy. To bring down this expenditure the Finance Minister should take some drastic steps. He should straightaway impose a cut of 10 per cent on the spending of each

Ministry or department at the Centre. Before advising others to cut down their spending, the Finance Minister should first reduce the union cabinet to just half of its present size. Then all of us will follow him.

The Government have invested Rs. 3500 crores in the public sector undertakings. But instead of giving any returns they have been incurring losses. The reason is that these public sector undertakings have been converted in to political 'gosadans' by the Government where frustrated and defeated politicians and retired I. C. S. Officers are given sheltor. I know that they have made commitments to these persons but have they not given any commitment to the poor who toil throughout the day to earn their living ? Yes, they have. And that is the commitment of employment. These political 'gosadans' should be closed and good and efficient officers should be asked to man these undertakings They should be given incentives. If they show good results, they should be given promotions. In case things do not improve, they should be punished.

The commissioning of the Bokaro Plant is being inordinately delayed. I was told by the authorities there that this delay is costing us an additional expenditure of Rs. 50 lakhs daily. Shri Poonacha says that its commissioning will be delayed by another six months. This way we shall have to incur Rs. 100 crores more on it. Whethrefrom this money will come ? Whose money is this ? Why can't they cut down the costs ? Government should bring its machinery into motion and tell the officers that it is public money.

I do not know what has happened to the recommendation of the Boothalingam committee on simplifying tax structure.

So far as the problems of the Union territory of Delhi are concerned. we met the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. We told them that if we mobilise more revenue and create additional resources, we should be allowed to spend them. But the Deputy Prime Minister did not agree. He says that it should be spent in consultation with the Finance Ministry and the Planning Commission. The commitment made by the Planning Commission, the Home Ministry and by the Deputy Prime Minister himself, should be fulfilled. The Delhi Administration should be allowed to spend the additional resources mobilised by them.

We believe in democracy and want the Centre to be strong. But at the same time we expect the centre to discharge its responsibility without any fear or favour.

श्री एम० बो० राना (भड़ौंच) : 100 करोड़ रुपये के जो कर लगाए गये हैं उन्हें हम कुछ सीमा तक प्रशासनिक खर्चे में कमी करके पूरा कर सकते थे । बहुत से विभागों में दोहरा कार्य हो रहा है जिसे समाप्त किया जा सकता है । कॉफी बोर्ड इसका एक उदाहरण है ।

कृषक अप्रत्यक्ष रूप से सभी वस्तुओं पर कर देते हैं । इसलिये उर्वरक तथा पम्पों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

नर्मदा परियोजना गुजरात, सौराष्ट्र तथा राजस्थान के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । नर्मदा परियोजना के पूरा होने पर गुजरात में अनाज की कमी नहीं रहेगी । खोसला समिति ने सिफारिश की है कि यह बांध नवागांव पर 500 फुट की ऊंचाई पर बनाया जाना चाहिये । सारे देश के हित को दृष्टि में रखते हुए इस सिफारिश को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिये । यदि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तो उनका यह रवैया उचित नहीं है । सरकार को इस मामले

में दृढ़ता से कदम उठाना चाहिये । हम कीमतों को बढ़ने से नहीं रोक पाए हैं । मेरा सुझाव यह है कि हमारा सांख्यिकी विभाग दैनिक आवश्यकता की चीजों की निर्माण लागत के आंकड़े तैयार करे और निर्माता को 10 प्रतिशत, थोक विक्रेता को तीन प्रतिशत और खुदरा विक्रेता को एक प्रतिशत से अधिक मुनाफा न लेने दिया जाये । सब हिसाब लगाकर कीमत उस वस्तु पर छाप दी जाये । इस तरह से हम कीमतों को नियंत्रण में रख सकेंगे और कोई भी अधिक दामों पर माल नहीं बेच सकेगा ।

हमारे यहां से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नौकरी के लिये बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिये । उन्हें अच्छा वेतन और अच्छी सुविधाएं दी जायें ताकि वे अपना देश छोड़ने पर मजबूर न हों ।

हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है उसमें दो बातों का होना जरूरी है । एक तो बच्चों में देश भक्ति की भावना जागृत की जानी चाहिये और दूसरे उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न की जानी चाहिये । यदि शिक्षा में इन दो बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा तो मुझे विश्वास है कि हमारी भावी पीढ़ी में देश-भक्त और अनुशासित बच्चों की कमी नहीं होगी ।

वनों को अन्धाधुंध तरीके से साफ किया जा रहा है और गोबर को जलाने के काम में लाया जा रहा है जबकि आवश्यकता इस बात की है कि देश की 19 प्रतिशत भूमि में वन होने चाहियें और गोबर को जलाने पर पाबन्दी लगा देनी चाहिये ।

अविकसित बन्दरगाहों का विकास किया जाना चाहिये ।

हमारा अनुभव यह रहा है कि खाद्य क्षेत्रों से अनाज की सर्वत्र कमी महसूस की गई है । इसलिये इन्हें समाप्त कर देना चाहिये ।

यदि हम वास्तव में भारत की अखण्डता चाहते हैं तो सभी भाषायी राज्यों को समाप्त कर देना चाहिये और भारत के पांच क्षेत्र बना देने चाहिये । इससे हिन्दी और अहिन्दी के सारे झगड़े समाप्त हो जायेंगे ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलापुजा) : इस बजट को देखने से हमें पता चलता है कि विकास कार्यों पर होने वाला व्यय घटता जा रहा है और पुलिस राज्य का निर्माण करने पर खर्च प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ।

साथ साथ पूंजीपतियों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और जन साधारण के अधिकारों को पीचा जा रहा है ।

मैं सरकारी खर्चे के बारे में ही बोलूंगी क्योंकि समय बहुत कम है ।

पुलिस पर होने वाले व्यय को लीजिये । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले, जबकि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतन्त्रता आंदोलन पूरे जोरों पर था, अंग्रेजी सरकार पुलिस विभाग पर केवल एक करोड़ रुपये खर्च करती थी । परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के 21 वर्ष बाद यह बढ़कर 77 करोड़ हो गया है ।

जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का सम्बन्ध है गत तीन वर्षों में उस पर होने वाले व्यय में छः गुना वृद्धि की गई परन्तु उसका उपयोग कर्मचारियों को दबाने तथा सरकारी कर्मचारियों को डराने के लिये किया गया है। उसका उपयोग शिव सेना जैसी संगठनों के विरुद्ध कभी नहीं किया गया।

आदिम जाति क्षेत्रों के लिये 24.4 करोड़ रुपये की व्यवस्था दिखाई गई है परन्तु वास्तविकता तो यह है कि यह धन उन पर व्यय न करके अधिकांशतः सीमा सेना पर कम व्यय कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि लोगों का सामाजिक जीवन सुधारने से हमारे सरकार का अभिप्राय आदिम जाति लोगों को दबाने से है।

अब मैं केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आय-व्ययक में केन्द्रीय सरकार द्वारा भारी मात्रा में ऐसी मदों पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है जो राज्यों के विषय के अन्तर्गत आती हैं। यदि यह धनराशि राज्यों को दे दी जाये तो वे उस का अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं।

जहां तक समाज कल्याण बोर्ड का सम्बन्ध है इस बोर्ड के समूचे कार्य को राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया है। इससे पहले सरकार कर्मचारियों के वेतन आदि पर 50 प्रतिशत धन व्यय किया करती थी परन्तु राज्यों के नियंत्रण में आने पर सरकार ने उन्हें सारा खर्च वहन करने के लिये कहा है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य सरकारें तो लोगों के वास्तविक कल्याण पर धन व्यय करना चाहती हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार रास्ते में रोड़ा अटकाती है।

केन्द्रीय विधि मंत्री कहते हैं कि वह राज्यों और केन्द्र के बीच सम्बन्धों को सुधारने वाले हैं। परन्तु वह यह भी कहते हैं कि हम अपने संगठनों के माध्यम से उनको धनराशि भेजे गये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यदि उन्हें सीधे धनराशि दे दी जाये तो वे उसे लोगों के वास्तविक कल्याण पर व्यय कर सकते हैं।

प्रतिरक्षा कार्यों पर 1100 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस पर लोक लेखा समिति ने यह टिप्पणी की है कि उसमें 100 करोड़ रुपये की कमी करने की गुंजाइश है बशर्ते कि कुप्रबन्ध को समाप्त कर दिया जाये।

हम सब को यह पता है कि जो ऋण हमने ले रखा है उसके लिये हमें आगामी वर्षों में 568 करोड़ रुपये देने होंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये मुनाफे के रूप में भी बाहर जायेंगे। इसका मतलब यह होगा कि लोग और गरीब बन जायेंगे।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि आप राज्यों और केन्द्र के बीच सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं तो आप को इन सब नीतियों पर फिर से विचार करना होगा। और एक नई नीति बनानी होगी। हम गत 22 वर्षों से एक ही नीति पर चल रहे हैं। यही कारण है कि हमें राज्यों में इतनी गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं यह समझता हूं कि

यदि ऐसा होता रहा है तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। अतः कांग्रेस को यह तो अपनी नीति बदल लेनी चाहिये अन्यथा वह स्वयं बदली जायेगी।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : सभापति महोदय, हर वर्ष आय-व्ययक भाषण बहुत उत्साहजनक होता है परन्तु आय-व्ययक प्रस्ताव उतने उत्साहजनक नहीं होते हैं।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

इस वर्ष कुछ हद तक मूल्य स्तर को बनाये रखा गया है तथा मुद्रास्फीति को भी रोका गया है। परन्तु जब तक कर तथा राजकोषीय नीति के बारे में ठोस कार्यवाही नहीं की जाती मूल्य स्तर को बनाये रखना कठिन हो जायेगा।

चाय तथा पटसन के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ अच्छी बातें देखी गई हैं। सम्भवतया इन प्रस्तावों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु यदि छूट न दी गई तो निर्यात का वर्तमान स्तर बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा। दूसरे, चाहे आय-व्ययक में कपड़ा उद्योग को छूट दी गई है परन्तु उससे देश की संकटग्रस्त मिलों को चलाये जाने की सम्भावना नहीं है। 80 से अधिक मिलें पहले ही बन्द हो चुकी हैं और कुछ अन्य मिले बन्द होने वाली थी जिनको अब कुछ सहायता मिल सकेगी। परन्तु यदि हमने देश में औद्योगिक विकास रचनात्मक वातावरण पैदा करना है तो यह छूट पर्याप्त नहीं है।

वित्त मंत्री प्रायः यह कहते रहते हैं कि शेयर बाजार में मूल्य बढ़ गये हैं। यह बात तो सही है परन्तु जैसे वहां पर मूल्य बढ़े हैं वह अच्छी बात नहीं हैं। क्योंकि वे प्रायः जीवन बीमा निगम, एक न्यास आदि द्वारा खरीदे जाते हैं। चाहे अन्य लोगों द्वारा भी उनकी अधिक मांग हुई है परन्तु इक्वीटी शेयरों की मांग बहुत कम रही है जिसके कारण देश के बड़े बड़े लोग भी कोई नई कम्पनी स्थापित नहीं कर सके हैं। इससे पता चलता है कि हमारी राजकोषीय तथा कर नीति में कुछ खराबी है।

हमने यह भी देखा है कि लोग गत 15 अथवा 20 वर्षों से सरकारी सिक्योरिटियो नहीं खरीद रहे हैं। उन्हें जीवन बीमा निगम, एकक न्यास तथा अन्य ऐसी संस्थाओं को अनिवार्य रूप से खरीदना पड़ रहा है। यदि कोई देश शेयर बाजार में विश्वास पैदा करना चाहता है तो कम से कम उस देश में लोगों पर सरकारी सिक्योरिटियां खरीदने पर कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिये। यदि लोग उन्हें नहीं खरीदते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति में तब कुछ गड़बड़ है। इसलिये इस नीति को अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिये।

हमारे पास साधनों की कमी नहीं है परन्तु हमें उनका प्रयोग इस प्रकार करना चाहिये जिससे देश आगे बढ़े। परन्तु हम राजनीति नामों से डर लगता है यही कारण है कि हम ठोस कार्यवाही नहीं कर पाते जिससे समूचे देश को नुक्सान होता है।

सरकार ने 10,000 से 20,000 रुपये की आय वाले मध्यम दर्जे के वर्ग पर अधिक कर भार डाल दिया है हालांकि उन पर पहले ही करों का भारी बोझ है।

वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा है कि हिन्दू अविभक्त परिवार का कोई वयस्क व्यक्ति यदि हिन्दू अविभक्त परिवार की आय के किसी भाग को देता है तो उस आय पर हिन्दू अविभक्त परिवार को देने वाले व्यक्ति के हाथों कर लगेगा। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं परन्तु इस नियम को भूतलक्षी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिये।

समवाय अधिनियम की धारा 187 के अन्तर्गत पूर्ल न्यास के मतदान अधिकारों को सीमित करके 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस में कोई समुचित संशोधन किया जाना चाहिये।

कृषि कर के सम्बन्ध में भी मैं ने बहुत से भाषण सुने हैं। आयकर सबसे पहले अंग्रेजों के समय में 1860 में लगाया गया था। तब उस समय उन्होंने कृषि कर भी लगाया था परन्तु बाद में उसे हटा दिया गया था। हम इस समय इस बारे में निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये।

हमारी 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय ग्रामीण क्षेत्रों से होती है। यदि हम ने उन्नति करनी है तो हमें और कर लगाने ही होंगे परन्तु उन करों से प्राप्त आय को उस क्षेत्र के कम आय वाले लोगों पर व्यय किया जाना चाहिये न कि वहां के कर दाताओं पर।

मैं पम्पों, रासायनिक उर्वरकों आदि पर कर लगाये जाने के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिद्धान्ततः इस बात से सहमत हूं कि यदि अप्रत्यक्ष रूप से साधन जुटाये जायें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। अप्रत्यक्ष रूप से कर लेना लाभप्रद और आसान होता हैं।

कर प्रस्तावों के बारे में प्रायः यह होता है कि जब हम किसी वस्तु पर कर लगाते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि राजस्व कहा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सरकारी क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है परन्तु फिर भी इस वर्ष 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसलिये इस क्षेत्र को समुचित रूप से संगठित किया जाना चाहिये।

श्री जार्ज फरनेंडीज ने अपने भाषण में कहा था कि मेरा छोटा भाई श्री रामकिशन बजाज शिव सेना की सहायता कर रहा था। उस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं बजाज परिवार में शिव सेना की गतिविधियों को कोई भी पसन्द नहीं करता है बल्कि हम उनकी निन्दा करते हैं।

श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : माननीय वित्त मंत्री ने जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया है वह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उचित तथा व्यावहारिक है। उन्हें प्रतिरक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिये साधन जुटाने हैं। इस के अलावा राज्य भी अधिकाधिक धन मांग रहे हैं।

प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व सरकार तथा संसद दोनों का है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि इस वर्ष प्रतिरक्षा आय-व्ययक में कोई हिचकिचाहट नहीं की गई है। हम चाहे यह पसन्द करे अथवा न परन्तु प्रतिरक्षा के लिये हमें साधन जुटाने ही होंगे। भीतरी तथा बाहरी डर से देश की रक्षा करने के लिये हमें कटिबद्ध रहना चाहिये। हमें अपनी सशस्त्र सेना को सुदृढ़ करना चाहिये। दूसरे हमें इस बात से सावधान रहना चाहिये कि प्रतिरक्षा तैयारियों के नाम पर फिजूलखर्ची न की जाये।

चाय, पटसन तथा कपड़ा उद्योगों को जो छूट दी गई है मैं उसका स्वागत करता हूं। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु चीनी तथा खांडसारी पर जो कर लगाया गया है वह उचित नहीं है। इस से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 10,000 से 20,000 रुपये वाले वर्ग पर जो कर लगाया गया है वह भी अच्छी बात नहीं है। वे पहले ही करों से दबे हुए हैं।

मुझे इस बात का अफसोस लगा है कि सरकार सरकारी व्यय में कमी नहीं कर सकती है। लाखों की तादाद में सरकारी कर्मचारी काम कर रहे है उनके लिये नये पद नहीं बनाये जाने चाहिये केवल तब ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। 3500 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने के बाद भी उन्होंने 35 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। उनके प्रबन्ध में सुधार किया जाना चाहिये।

मैं उर्वरक तथा बिजली के पम्पों पर कर लगाये जाने के प्रस्ताव को अच्छा नहीं समझता। इससे छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस बात में तो सच्चाई है कि गत दो वर्षों में हमारे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है परन्तु हम फिर भी आत्म-निर्भर नहीं हुए हैं। आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये हमें अभी बहुत ठोस उपाय करने है। स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात गत 20 वर्षों में हम सारी खेती योग्य भूमि के लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र के लिये ही सिंचाई की व्यवस्था कर सके हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसानों पर तब तक कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये जब तक वे अपने पांव पर मजबूती से खड़े नहीं हो जाते।

मैं कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर धन कर लगाने के प्रस्ताव का सिद्धान्त रूप से समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि उन सभी लोगों पर कर लगाया जाये जो देश के विकास के लिये कुछ धन दे सकते हैं। यह कर शायद इस लिये लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ बड़े बड़े व्यापारियों ने बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिये और वे इस स्थिति में भी हैं कि कर दे सकें क्योंकि उनके पास आय के और साधन भी हैं। इस कर का इन लोगों पर इतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। परन्तु दूसरी ओर जो वास्ताविक किसान हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिये धन लगाया है; मेहनत की है, वे यह कर नहीं दे सकेंगे। अतः इन पर कोई कर लगाने का अभी समय नहीं आया है। बड़े बड़े व्यापारियों को भूमि खरीदने के लिये दुरुत्साहित

करने का एक यह तरीका है कि जब वे कृषि से होने वाली आय को अन्य कारोबार में लगायें तो उन पर अधिकाधिक कर लगाया जाना चाहिये ।

अब देश के राजनीतिक ढांचे में कुछ परिवर्तन आ गया है और इसको ध्यान में रखते हुए, केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों तथा उनके बीच धन के आवंटन से सम्बन्धित संवैधानिक उपबन्धों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये । ऐसा करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्य परिषद बनाई जानी चाहिये जो इन सभी मामलों पर विचार करे ।

गत 20 वर्षों में विकास कार्यक्रमों का जिस प्रकार क्रियान्वित किया गया है उससे प्रादेशिक असंतुलन तथा विषमता उत्पन्न हो गई है । तेलंगाना तथा अन्य नये राज्यों की स्थापना सम्बन्धी मांगों की पृष्ठ भूमि में भी यही बात हैं । अतः यह भारत सरकार के भी हित में है कि इन विषमताओं को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री तेन्नेटी विश्वनायम (विशाखापत्तनम्) : यद्यपि मैं तीन, चार दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं तथापि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला हैं । कम से कम आय-व्ययक पर चर्चा के समय प्रत्येक सदस्य को आधा घटा तो मिलना ही चाहिये ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मुरारजी देसाई) : मुझे खेद है कि ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि यदि प्रत्येक सदस्य को आधा घंटा बोलने का अवसर दिया जायेगा तो इसके लिये 260 घंटे का समय चाहियेगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षक हैं । कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिसमें सभी निर्वाचन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री ने अभी बताया है, ऐसी व्यवस्था करना बहुत कठिन है जिसमें सभी सदस्यों को बोलने के लिये आधा आधा घंटा दिया जा सके । श्री दीक्षित ।

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : It is quite clear from the budget of this year that an effort has been made to prepare the country mentally for a courageous effort during the next five years. We have been resorting to deficit financing every year during the last two decades which caused inflation in the country Although we have been able to increase our production capacities during all these years by way of taxation and deficit financing, we could not immediately achieve the benefits thereof due to deficit finaning.

In order to ensure economic stability, it is necessary that the Government revenues should be increased. This can be possible through savings and taxation It is, therefore natural that some taxation proposals have been brought for ward.

It may, however, be pointed out that in a country like India which is primarily an agricultural country, the economic and social stability mostly depends on the productive capacity of the agricultural land of the country and in order to strengthen our economic

base it is necessary to reach a stage of stability in the productive capacity of the land. But the proposed levy on fertilisers and pumping sets will prove to be a step in the reverse direction. This will block the way of that revolution which we want to bring about in the agricultural sector. It is true that the farmer of to-day is different from the anemic and staggering farmer of the past and he has now gathered some strength and has now started trying to make use of this strength for achieving stability in agricultural production. At this stage, when we want to become self sufficient in our agricultural production it will not be in our interest to burden him with the proposed levy. It is, therefore, in the fitness of things that these proposals should be withdrawn otherwise the approaching green revolution will not come to fruition.

The excise duty on power looms is being enhanced from Rs 25/- to Rs. 50/-. This will hit the small weavers who have one or two powerlooms. Over and above this, it is being proposed that powerlooms should not produce coloured sarees. Such a restriction, if imposed, will round the death knell of this industry in which a large number of poor people are employed. No such proposal, should, therefore, be entertained. Instead the mill owners should be asked not to produce white sarees as these weavers are not able to compete with the mill owners.

The amount of Rs. 72,00,000 which has been spent on road construction in each of the 43 districts of Madhya Pradesh during the last thirteen years is not sufficient and as such more funds should be given to that state for this purpose, Secondly the tremendous forest wealth available in the above State should be exploited fully instead of partly as at present. Thirdly more attention should be paid to this State so that its backwardness is removed.

श्री चेंगलराया (चित्तूर) : वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट व्यापारियों तथा बड़े बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में हैं तथा उन्हें कर-मुक्ति भी प्रदान करता है ।

गांधीजी के समय कांग्रेस कृषिकों का पक्ष लेती थी । परन्तु आज कुछ कांग्रेसी जिनमें वित्त मन्त्री भी हैं, कृषिकों को हानि पहुंचा कर भी उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हैं ।

हमारे देश की 80% जनसंख्या ग्रामों में रहती है । वर्षा न होने से हमें हर वर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है जिससे हमें हानि होती है । वित्त मंत्री उन क्षेत्रों में अध्ययन दल तो भेजते हैं, परन्तु जो वित्तीय सहायता देते हैं उससे पीने के पानी की सुलभ व्यवस्था कर पाना भी सम्भव नहीं । इस प्रकार अन्य सहायता-कार्य अछूते ही रह जाते हैं । सूखे से बोई हुई फसल की हानि होती है. और इस प्रकार उत्पादन मूल्य बढ़ जाता है । अन्य उद्योगों के बारे में बीमें की व्यवस्था है और किसी भी हानि की दशा में उन्हें बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति मिल जाती है परन्तु कृषि के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अतएव सूखे के कारण हुई हानि पूर्णतः कृषकों को उठानी पड़ती है । फसल-बीमा-योजना बनाने में सरकार अभी तक सफल नहीं हुई । पशु-बीमा योजना के अभाव में, बिमारियों के दौरान पशुओं के बड़ी संख्या में मरने पर भी कोई क्षति पूर्ति हमें उपलब्ध नहीं होती ।

चावल और गेहूं के अतिरिक्त किसी भी उपज के न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं हैं । गुड़ का मूल्य जो पिछले वर्ष 160 रु० विक्न्टल था इस वर्ष केवल 60 रु० रह गया है । इस बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की । यदि सरकार उन पर कर लगाना चाहती है तो उसे उनकी सहायता के लिए भी उद्यत रहना चाहिए ।

ग्रामों में पेय जल के लिए कुंए नहीं, अच्छी सड़कें और प्राथमिक विद्यालय नहीं। स्कूलों के लिए बच्चों को तीन चार मील पैदल चलना पड़ता है।

अब हम कृषि-सम्पत्ति पर कर लगाने जा रहे हैं। विभिन्न ग्रामों में जमीनों के पृथक-पृथक मूल्य है। उनका मूल्यांकन करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उन पर जो व्यय होगा, उसके पश्चात कुछ भी शेष न बचेगा।

दो वर्ष पूर्व उर्वरकों पर अनुपूर्ति दी जाती थी, जो कि पिछले वर्ष हटा ली गई और इस वर्ष उस पर 10% उगाई की जा रही है। जब तक इस खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं हो जाते तब तक के लिए सरकार प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकती। अब, जबकि लोग उर्वरकों का अधिक उपयोग करने लगे हैं, उस पर यह कर लगाया जा रहा है जिससे उसका मूल्य बढ़ जाएगा। फलस्वरूप कम उर्वरकों का उपयोग होगा इससे उपज भी घटेगी। पम्पों पर कर लगाना भी निर्धन किसानों पर बोझा डालना ही है। मोटरों पर उत्पाद शुल्क पहले ही बढ़ाया जा चुका है। स्कूल, सड़क तथा औषधालय निर्माण करते समय ग्रामीणों से 50% अंशदान मांगा जाता है। वित्त मन्त्री कृषकों को तबाह कर धनी लोगों की सहायता करना चाहते हैं।

हम सब स्वभूमिध्वंस नीति के बारे में जानते हैं। जब सेना पीछे हटती है तो शत्रु के लिये कुछ नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है कि हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहते। मैं वित्त मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वह ग्रामों में कृषकों का विनाश न करें।

Shri Mundrika Sinha (Aurangabad) : After observing a plan holidy for many years we are now going to embark on the fourth Plan. The Finance Minister has stated that he is performing the role of a 'Sutradhar' we want our country to advance through planning, But it is not clear whether we want to bring socialism in this country or whether we want the capitalism to develop. We do not find anything new in this budget. In it, some taxes have been reduced but at the same time some taxes have been enhanced. Also certain new taxes have been imposed. I do not think that these taxation propsals will lay more burden on the agriculturists on the middle income groups. It is essential for a developing country, like ours, to impose taxes as we cannot otherwise carry no our developmental programmes. The rich people have been purchasing lands with a view to save taxes, so imposition of wealth tax on land is justified. But how can the officials sitting in the Secretariat building a sume the village farmers have become very prosperious by using good seeds and that a green revolution has taken place and it will be in the interest of the country to impose taxes on the farmers. It may be that the production of corn and wheat in Panjab and Haryana have gone up, but there has been no revolution in the production so far as rice and other commodities are concerned. The states suffered due to continiou droughts. The farmers for their very existence purchased pumps and even then our Finance Minister sees proppr in the villages and has imposed taxes on the pumps and fertilizers. This will lead production and a decline in the condition of the farmers. These taxes on pumps, fertilizers and the agricultural income will bring to an end the inspiration of the farmers to produce more. As a result of the droughts the country suffered and we were compelled to run from country to country begging for food. Our budget is prepared in the Secretariat by bureaucratic officers. If we make some of such officers to stand in wheat field, these officers

cannot recognize which plant is of wheat and which of oat. Who is preventing you in the nationalisation of banks ? If you want to build a strong India catch hold of the persons surfeited with wealth. These persons are concealing their actual incomes and evading taxes amounting to crores of rupees. Evasion of taxes takes place and ultimately these taxes are written off. The reasons for this affair may be known to those who write off the taxes as well as those who get it written off.

The Hon. Minister should know that if we continue to lag behind in the agricultural field, the result will be bad. The industrial recession will take place and the factory will have to be closed down. It has been stated in the Budget Speechthat the situation is now improving and the industrial production is increasing. If such a wrong step is taken then you will be held responsible for the consequences.

Crores of rupees have been invested in the Public sectors. The administration of these sectors is in the hands of bureaucrats who do not give proper attention to their work. Do they know that crores of rupees of the public are invested in the Public Sectors ? They are simply playing with the money of the poor and the tax payers. The Public sector undertakings in England are running in profit and they are giving dividends. But unfortunately our undertakings in the Public Sector show only loss and to make up this loss our Finance Minister taxes shelter under Deficit Financing the burden of which falls on the poor. Taxes are levied on Fertilisers, kerosene oil, Sugar, Pumping Sets etc. which are consumed mostly by the poor. If you kill the incentive of the farmers, your industries in the Public Sector will be running in loss. Industrial recession will take place and then our Food Minister will go to other countries for aid. In this way the country image will be demeaned.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने बजट पर दृष्टिपात करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिये हैं, बजट वक्तव्य के पांचवे अनुच्छेद में वे कहते है:-

"इस वर्ष, जो कि राष्ट्रपिता की याद में अर्पित है, हमें आर्थिक विकास में कुछ सामाजिक मूल्यों की ओर ध्यान देना है । हमें जनता को पेय जल, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी है और इस प्रकार उन्हें समानता के स्तर पर लाना है जो कि समाजवादी समाज का स्तर है ।"

वे यह कहते हैं कि हम समानता की ओर अग्रसर हो रहे हैं । परन्तु यह कहां है । इन बीस वर्षों में भिक्षावृति का उन्मूलन नहीं हो सका है । यहां तक की विकलांग भिखारियों को न केन्द्र से और न राज्यों से सहायता मिली है । अगर प्रत्येक अनुदान में से 1 प्रतिशत भी दो या तीन वर्षों के लिए लिया जाये तो भिक्षावृति समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार कहीं भी भिखारी दिखायी नहीं देंगे ।

आप जनता को आधारभूत सुविधाएं देने की बात करते हैं । परन्तु आवास के संदर्भ में आप केवल शहरों और अच्छी बस्तियों के बारे में ही सोचते हैं । यहां तक कि शहरों और कस्बों में एक अच्छा खासा भाग गन्दी बस्ती के रूप में होता है । कई गांवों में आवास सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम नहीं है ।

हम पेय जल के बारे में बातें करते हैं। परन्तु लगभग 5 लाख गांवों में खारा जल है अथवा जल ही नहीं है लगभग एक लाख गांवों में बिल्कुल ही जल नहीं है। ऐसे भी मामले हैं जहां लोगों को गर्मियों में जलती हुई रेत में तीन-चार मील चल कर एक या दो बर्तन पानी के लिये जाना पड़ता है। क्या हम पाइप लाइनों के द्वारा गांवों में नदियों का पानी नहीं पहुंचा सकते, हमारे पास बहुत लौह अयस्क है, क्यों नहीं फिर हम एक योजनाबद्ध कार्यक्रम द्वारा सब गांवों को पेय जल प्रदान कर सकते हैं। 20 वर्ष पश्चात भी प्रत्येक यह कहता है कि पीने का पानी नहीं है। सब नदियों का जल समुद्र में बहकर बरबाद हो रहा है और जब हमारे पास लौह अयस्क तथा सामग्री है तो क्यों नहीं समस्त गांवों को पाइप लाइनों के द्वारा पानी दिया जाता है, अगर यह कार्य किसी संस्था को सौंप दिया जाय तो काफी काम हो सकता है।

अब आप शिक्षा को ही लीजिये। इस क्षेत्र में अनुदान में वृद्धि नहीं की गई है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे कि कई गांवों में प्रायमरी स्कूल भी नहीं है। विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान में 1,55,00,000 रुपये को कम करके 1 करोड़ रुप कर दिखाये गया। इसी प्रकार स्थानीय निकायों को दिए अनुदान में 74 लाख रुपये को कम कर के 71 लाख रुपये कर दिया गया। पोलीटेकनिक के अध्यापकों को दिये जाने वाले 75 लाख रुपये के अनुदान को कम करके 49 लाख रुपये कर दिया गया यह तो शिक्षा की हालत है।

कई गांवों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं। हजारों गांवों बिना किसी चिकित्सा सेवा के हैं। यह एक ऐसा मामला है जो सर्वविदित है।

लोगों को रोजगार के अवसर नहीं दिये गये हैं। बजट में बेरोजगार बीमा योजना तो दिखाया गया है परन्तु उसके अन्तर्गत व्यय कुछ भी नहीं दिखाया गया है। बेरोजगार बीमा योजना के बारे में सोचा तो गया था परन्तु उसे कार्यरूप नहीं दिया गया।

दूसरी ओर धन बरबाद किया जा रहा है। अगर आप एक या दो ठेकेदारों से पूछें तो वे बतायेंगे कि प्रति रुपये में से 6 आना श्रमिक के पास जाता है और शेष सरकारी अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों के जेबों में चला जाता है, यही नहीं, कई अन्य तरीकों से भी धन की बरबादी होती है।

कराधान की ओर अगर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि जनता इससे परेशान क्यों है, प्रतिवर्ष कर बढ़ते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में निगम कर में क्रमश. 160 करोड़, 220 करोड़, 287 करोड़, 313 करोड़, 3330 करोड़, 320 करोड़ और इस वर्ष 330 करोड़ रुपये था। आय कर में भी वृद्धि हुई है। हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग गरीब है। 1961-62 में केन्द्रीय उत्पादन कर 489 करोड़ रुपये था तब से इस में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है और इसमें यह क्रमशः 489 करोड़, 598 करोड़, 729 करोड़, 801 करोड. 897 करोड़, 1033 करोड़, 1148 करोड़, 1286 करोड़ और 1421 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, इसी प्रकार मोटरगाड़ी और बिक्री कर में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार करों में वृद्धि होने से समूचे देश को कष्ट उठाना पड़ता है। यही नहीं सरकार सिक्के को ढालती है और नोटों को छापती है और वह इनमें से भी लाभ कमाती है। 1960 में सरकार को 54 करोड़ रुपये की आय हुई और इस वर्ष 94 करोड़ रुपये की आय हुई।

सरकार गांधीजी का नाम लेती है। क्या गांधीजी ने अमीर लोगों के लिए ही स्वराज्य पाने का प्रयत्न किया था ? वे तो समूचे देश को स्वराज्य दिलाना चाहते थे। मैं वित्त मन्त्री महोदय और सरकार का ध्यान देश के 80 से 90 प्रतिशत गरीब जनता की ओर दिलाना चाहता हूँ। वित्त मन्त्री महोदय मध्यम वर्ग के लोगों पर अधिक कर लगाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिये 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक के आय वालों पर अधिक आय कर लगाया गया है। जहां तक अमीर व्यक्तियों का प्रश्न है, उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। शायद अधिक रियायत और दी गई है।

इसी प्रकार वे निर्यातकों की सहायता करना चाहते हैं। उन्हें वित्त मन्त्री महोदय हर प्रकार की सुविधाएं, परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं आदि देना चाहते हैं। वे निर्यातकों को धन भी देना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस प्रकार धन क्यों बरबाद किया जा रहा है।

इस प्रकार वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट दिया है वह 80 से 90 प्रतिशत लोगों की सहायता नहीं करता।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा (जम्मू) : यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक बजट में कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों की आलोचना होती है। इस वर्ष भी कई सदस्यों ने इसकी कई प्रकार से आलोचन की है।

हम कई वर्षों से यह सुनते आ रहे हैं कि अब से सरकार की नीति कृषि की ओर अधिक होंगी। मैं मानता हूं कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिससे किसानों को अधिक उत्पादन से लाभ हुआ है। जब सरकार कहती है कि किसानों को और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी तो उनका तात्पर्य देश में मूल कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ाना है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कृषि में कुछ परिवर्तन आये हैं। अधिक किसान उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं और विभिन्न फसलों के लिए सुधरे बीज का उपयोग कर रहे हैं। इस समय खाद्य तथा कृषि मन्त्री यहां है अतएव मैं उनसे कृषि और इस देश के किसानों के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति चाहता हूं प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से इस बात पर सहमत हूं कि कृषि में क्रान्ति आने के फलस्वरूप किसानों का एक वर्ग ऐसा आ गया है जो इसके भेष में अपना काला धन छुपा रहा हैं। सरकार इस बात का पता नहीं लगा सकती कि प्रत्येक राज्य में ऐसे किसानों की संख्या कितनी है और किस प्रकार उन्होंने यह भूमी प्राप्त की है। इस श्रेणी के किसानों के पापों के लिये भारतीय किसानों को दोषी ठहराया जा रहा है, किसान को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ता है, जम्मू में गत दो तीन वर्षों में किसानों में उर्वरक लोकप्रिय हो गया था और चावल तथा गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था। पिछले वर्ष सरकार किसानों को उर्वरक खरीदने के लिये ऋण नहीं दे सकी जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम हो गया। इसी बात की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार बिजली के पम्पों पर कर लगा रही है। यह सर्वविदित है कि केवल छोटे किसान इन पम्पों को प्रयोग में लाते हैं और उनके पास केवल तीन या चार एकड़ भूमि होती है। एक ओर तो उन्हें उर्वरकों का अधिक मूल्य देने को कहा जा रहा है और दूसरी ओर उन्हें पानी

के पम्प के लिए भी अधिक मूल्य देने को कहा जा रहा है । अगर सरकार कृषि के विकास के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने में दिलचस्पी रखती हैं तो मेरे विचार में आप, जो शहरी क्षेत्रों में खाद्यानों के वितरण तथा राशन में आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उसको बन्द कर दें । शहरों में लोगों की आय अधिक है और वे किसानों की तुलना में अधिक सुविधाओं का उपभोग करते हैं । इसी प्रकार और भी अन्य बातें है जिन पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये जैसे कि किस प्रकार उर्वरकों और पानी के पम्पों पर शुल्क न लगाया जाये और अन्य साधनों से संसाधन जुटा कर कृषि विकास पर लगाया जाये ।

अन्त में मैं खाद्य तथा कृषि मन्त्री से कुछ निवेदन करना चाहूंगा । अगर वे यह सोचते हैं कि किसानों पर इस प्रकार के कर लगाकर कृषि का विकास किया जा सकेगा तो वे भूल करते हैं । इससे कृषि सम्बन्धी नीति को धक्का लगेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुक जायेगा ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णगर) : सभापति महोदय, बजट में कुछ आशा की बातें भी हैं और कुछ निराशा की भी प्रतिरक्षा बजट में जो वृद्धि हुई दिखाई गई है उसके लिये मैं माननीय मन्त्री को बधाई देती हूं । देश की सुरक्षा के लिये हम जो भी व्यय कर सकते हैं हमें करना चाहिये और इस मामले में सारा देश माननीय मन्त्री के साथ है ।

प्रतिपक्ष की एक माननीय सदस्या का यह कहना कि प्रतिरक्षा पर व्यय करना पुलिस राज्य स्थापित करने की दिशा में एक कदम है गलत है ।

यह खुशी की बात है कि हमारे निर्यात में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हमारा चाय का उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है । मैं वित्त मन्त्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वह चाय पर से उत्पादन शुल्क तथा निर्यात शुल्क पूर्ण रूप से हटा दें । ससार में भारतीय चाय को कौन नहीं जानता है । अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हमारी चाय का स्वरूप सुधारने में चाय बोर्ड को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिये । जहां तक पटसन का सम्बन्ध है सरकार को रक्षित भंडार बनाने चाहिये । पटसन के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति भी होनी चाहिये जिसमें देहाती बैंकें होनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व्यापारी तथा किसान सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

सरकार को उर्वरकों और सिंचाई पम्पों पर कर नहीं लगाने चाहिये । यदि इस कर को नहीं हटाया जा सकता तो सरकार को उनकी फसलों के लिए बीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने कहा वह इस कर द्वारा केवल काले धन वाले बड़े किसानों को पकड़ना चाहते हैं । यदि ऐसा है तो आप को अपने आय कर विभाग द्वारा चोर बाजारियों को पकड़ना चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र में 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । यदि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो सरकारी क्षेत्र को लाभ अर्जित करना चाहिये । प्रत्येक गांव में एक बचत बैंक योजना होनी चाहिये । छोटी बचत के लक्ष्य को 135 करोड से बढा कर 185 करोड़ रुपये कर दिया जाना

चाहिये। यह 50 करोड़ रुपये की अधिक रकम पर्यटकों से प्राप्त की जा सकती है। अतः पर्यटक केन्द्रों का विकास किया जाना चाहिये।

श्री सोमचंद सोलंकी (गांधीनगर) : सभापति महोदय, जहां तक बजट का सम्बन्ध है, यदि 1972 में भगवान भी आकर बजट पेश करे, तो वह भी सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। हमारे देश ने पिछले 15–20 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी प्रति व्यक्ति आय जो 1951 में 275 रुपये थी 1960–61 में बढ़ कर 325 रुपये हो गई और आशा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह 417 रुपये हो जायेगी।

देश की प्रगति और एकता के लिये योजना को होना आवश्यक है, किन्तु केवल योजना बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कि उसे पूरी तरह क्रियान्वित न किया जाये। हमारा देश एक बहुत ही निर्धन देश है, अतः राष्ट्रीय आय को बढ़ाना अत्यावश्यक है। इसके लिये तेज आर्थिक विकास, देश की गरीब जनता में आय का समुचित बंटवारा तथा जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी।

इस समय हमारी अर्थव्यवस्था मन्दी के संकट से गुजर रही है क्योंकि हमारी परियोजनाएं लाभ अर्जित नहीं कर रहीं हैं। असंतुलित आर्थिक विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में समुचित पूंजी विनियोजन नहीं है। आजकल प्रत्येक काम व्यक्तिगत तथा स्वार्थ भाव से किया जाता है और यही कारण है कि अनगिन्त दल बदल, घेराव, आन्दोलन आदि होते हैं। हम अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा, मित्रता और भाईचारे को भूल गये हैं। और देश सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन के स्वार्थी और चरित्रहीन प्रतिनिधियों ने दूषित कर दिया है।

अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं किन्तु आर्थिक संकट के समय हम हमेशा दूसरे देशों का मुंह तकते रहते हैं। फिर भी हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने देश की अर्थ व्यवस्था पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है तथा अगले कुछ वर्षों में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे पूंजीगत विपणन, करों की दरों और उद्योगों पर लगे शुल्कों में सुव्यवस्था और उचित कमी लाई जानी चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय को प्रत्यक्ष करों में कमी करनी चाहिए जिससे कि साधारण जनता को लाभ हो। सरकार को सभी दिशाओं के निवेशों में वृद्धि करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि सरकार किसानों को धन सम्बन्धी सहायता दे तथा खेतों में काम करने वाले भूमिहीन श्रमिकों के लिए उचित श्रम–दर निश्चित करे। जो सरकारी भूमि बेकार पड़ी है सरकार को चाहिए कि उसे हरिजनों को देदे।

मेरा अन्तिम सुझाव है कि सेना में सरकार एक किसान रेजीमेंट भी बनाए। करोड़ों एकड़ सरकारी भूमि बेकार पड़ी हुई है। किसान-रेजीमेंट बनाने से शांतिकाल में इस रेजीमेंट

के द्वारा बेकार भूमि में कश्त कराई जा सकती है जिससे खाद्यान्न संबंधी भारी कठिनाई को हल किया जा सकता है ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : This budget has been formulated in such a way that nobody has been spared from the tax. Yet the hon. Minister has given some benefits and tax-concessions to the big capitalists.

So many hon. Members have participated in this discussion and no one amongst them has agreed to the proposal of levying tax on the fertilisers and pumping sets. I feel therefore, that these items should be exempted from tax.

In view of the fact that 80 per cent of the total population of our country belongs to the villages and in view of our faith in the Gandhian philosophy, the hon. Minister should implement the task of prohibition and should increase the bovine wealth. He should also ban the cow-slaughter through out the country in the interest of our agriculture.

Unless the wide-spread in respect of the income and the wealth owned by the people are removed by the Government they can not claim that they have established a society based on socialistic pattern, in our country. More than 10 crore Harijans of our country are economically down-trodden. Provisions should also be made for their welfare and uplift.

The high incidence of taxes amounting to Rs. 150 crores has become unbearable for the common people. This budget has a deficit of Rs. 2·0 crores. There are as many as 80 public sector undertakings in our country but these undertakings are running in loss to the tune of Rs. 35 crores annually. Government should take note of this. Simultaneously, they should also curb the tendency of smuggling, profiteering and hoarding and this will undoubtedly yield immense revenue to the exchequer.

Uttar Pradesh is a very vast state and as compared to rest of the States it is lagging much behind in the field of education and agriculture and the per capita income is the lowest. I request that this state should be provided with the financial aid in view of its populousness. The recommendations of the Patel Committee should also be implemented.

The areas facing water shortage such as Mirzapur, Allahabad and Varanasi can well be supplied with water by using lift irrigation in the river son.

To overcome the traffic problems, bridges should be constructed on the river Ghaghara at Bhagalpur and on the river Gandak at Nadawar Ghat and Bhatni.

For the benefit of 2,50,00,000 inhabitants of the eastern region of U.P. the programme of industrialisation should be intensified in that region.

Shri B. N Kureel (Ramsanehighat) : It is experienced that the earlier five year plans could not assist the poor people in getting better means of income. I want that the provisions should be made in this budget to establish small scale industries in the villages for the poor and Harijans. Incentives should also be given to their cottage industries.

As compared to the rest of the states, the state of Uttar Pradesh received less financial assistance from the Centre during all the three five year plans-period and due to this U P. remained backward.

The hon. Finance Minister has justifiably levied the tax on agricultural wealth but he should specifically mention that genuine and ordinary farmers will not be affected by this tax. The levy imposed on the kerosene oil should also be withdrawn.

श्री स० दा० पाटिल (सांगली) : माननीय वित्त मंत्री ने जूट, चाय आदि पर उत्पादन शुल्क घटाकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कपड़ा मिलों पर भी उत्पादन शुल्क में कुछ रियायत दी है। किन्तु उर्वरकों नलकूपों और चीनी आदि पर नए करों का लगाना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता।

चीनी उद्योग भी अभी कपड़ा उद्योग की भांति ही संकट ग्रस्त है। उस पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से गन्ना उत्पादक, सरकारी चीनी के कारखाने तथा जनता, सभी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मंत्री महोदय का उर्वरकों पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य कर तथा नलकूपों पर 20 प्रतिशत यथा मूल्य कर लगाने के सम्बन्ध में यह तर्क देना कि विकास कार्यों से किसानों को लाभ हुआ है अतः उनको भी कुछ विकास लागत देनी चाहिए, उचित तो अवश्य लगता है किन्तु यह व्यावहारिक नहीं है। सिंचाई कार्यों से रहित क्षेत्रों के लिए भी यह कर प्रस्ताव हानिकारक है। यद्यपि वहां के लोग भी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं किन्तु सरकार के विकास कार्य उनको प्राप्त नहीं हो पाए।

इसके अतिरिक्त उर्वरकों पर कर लगाने का यह उचित अवसर भी नहीं है। ऐसा करने से तो किसानों का उत्साह भंग हो जाएगा तथा उन्होंने जो वैज्ञानिक रीति से खेती करनी आरम्भ की है उस में विघ्न आ जाएगा।

कृषि से प्राप्त आय पर सम्पत्ति कर नहीं है, इसी कारण बड़े-बड़े व्यापारी भूमि खरीद कर अपने काले धन को सफेद करना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि सही प्राधिकारियों से अनुमति लिये बिना किसी को भूमि खरीदने नहीं दिया जाना चाहिए।

योजनाओं के आरम्भ से ही हमारी अर्थ व्यवस्था घाटे की रही है। किसी सदस्य ने इस बात की आलोचना नहीं की। विकसित देशों के लिए ऐसी व्यवस्था हितकर हो सकती है किन्तु भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह हितकर नहीं है क्योंकि घाटे की अर्थ व्यवस्था से तत्काल मूल्यों में वृद्धि हो जाती है।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार दिनांक 14 मार्च, 1969/23 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 14, 1969/ Phalguna 23, 1890 (Saka).